हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

17 मार्च, 1981

खण्ड 1, अंक 7

अधिकृत विवरण

विशय सूची

मंगलवार, 17 मार्च, 1981

	पृश्ठ संख्या
तारांकित प्र न एवं उत्तर	(7)1
सस्पैंडिड मैंबर के प्र न को प्र न सूची मे से निकालना	(7)6
अतारांकित प्र न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)	(7)6
नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्र नों लिखित उत्तर	(7)39
अतारांकित प्र न एवं उत्तर	(7)41
11–3–1981 को चौधरी जगजीत अिसंह पोहलू, एम.एल.ए. के निलम्बन संबंधी निर्णय को रद्द करने की मांग	(7)45
ध्यानाकर्शण सूचना	(7)46
बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की दूसरी रिपोर्ट	(7)48
सदन की मेज पर रखे गए कागज पत्र	(7)56
वर्श 1980–81 के लिये सप्लीमैंटरी एस्टीमेट्स (तिसरी कि त) पर चर्चा तथा मतदान	(7)56

वर्श 1975–76 के एक्सैस डिमांड्ज ओवर ग्रांटस एंड एप्रोप्रिए ान पर चर्चा तथा मतदान	(7)88
वर्श 1976–77 के एक्सैस डिमांड्ज ओवर ग्रांटस एंड एप्रोप्रिए ान पर चर्चा तथा मतदान	(7)89
बिल्ज (इन्ट्रोड्यूस्ट–सदन की अनुमति से)–	
(i) दि पंजाब अर्बन इम्मूवेबल प्रौपर्टी टैक्स (हरियाणा वैलिडे ान) बिल, 1981	(7)90
(ii) दि हरियाणा जनरल सेल्ज टैक्स (अमैंडमैंट एंड वैलिडे ान) बिल, 1981	(7)91
(iii) दि पंजाब समितीज (अमैंडमैंट एंड वैलिडे ान) बिल, 1981	(7)91
(iv) दि पंजाब प्रोहिबि ान आफ काउ स्लौटर (अमैंडमैंट एंड वैलिडे ान) बिल, 198	(7)92
बिल्ज (कंसिडर्ड एण्ड पास्ड)–	
(i) दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली (फैसिलिटीज टू मैंबर्ज) अमैंडमैंट बिल, 1981	(7)93
वैयक्तिक स्पश्टीकरण–	
चौधरी रिजक राम द्वारा	(7)100

(i) दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली (फैसिलिटीज टू मैंबर्ज) अमैंडमैंट बिल, 1981 (पुनरारम्भ) (ii) दि हरियाणा स्टेट लैजिस्लेचर (प्रिवेन्शन आफ डिसक्वालीफिकेशन) अमैंडमैंट बिल, 1981	(7)101 (7)101
बैठक का समय बढ़ाना	(7)103
दि हरियाणा स्टेट लैजिस्लेचर (प्रिवेन्शन आफ डिसक्वालीफिकेशन) अमैंडमैंट बिल, 1981 (पुनरारम्भ)	(7)103
बैठक का समय बढ़ाना	(7)107
दि हरियाणा स्टेट लैजिस्लेचर (प्रिवेन्शन आफ डिसक्वालीफिकेशन) अमैंडमैंट बिल, 1981 (पुनरारम्भ)	(7)108

हरियाणा विधान सभा

मंगलवार, 17 मार्च, 1981

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चण्डीगढ़ मे प्रातः 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (कर्नल राव राम सिंह)

ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्र न एवं उत्तर

श्री अध्यक्षः साहिबान, अब सवाल होंगे।

Complaints of irregularities in the distribution of Cement, Coal, Sugar etc.

***1996. Swami Aditya Vesh:** Will the Minister for Food and Supplies be pleased to state—

(a) whether complaints of irregularities in the distribution of cement, coal, kerosene oil and sugar in the state have been received during the year 1980-81 to-date; and

(b) if so, the details of the steps, if any, so far taken to check the irregularities referred to in part (a) above together with the result achieved?

Food & Supplies Minister (Shri Lachhman Singh):

(a) Localised complaints of irregularities in the distribution of cement coal, kerosene oil and sugar through depots/fair price depots/dealers have been received.

(b) Regular checking of cement, coal, and kerosene oil and sugar depots/fair price shops/dealers is being conducted. The complaints received are also expeditiously investigated. As a result of this checking and investigation, appropriate action such as cancellation of depots, forfeiture of security deposits, registration of case with police against offenders has been taken, depending upon the gravity of the offence involved. Two statements showing details of action taken in cased dealt with departmentally and case registered with Police, during the period from 1.4.1980 to 31.1.1981 are place on the Table of the House

STATEMENT I

Consolidated statement showing details of cased detected and departmental action taken as a result of checking from 1.4.80 to 31.1.81.

Commodity for which offence relates	No. of case checked	No. of cases whole license cancelled.	No. of cases license suspended	No. of cases warning issued	No. of cases filed	No. of cases whose security forfeited.	Amount of security forfeited	No. of cases under investigation
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kerosene Oil	95	8	1	1	20	17	2925.00	56
Cement	15	-	-	-	5	2	1500.00	8
Sugar	21	1	-	-	6	13	2950.00	2
Fair Price Shops	1571	31	24	35	790	222	74300.00	500

Total	1702	40	25	36	821	254	81675.00	566

STATEMENT II

Consolidated statement showing the number of cases registered fro offences under E.C. Act, 1955 from 1.4.80 to 31.1.81.

Commodity of which offence relates	No. of cases regd.	Qty. seized	Value of goods seized	Persons arrested	persons under trial	Persons under investigation
Kerosene Oil	56	44394 Ltrs.	88235.80	58	-	68
Cement	50	3174 bags	90486.00	59	5	54
Sugar	97	1014-83-850	950464.00	78	3	75
	203		1129185.80	205	8	197

स्वामी आदित्यवे ा: मंत्री महोदय ने अपने जवाब मे कहा है तकि ि ाकायतें प्रगाप्त हुई है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि मिट्टी का तेल, चीनी सीमेंट के बारे मे जो ि ाकयतें प्राप्त हुई है उनमे कितनी मिलावट के बारे मे है और कितनी ब्लैक के बारे मे है?

श्री अध्यक्षः मंत्री जी नले जवाब दिइया है कि 566 केसिज अंडर इन्वैस्टीगे ान हे जिनके बारे मे उन्होंने अलग अलग पोजी ान बताई है।

श्री लछमल सिंहः हमारे पास मुखतलिफ किस्म की कम्पलेंटस आयी है। डिपु होल्डर्ज के खिलाफ और सिविल सप्लाइज आफिसर्ज के खिलाफ भी आयी है और हमने बहुत सीरियत एक ान लिये है। एक केस के बारे मे मैं हाउस को बताना चाहूंगा। रोहतक के अंदर जून 1980 मे 800 बैगज चीनी के बोगस परमिट कटे थें आज के जमाने मे तो वे कई लाख के है लेकिन उस जमाने मे भी अढ़ाई तीन लाख के थे। हमने डी.एफ. सी. को सस्पैंड किया और चालीस डिपु होल्डर्ज के खिलाफ एक ान लिया है। इसी तरह से सीमेंट के बारे मे मैंने अपने जवाब मे लिखा है कि एक लाख के लगभग का माल सीज किया है।

स्वामी आदित्यवे ा: सीमेंट के बारे मे तो आपने लिखा है कि 1500 रूपये की सिक्योरिटी फोरफीट की है।

Mr. Speaker: I would request the hon. Members to please address the chair.

श्री लछमन सिंहः स्पीकर सहाब, महज 1500 रूपये की बात नही है। हमने चीनी 950464 रूपये की सीज की है। सीमेंट 90486 रूपये की और कैरोसीन आयल 88235 रूपये की सीज किया है।

डा. मंगल सैनः स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने अभी हाउस मे रोहतक की मिसाल दी कि उन्होंने इतना घपला पकड़ा और डी.एफ.सी. को सस्पैंड कर दिया और डिपो होल्डर्ज के खिलाफ भी एक ान लिया है। दूसरा इन्होंने कुद केसिज रजिस्टर भी करवाये है। क्या यह बात ठीक है कि जिन के खिलाफ केसिज रजिस्टर्ड हुए थे उनमे से अब तक एक भी आदमी पकड़ा नही गया और डी.एफ.सी. भी बहाल हो गया है?

श्री लछमन सिंहः पुलिस इन्वैस्टीगे ान चल रही है। डी.एफ.सी. की डयूटी औवजर्व करने की होती है। इसका इसमे कोई फाल्ट नही हैं इन्सपैक्टोरेट स्टाफ ने डीलर्ज से मिल कर गड़बड़ की थी, उसके लिये पुलिस इन्वैस्टीगे ान चल रही है। पुलिस इन्वैस्टीगे ान मे किसी के साथ कोई रियायत नही होगी।

श्री अध्यक्षः इन्सपैक्टर्ज के खिलाफ क्या ऐक ान लिया है ?

श्री लछमन सिंहः केसिज चल रहे है और पुलिस इन्वैस्टीगे ान कर रही है।

डा. मंगल सैनः किसी भी डिपु होल्डर को आज तक पकड़ा नही गया और नही किसी के खिलाफ आज तक कोई एक ान हुआ है।

श्री लछमन सिंहः कानुन टाईम तो लेता है। अगर कोई मर्डर करता है तो उसमे भी कई साल लग जाते है ।

चौधरी अजीत सिंहः चीनी चार सौ ग्राम प्रति व्यक्ति हर महीने दी जानी चाहिए लेकिन डिपु होल्डर 300 ग्राम देते है। क्या मंत्री महोदय बताने का कश्ट करेंगे कि इस तरह की कोई ि ाकायत डिपु होल्डर्ज के खिलाफ सरकार के नोटिस मे आयी है अगर आयी है तो उसके ऊपर क्या एक ान लिया गया है?

श्री लछमन सिंहः चीनी चार सौ ग्राम प्रति व्यक्ति दी जाती है। अगर कम तोलने या कम देने की कोई स्पैसिफिक ि ाकायत आयेगी तो जरूर एक ान लेंगे।

चौधरी बीरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय असैं ि ायल कमोडिटीज एक्ट के मुताबिक कोई भी आदमी नौ बोरी भूगर से ज्यादा नही रख सकता है लेकिन जो मेन भूगर डीलर्ज हे उन्होंने हजारों बोरियां गांवो मे कई किसानो के घरों मे नौ नौ बोरियों के हिसाब से रखी हुई है। मैं मिनिस्ट महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या इस किस्म की हेराफेरी करने वालो की चैकिंग करते है

? अगर इस किस्म की हैराफेरी होती है तो कया सरकार इस कानून मे अमैंडमैंड करके एक ान लेगी ?

श्री लछमन सिंहः ऐसी कोई बात मेरे नोटिस मे नही है। अगर कोई स्पैसिफिक जगह का नाम देंगे तो चैंकिंग कर लेंगे और अगर कोई डीलर हेराफेरी करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ एक ान लेंगे।

चौधरी बीरेन्द्र सिंहः हजारो लोगों ने इस तरह से चीनी रखी हुई है।

श्री लछमन सिंहः आप नोटिस मे लायें, आज ही एक ान हो जायेगा।

Mr. Speaker: If the hon. Member is bringing it to his notice, then I will request the Hon. Minister to see to it.

चौधरी बीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, नौ बोरी रखने की इजाजत है। एक आदमी इंडीविजुअल तौर पर नौ बोरी रख सकता है, अगर वह उससे ज्यादा रखता है तो उसके खिलाफ एक ान होना चाहिए।

श्री लछमन सिंहः जो आदमी कानून की खिलाफवर्जी करेगा उसके खिलाफ एक ान लेंगे। अगर हम रेड भी करायें तो डीलर के खिलाफ सबूत नही मिलेगा।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): नौ बोरी की लिमिट इसलिये रखी हुई है कि छोटे डुकानदारो को लाइसैंस न लेना पड़े और वे अपना कारोबार ठीक तरह से चला सकें। आप जानते है लोगो को भाादियों मे चीनी की आव यकता होती है। अगर हम नौ बोरी की इजाजत हटा देंगे तो लोगो को परे ाानी हो जायेगी। इसलिये हमने नौ बोरी तक की लिमिट रखी हुई है ताकि आम आदमी को परे ाानी न हो। यह बात ठीक है कि बड़े बड़े दुकानदार नौ नौ बोरियां किसानो के घरो मे डाल देते है। कई जगह हमन7 केसिज पकड़े है, उनके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है और जिस किसी का कसूर हमलेगा उसको माफ नही किया जायेगा।

चौधरी हुकम सिंहः कया मंत्री महोदय बतायेंगे कि सीमेंट का वितरण देहातो और भाहरों मे किस रे ाो से होता है ?

श्री लछमन सिंहः देहातों मे 60 परसैंट दी जाती है जो बी.डी.असे. के थ्रू तकसीम की जाती है।

कामरेड भांकर लालः हरियाणा मे जो बिल्डिंग्ज बनी है वे दो नम्बर के सीमेंट से बनी है। क्या मिनिस्टर साहब इन्क्वायरी करायेंगे कि उनमे जो सीमेंट लगायी जा रही है वह कहां से आयी है ?

श्री अध्यक्षः दो नम्बर की बिल्डिंग वाली बात समझ मे नही आयी।

कामरेड भांकर लालः जो कोठियां या बिल्डिंग्ज बनी है उन के लिये कहां से सीमेंट लिया है ?

श्री अध्यक्षः आप स्पैसिफिक बिल्डिंग को नोटिस मे लाये कि वहां पर ऐसा सीमेंट इस्तेमाल हो रहा है।

कामरेड भांकर लालः हरियाणा के वजीर और एम.एल. एज. ने जो कोठियां बनायी है उन पर जो सीमेंट इस्तेमाल हुआ है, वह कहां से आया है? (व्यवधान)

श्री फतेह चंद विजः डी.एफ.सीज. इन्सपैक्टर्ज और सब इन्सपैक्टर्ज पर जो मुकद्दम चला है उसका क्या एक ान हुआ है ?

श्री लछमन सिंहः वह अडर इन्वैस्टीगे ान है।

कामरेड भांकर लालः स्पीकर साहब, मेरे सवाल का जवाब नही आया। क्या सरकार के नोटिस मे यह बात आयी है कि जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन रही है उनमे दो नम्बर का सीमेंट लग रहा है ?

श्री अध्यक्षः अगर काई कोठी बनती है और उसमे सीमेंट इस तरह से इस्तेमाल हुई है तो मंत्री महोदय के नोटिस मे लाये।

डा0 बृज मोहन गुप्ताः आपने लिखा है कि 1971 फेयर प्राइस भाप्स की चैकिंग करवाई गई और उनमे से 31 के लाइसैंस कैंसिल हुए, 24 लाइसैंस सस्पैंड हुए, 35 को वारनिंग हुई, 790 केसिज फाइल किये गये, 222 केसिज मे सिक्योरिटी फोरफीट की गई और 500 केसिज अंडर इन्वैस्टीगे ान है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इन मे प्राइवेट फेयर प्राइस भाप्स कितनी है और सरकारी कितनी है ?

चौधरी भजन लालः प्राइवेट डिपु है, फेयर प्राइस भाप्त नही है।

चौधरी संत कंवरः कई जमींदारो ने अपने टयूबवैल्ज के चबूतरे ठीक करने के लिये और कुएं ठीक करने के लिये सीमेंट के पांच पांच कट्ठे लेने के लिये एप्लीके ान बी.डी.ओ. के कार्यालय मे दे रखी है लेकिन उनको सीमेंट नही हमल रहा और उनको काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इस के दूसरी तरु अन्य लोग जो उनके बंधे हुए है 200–300 कट्टे ब्लैक मे ले जाते है। क्या जमींदारो को ठीक समय पर और ठीक रेट पर सीमेंट दिलाने के लिये कोई कार्यवाही की जायेगी?

श्री लछमन सिंहः अध्यक्ष महोदय, इसमे कोई भाक नही कि सीमेंट की काफी कमी है। हमने लैवल पर सीमेंट के वितरण्रा का अधिकार बी.डी.ओज. को दे रखा है। अगर किसी किस्म की

कोई दिक्कत कहीं पर है तो माननीय सदस्य मेरे नोटिस मे लाये, जरूर आव यक कार्यवाही की जायेगी।

स्वामी आदित्यवे I: मंत्री महोदय ने बताया है कि 1 अप्रैल, 1980 से लेकर जनवरी, 1981 तक के 566 केसिज मे अभी छानबीन चल रही है। क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि उनके खिलाफ क्या कार्यवाही चल रही है ?

श्री लछमन सिंह: अध्यक्ष महोदय, जिन 566 केसिज के बारे मे बताया गया है उनकी अभी छानबीन की जा रही है। अभी इन केसों का फैसला फाइनल नही हुआ है। अगर कोई इन्डीविजुअल केस के बारे मे माननीय सदस्य जानना चाहेंगे तो उसके बारे मे बता दिया जायेगा।

सस्पैंडिड मैंबर के प्र न को प्र न सूची मे से निकालना

Mr. Speaker: The next question No. 2032 is in the name of Shri Jagjit Singh Pohloo, who has been suspended from the service of the House. He has authorized Shri Raghu Nath Goyal to put this question on his behalf.

In the book 'Parliamentary Procedure in India by Mukerjee', under the heading "Question by suspended member" at page 92, it is stated— "Notices of question standing in the name of a member who is suspended from the

services of the House are removed from the notice paper so long as the suspension lasts". So, I remove this question from the list of questions for today.

तारांकित प्र न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

Plots allotted by HUDA out of the discretionary quota

***2025. Shri Mool Chand Mangla:** Will the Minister of finance be pleased to state—

(a) the number of plots allotted by HUDA from discretionary quota at Faridabad Complex during the period from 1st July, 1979 to=date together with the names and addresses of the allotted'

(b) the number unsold plots in the State with HUDA as on 1.7.1979; and

(c) the district wise number of remaining un-sold plots in the State as at present?

Finance Minister (Chaudhri Khurshid Ahmed):

(a) The requisite information is placed on the Table of the House (Statement I)

(b) 10555.

(c) The information is placed on the Table of the House (Statement II).

STATEMENT I

Sr. No.	Plot No. & Sector	Name & Address of the allottee	Remarks
1	2	3	4
(a) Persons who have been issued allotment letter (Sr. No. 1 to 329)			
1	1800/7	Sh. Zile Singh Rawat C/o Kumar Kutir, Hodel	
2	1961/7	Smt. Kamla Devi, Vill. Dhauj, Teh. Ballabgarh	
3	1962/7	Sh. Manjit Singh, H. No. 2131, Sec. 16, Faridabad	
4	1963/7	Sh. Som Nath Malhotra, H. No. 80, Sec. 16, Faridabad	
5	1964/7	Sh. Yash Pal Kochhar, H.No. 40, Sec. 16 A	
6	2127/7	Sh. D.C. Bansal, S/o Sh. Puran Lal, Hodel	
7	2128/7	Sh. Amar Nath Bhatia, 10/17 A, NIT, Faridabad	
8	2131/7	Smt. Mira Verma, 1276/19 B, Chandigarh	
9	2138/7	Smt. Sheela Devi, H.No. 127, V.P.O. Nuh	

10	2140/7	Sh. R.L. Madan, Govt. College, Faridabad	
11	2141/7	Sh. Dharam Vir, Vill. Kot, P.O. Dhauj, Distt. Gurgaon	
12	1130/7	Sh. Suraj Parkash, F.C.A. Faridabad	
13	1799/7	Sh. K.K. Arora, H.No. 200, Sec. 16A, Faridabad	
14	1797/7	Sh. Kanwar Singh Yadav, Vigilance Inspector of police, HSEB, Faridabad	
15	1965/7	Sh. Dharam Pal S/o Dalip Singh, H.No. 1756/15, H.B. Colony, Panchkula	
16	1966/7	Sh. Lokender Kumar Jain, 10/276, Barai Park, Faridabad Old	
17	1967/7	Ex. Hav. Suraj Bhan, H. No. 781, 1st NIT, Faridabad	
18	1968/7	Sh. Roop Lal, 517/14, DLF Colony, Rohtak	
19	2018/7	Sh. B.D. Goel, J.E. PWD Ferozepur Zhirka	
20	2027/7	Sh. Ajijuddin S/ Sh. Sahbuddin Vill. Ranherakhera, Ballabgarh	

21	1798/7	Sh. Dharam Chand C/o M/s. Auto Pins Ltd. Mill, Faridabad	
22	325/7	Mrs. Jayanhthi Mar Sinshan, 1816/7, Faridabad	
23	585/7	Sh. Jafar Ahmed, 58/5, NIT, Faridabad	
24	663/7	Miss Satvinder Kaur, 1784/7, Faridabad	
25	51/7	Smt. N.K. Jain C/o Sh. K.P. Jain, D-109 East of Kailash, New Delhi-24	
26	1335/7	Sh. Gajraj Singh, HCS, Narnaul	
27	27/8	Sh. Islam Mohmad Khan S/o Sh. Gosai Khan, V.P.O. Khaika, Via Hodel, Faridabad	
28	34/8	Sh. Gian Chand Gupta, Advocate, Nuh, Distt. Gur-Gurgaon.	
29	71/8	Sh. R.C. Belton, H.No. 975, Sec. 7, Faridabad	
30	751/8	Sh. Divender Nath Talwar, H.No. EP-62, W.No. 16, Nai Basti, Gurgaon	
31	719/8	Sh. Kamal Kishore, Lect. Govt. College, Faridabad	

32	753/8	Sh. Dharsan Singh Kanwa, H.No. 106/8, Chandigarh	
33	758/8	Sh. Jai Dev, Steno to Director for India Science laboratory, Haryana, Madhuban	
34	772/8	Smt. Bharti Singh, C/o Sh. K.K. singh, SDO, PWD (B&R) Ferozepur Zhirka (Gurgaon)	
35	780/8	Sh. Harbans Lal Suneja, PA, DSP Haryana Civil Secretariat, Chandigarh	
36	1312/8	Smt. Shajani D/o Sh. Sumera, Vill, Mitrol, P.O. Aurangabad, Faridabad	
37	1427P/8	Sh. Suresh Kumar, S/o Sh. Manohar Lal. V.P. Pinjore C/o Lachmi Chand, 53r, New Colony, Palwal	
38	1486P/8	Sh. Rajinder Kumar, S/o Sh. Run Chand C/o Mersary Tula Ram Lakhmi Chand Commission Agent, Hodel.	
39	1647/8	Sh. Radha Shyam Sharma R/o V.P.O. Pingwan, Gurgaon	
40	1649/8	Smt. Hasan Basri W/o Bhasin	

		Ahmed Vill. Benyala, Distt. Gurgaon	
41	1648P/8	Sh. Bhasin Ahmed S/ Sh. Rustam, Vill. Ranyala, Distt. Gurgaon	
42	1500P/8	Sh. Suraj Bhan S/o Shiman Lal, M/s. Gather Mal Chimal Lal, Kiryana Merchant, Faridabad	
43	1496/8	Sh. Nikao Lal Alias Ran Chand S/o Ram Parkash Vill. Pingwan, Gurgaon	
44	1504/8	Smt. Maya Wati W/o Sh. Jagdish Chand C/o Advocate General, Haryana, Chandigarh	
45	1672/8	Smt. Mahinder Kaur, 322/15 A, Chandigarh	
46	1315P/8	Sh. Sohan lal S/o Sh. Khachar, V.P.O. Aurangabad, Faridabad	
47	1350/8	Sh. Gaya Lal C/o Rajinder Paper Mills, 50-A, New Industrial Town, Faridabad	
48	1514/8	Sh. Bhupinder Mohan S/o Sh. Harbans Lal, Asstt. Social Welfare Branch SCO No. 68, 70 Sec. 17 A, Chandigarh	

49	1642/8	Sh. Bashir Ahmed, 216, Sec. 29 B, Chandigarh	
50	1515/8	Sh. P.S. Walia, Manager, State Bank of Patiala, Hodel, Faridabad	
51	1507/8	Sh. R.S. Khumaini, J.E. PWD (B&R), Nuh	
52	2086/8	Sh. Pran Nath S/O Sh. Bahgwan Dass, Punhana, Distt. Gurgaon	
53	1311/8	Sh. Ajit Kumar Jain S/o Ulfat Ram jain, Cashier, Education Board, Nuh.	
54	1335/8	Sh. Ram Mohan Gupta S/o Sh. ram Kishan, Vill. Pingwan, Gurgaon	
55	1432/8	Sh. Hari Om S/o Sh. Babu Ram Vill. Pingwan, Distt. Gurgaon	
56	1654/8	Sh. Ravi Kant 3A-139, Faridabad	
57	1652/8	Sh. Khajan Singh, Rajkia Kanya Vidyalya Sec. 14, Chandigarh	
58	1651/8	Smt. Kapuri Devi W/o Sh. B.Singh, 2517/22C,Chandigarh,	
59	40/8	Sh. Mahinder Kumar Bhatia, S/o Lok Chand Bhatia 1st D Bloc Book Dept, Faridabad	

60	34/8	Sh. Kedar Nath, V.P.O. Nuh, Gurgaon	
61	372/8	Sh. Ram Ssrup Datta 5/117, Nission Hut, NIT Faridabad	
62	748/8	Sh. Sukender Social Worker, V.P.O. Banchari, Faridabad	
63	749/8	Sh. Kailash Nath Jogi C-7, Nehru Ground, Faridabad	
64	750/8	Sh. Sambhu Nath Jogi, ID, 72-A, NIT, Faridabad	
65	771/8	Smt. Sumitra Yadav D/o Surat Singh, V.P.O. Lupa Ahir, Near Kosi, Rohtak	
66	828/8	Sh. Kundan Lal Melhotra, 5/95, Nission Hut Faridabad	
67	775/8	Mrs. Kiran Oberoi, C/o Wing Comd. R.S. Oberoi, C/o Shanti Bhawan, Babra Bazar, Rohtak	
68	743/8	Sh. Mohinder Singh, 212/9C, Chandigarh	
69	767/8	Smt. Nira Chopra, Shanti Bhawan, Babra Bazar, Rohtak	
70	833/8	Sh. A.L. Ahuja, EP/359,JakamPura, gurgaon,	

71	778/8	Rajbir Singh DPO Govt. College, Nagina, Gurgaon	
72	777/8	Sh. Ganpat Ram Vill. Pingwan, Gurgaon	
73	762/8	Sh. Subash Chand Nagpal, 399/7, Gurgaon	
74	774/8	Mrs. Usha bakshi, 89, Orwourd Regiment, A.C. Central School, Ahmed Nagar.	
75	783/8	Sh. Chandan Lal Directorate, Chief Secretary to Govt. Haryana, Chandigarh	
76	1678/9	Sh. Babu Lal Singhal, Advocate, 92, Rishi Nagar, Ballabgarh	
77	682/9	Sh. J.K. Shiva C/o Eicher Tractor India Ltd., Faridabad	
78	940/8	Sh. R.S. Narula, C/o 753/15 A, Faridabad	
79	970/9	Sh. P.O. Mudgil C/o Eicher Coodearth Ltd, 59, NIT Faridabad	
80	1064/9	Sh. V.K. Sharma, Administrative Officer, Eicher Tractor, 59, NIT, Faridabad	
81	1247/8	Smt. Gurmit Kaur, 5D, 107 NIT,	

		Faridabad	
82	1726/9	Sh. Dewan Chand, Govt. College, Faridabad	
83	1356/14	Sh. Gaj Raj Bhadur Nagar, Food & Supplies Minister, Haryana, Chandigarh	
84	1172/14	Smt. Vijay Lakshmi, E-95 East of Kailash, New Delhi	
85	1173/14	Sh. K.S. Jain, E2/54, Lajpat Nagar, New Delhi	
86	1174/14	Sh. Jai Singh, DSP, Palwal	
87	42P/15A	Sh. Krishan Doggal, Nission Hut, 101/5 NIT, Faridabad	
88	25/15A	Smt. Sulaha Devi W/o Sh. Sharam Singh, DSP, H.Q. Faridabad	
89	495/15A	Sh. Rajiv Chaudhary, 286/22A, Chandigarh	
90	691/16	Sh. Islam Din, V.P.O. Dhauj, Ballabgarh	
91	382/15	Sh. N.C. Wadhwa, H.C.S, G.A/D.C. Faridabad	
92	50/15	Sh. Bhaskar Chatterjee, IAS, D.C. Faridabad	

93	455/15	Sh. Raj Singh Joon, S/o Shri Sardar Singh Mukesh Colony, H.N.D. Ballabgarh	
94	379/17	Sh. J.B. Garg. Addl. Distt. Judge, Sonepat	
95	388/17	Sh. Bhagwan Dass Bhatia, C/o Lok Nath Bhagwan Dass, Coal Depot 1-2 Chowk, NIT, Faridabad	
96	578/17	Sh. J.C. Jain, O.S.D., Villians (FB) P. Ltd.	
97	710/19	Mrs. Sanyogita Kohli, Sec. D/800 Mandir Marg, New Delhi	
98	711/19	Sh. Net Ram Chaudhan, C.P.U. Aurangabad, Teh. Palwal, Faridabad	
99	712/19	Smt. Vijay Lakshmi Sharma, R.U. 286 Srinagar Colony Shakur Basti, New Delhi	
100	713/19	Sh. Islam Mohmad Khan S/o Ghosi Khan, V.P.O. Kaik, via Hodal, Distt. Faridabad	
101	714/19	Sh. Mishi Lal Gupta, Science Teacher, Govt. High School, Jassana, Distt. Faridabad	

102	715/19	Smt. Shanti Devi W/o dina Nath, H.No. 36/168, NIT, Faridabad	
103	716/19	Sh. V.D. Sharma, B9/756, Lodhi Colony, New Delhi	
104	717/19	Sh. S. Sribivism, 14/820, Lodhi Colony, New Delhi	
105	1258/19	Sh. Vijay Kumar P.A. To Agriculture, Minister, Haryana	
106	1253/19	Sh. Mohan lal Gupta, C/o Allahabad bank, NIT Faridabad	
107	1254/19	Sh. Dharam Chand Jain, Mohlla Syedwara Old Faridabad	
108	1255/19	Sh. Surjit Singh, The new Bank of India, Sec. 22, Chandigarh	
109	1258/19	Sh. Nanak Chand S/o Sh. Nath Ram, Mohlla, Sayedwara, palwal, Faridabad	
110	1291/19	Sh. Ashok Kumar C/o Chuni Lal H.No. 35, Sec. 21 A Chandigarh	
111	1292/19	Sh. Ram parkash, H.No. 265 Sect. 16, Farid	
112	1294/19	Sh. Prem Parkash, H.No. 229/8	

		Krishan Colony, Bhiwani	
113	449/19	Smt. Krishna Rani, H. No. 3096, Sec. 15D, Chandigarh	
114	450/19	Sh. Om Dutt Sharma, Advocat, Civil Court M/garh	
115	451/19	Sh. Rattan Lal Sharma, V.P.O Bawaria, M/garh	
116	452/19	Smt. Santosh Kumari W/o B.R. Jha Niwas, Mathura Road, Faridabad	
117	454/19	Sh. Jatinder Kumar H.No. 250/10 Chandigarh	
118	455/19	Sh. Sat Pal Madam. H.No. 7, Saria Hushani, Old Faridabad	
119	456/19	Ch. Chamal lal, H.No. 3, W.No. 4, Nuh, Haryana	
120	457/19	Sh. Hukam Chand, Lect. govt. College, Faridabad	
121	458/19	Smt. Rani malik, W/o V.P. Malik, 1314/34A, Chandigarh	
122	459/19	Sh. Madan lal Malik, Advocate, S/o Nihal Chand V.P.O. Nuh.	
123	460/19	Sh. Krishan lal Malik S/o Nihal Chand V.P.O., Nuh, Haryana	

124	461/19	Smt. Sudesh Arora, H.No. 2294/27C, Chandigarh	
125	1325/19	Sh. Sunil Ahuja, H.No. 21/10, Gandhi Nagar, Near medical College Rohtak	
126	388/19	Sh. Satish Kumar Sethi S.o Sant. Ram Sethi, H.No. L-116, Kirti Nagar, New Delhi	
127	389/19	Sh. B.N. Mehta, Tech. Expert Industry Deptt. Haryana, Chandigarh	
128	700/19	Mrs. Saroj Rani W/o Ranjit Rai Sharma, Municipal Councellor, Paharaganj, Delhi	
129	701/19	Sh. B.N. Mehta, Tech. Expert Industry Deptt. Haryana	
130	702/19	Sh. Sukhan Lal Gupta S/o Budhi Mal C/o M/s Sh. Chand Budmal Arti, Vill. Nuh, Gurgaon	
131	703/19	Sh. Ramesh Chander Taneja C/o Ashish Enterprises 91-Sec. 6, Faridabad	
132	704/19	Sh. Guljari Lal S/o Munshi Ram C/o Delhi, Faridabad Textile Mills, Faridabad	

133	945/19	Mrs. Vijay lakshmi W/o Satish Sharma, 286, Siri Nagar Colony, Sakur basti, New Delhi	
134	37/21A	Sh. Bhajan Lal, C.M. Haryana	
135	41/21A	Sh. Mool Chand jain, M.L.A. Samalkha	
136	42/21A	Thakur Bir Singh, Minister	
137	43P/21A	Sh. Surender Singh, M.L.A.	
138	102/21A	Sh. Rajinder Singh, M.L.A.	
139	106P/21A	Sh. Jagdish Kumar, M.L.A.	
140	120/21A	Justic A.D. Kaushal Judge, Supreme Court of India	
141	321P/21A	Sh. Tejpal Sungh, 56 Janpath 3rd Floor, New Delhi	
142	337P/21A	Sh. Virender Singh, M.L.A. Haryana	
143	342/21A	Sh. P.K. Shunglur 1/5 Panchsheel Enclave, New Delhi	
144	346/21A	Sh. Rajinder Kumar, room No. 79 Senior Boys Hostel, Govt. Medical College Patiala, Punjab.	
145	471/21A	Sh. Virender Kumar Tara, Faridabad	

146	559/21A	Sh. Charan Singh, ex. Prime Minister	
147	561/21A	Sh. Chand Ram, Ex. M.P	
148	564/21A	Sh. Dharam Bir Vashishth, Ex. M.P. Faridabad	
149	793/21A	Smt. Surran 9 Race Course road, New Delhi	
150	819/21A	Sh. Kuldip Raj Grover, 5-27A, NIT, Faridabad	
151	814/21A	Ch. Khurshid Ahmed, F.M.	
152	164/21A	Sh. Jagan Nath, Transport Minister, Haryana	
153	165/21A	Sh. Ude Singh Dalal, M.L.A.	
154	185/21A	Sh. Baldev tayal, M.L.A. Haryana	
155	186/21A	Sh. Vijay Pal Singh, Deputy Speaker, Haryana	
156	202/21A	Sh. Mange Ram, M.L.A. Haryana	
157	230/21A	Sh. K.L. Poswal, home Minister, Haryana	
158	235/21A	Sh. Khan, Deputy Minister, Haryana	
159	236/21A	Sh. Balwant Rai Tayal Ex. Minister,	

		Haryana	
160	238/21A	Sh. Tek Ram, M.L.A., Haryana	
161	239/21A	Sh. Markandey Dubey Pvt. Secy. to Education Minister, Shashtri Bhawan, New Delhi	
162	240/21A	Sh. Inder Singh, Ex. M.P. Jind	
163	241/21A	Sh. Jogi Ram M.L.A. Haryana	
164	242/21A	Sh. R. Krishan Murthy, C-5/24 Safdarjang Dev. Area, New Delhi	
165	362/21A	Sh. Shamsher Singh Surjewala, Agriculture Minister, Haryana	
166	379/21A	Sh. Suraj Bhan, M.P. Haryana	
167	380/21A	Sh. Mukhtiar Singh Malik, Ex. M.P. sonepat.	
168	397/21A	Sh. Y. Kailasam, E-95, East Kailash, New Delhi	
169	398/21A	Sh. Harphool Singh M.L.A. Haryana	
170	409/21A	Sh.Harish Chand, Faridabad Old	
171	713/21A	Sh. Gaya lal, M.L.A. Haryana	
172	744/21A	Sh. Shiv Ram Verma, M.L.A. Karnal.	

173	496/21A	Sh. John V. George, IPS, Chandigarh.	
174	597/21A	Smt. Ram Harishankar C/o Harishankar, IPS, S.S.P., Faridabad	
175	563/28	Sh. Ravinder Kumar Bhatia, I.D./74A, NIT, Faridabad	
176	564/28	Smt. Sneh Bhatia W/o S.K. Bhatia, ID/8 Banglow, plot NIT, Faridabad	
177	568/28	Sh. R.N. Pankaj, H.No. 256, Sec-10A, Chandigarh	
178	686/28A	Sh. Suman Kumar C/o I.H.78 NIT, Faridabad	
179	710/28	Sh. Ramesh Chand S/o Lakhan Lal, Ration Soap Canal Colony, Faridabad	
180	711/28	Sh. R.K Singal H.No. 685/15A, Faridabad	
181	712/28	Sh. S.C. Mogia, V.P.O. Pingwan, Teh. Ferozepur Zhirka, Distt. Gurgaon	
182	713/28	Miss. Shakuntla D/o Habup Singh, B.E.O. near Water Works, VPO Hodel, Teh. palwal, Faridabad	

183	714/28	Sh. Shir Singh Dalal, 665/16, Faridabad	
184	719/28	Sh. Sahib Ram, 5N-32 NIT Faridabad	
185	720/28	Sh. Pokhar Dass Nagpal, near Jamna Pandi House Partap nagar, Gurgaon	
186	721/28	Sh. K.K. Jain, C/o 276/10 Barahipaur, Faridabad City	
187	852/28	Sh. Nandi Lal S/o Puran Chand, VPO Pinwan Teh. Ferozepur Zhirka, Distt. Gurgaon	
188	853/28	Sh. Lakhpat Rai Nagpal, V.P.O. Nuh, Dist. Gurgaon	
189	854/28	Sh. Inder Parkash Kohli, C/O Sector D-800 Mandir Marg, Type 3 Quarters, New Delhi	
190	855/28	Sh. M.R.L. Sethuraman, 14/820 Lodhi Colony, New Delhi	
191	858/28	Sh. Rattan lal S/o Sh. Mukhan Lal R/o Vill. Pingwan. Teh. Ferozepur Zhirka, Distt. Gurgaon	
192	860/28	Sh. Bhudev S/o Gopi Ram Palwal, Teh. Palwal, Gurgaon	

193	862/28	Sh. Kishori Lal Jain C/o O.D.C.M. Store SCO 74, Sec. 7A, Chandigarh	
194	965/28	Smt. Santosh Kumari D/o D.R. Kumar Link Road, Faridabad	
195	966/28	Smt. Saroj Bala D/o B.S. Link Road, Faridabad	
196	967/28	Sh. Gopal Singh S/o Sh. Hira Lal Ahir Wara, Faridabad	
197	968/28	Sh. Adarsh Kumar Goel, Advocate 42, Vivekanand Puri, Azad marg, New Delhi	
198	969/28	Sh. Namuddin S/o Shahadudin, Vill. Ramhera Khera, P.O. B/garh Faridabad	
199	1110/28	Sh. Ramesh Gandhi, Gandhi Motors, 4 Sindhi House, Cannaught Place, New Delhi	
200	1111/28	Sh. A.N. Arora, 16/18, Raj Block, Navin Shadhra, Delhi East.	
201	1212/28	Sh. Rajam Gandhi S/o A-417, Defence Colony, New Delhi	
202	1172/28	Sh. R.C. Gandhi S/o R.P. Gandhi, 4 Scindia House, New Delhi	
203	1173/28	Smt. Harbhajan Kaur, E-346,	

		Raghbir Nagar, Najafgarh Road, New Delhi	
204	1174/28	Sh. Saran Singh, 4D/52, Old Rajinder Nagar, New Delhi	
205	1175/28	Sh. Dharam Singh, 1080/20B, chandigarh	
206	1176/28	Smt. Deva bai W/o Sh. Bhola ram W.No. 3, H.No. Nuh, Gurgaon	
207	1177/28	Smt. Pratima R. Bhutt, N-100, Stree No. 2, Greater Kailash-1, New Delhi	
208	1178/28	Sh. Atam parkash, 229/8 Krishan nagar, bhiwani	
209	1179/28	Sh. Deli Chand, H.No. 1289/37C, Chandigarh	
210	1180/28	Sh. K.S. maddur Lect. Govt. College, Nagina, Gurgaon	
211	1181/28	Smt. Reeta Kumari D/o S.C. Kakkar, H.No. 90 Sector-16A, Faridabad	
212	1184/28	Dr. A.G. Hemky, S.M.O. B.K. Hospital Faridabad	
213	1185/28	Sh. Sohan Lal S/o Bholu Ram Vill. Mitrol P.O. Aurangabad, Teh.	

		Palwal, Faridabad	
214	1186/28	Sh. G.C. Jain, 10/276 Barlin park, Faridabad, Old	
215	1187/28	Sh. Kishan Singh, C/o Neelam Cinema, Faridabad	
216	1188/28	Sh. Khem Chand, S/o Nand Ram Civil Hospital Nuh, P.O. Nuh, Gurgaon	
217	1189/28	Sh. Devinder Kumar Govt. Contractor, S/o Ram Lal Adam Mandi, Oil & Floor Mills, Nuh, Gurgaon	
218	1192/28	Sh. D.P. Khastana C/o Rajinder Kumar, Rajindra Colony, Link Road, Faridabad	
219	1193/28	Sh. B.D. Sharma C/o M/s Art Minerals 15/7, Mathura Road, Faridabad	
220	1196/28	Sh. Ramesh Kumar C/o Mrs, Satwant Julkha E.S.I. Hospital, Faridabad	
221	1199/28	Sh. Bal Krishan Malik S/o Krishan Malik, V.P.O. Nuh, W.N. 3, Gurgaon	

222	1200/28	Sh. Jagdeep Bali Palla Tower House Colony, Faridabad	
223	1201/28	Smt. Pardeep Kumari W/o Dharam Singh V.P.O. Banchari, Teh. Palwal, Faridabad	
224	1203/28	Sh. Lakshmi Chand Manager, Primar, Co-operative Land Dev. Bank, Ltd. Nuh, Gurgaon	
225	1204/28	Sh. Manjit Singh Sabharwal D-9/Delhi Admn. Flats, Model Town, Delhi	
226	1205/28	Sh. Vijay Arora D/o s.N. Arora, H.No. 124, Sec. 22, Chandigarh	
227	1208/28	Mrs. Subbalakshmi E-4, first Floor South Extn. Part I, New Delhi	
228	1209/28	Sh. N.C. Bajaj 113, Sect. 33A, Chandigarh	
229	1210/28	Sh. Rati Ram Chaudhary, IQF, Vijay Nagar, New Delhi.	
230	1211/28	Smt. S.Sood W/o S. Satish Sood, 30/10 Lodhi Colony, New Delhi	
231	1212/28	Smt. M.Sood W/o B.D. Sood, 20/20 Lodhi Colony New Delhi	
232	1215/28	Sh. S.L. Batra 5D/96B, NIT,	

		Faridabad	
233	1216/28	Sh. Parkash Juneja C/o Mohinder Singh 2683/2, Patel Road, Ambala City.	
234	1217/28	Sh. Ramja Vill Mewla Maharajpur, P.O. Amar Nagar, Faridabad	
235	1248/28	Sh. Daya Singh Jhingalla C/o Bihari lal Balmiki, Ex. M.L.A. near New Bank of India Old Faridabad	
236	2018/28	Sh. Lakshmi Chander Aggarwal, C/78 Neeti Bag, New Delhi	
237	2017/28	Sh. V.D. Jain, Officer Oriental bank, commerce, Kaithal	
238	2001/28	Smt. Nirmal Tewatia, H.No. 133, Sect. 10A, Chandigarh	
239	2002/28	Sh. Sohan S.Pal 48 Longford, Avenue, Southall Midlesex (U.K.)	
240	2006/28	Smt. Mridula, M90 Greater kailash, 1st New Delhi	
241	2007/28	Sh. Jamalu Din quraishi HSEB, Executive Engg. Const. Divn. Gurgaon	
242	2008/28	Sh. Ram Gopal Kakkar S/o Ram Gopal Kothi No. 90 Sect. 16A,	

		Faridabad	
243	2009/28	Sh. Sham Gopal S/o Ram gopal H.No. 90, Sect. 16A, Faridabad	
244	2010/28	Maj. C.S. Mann, Field Security Officer, Head Quarter 2 Corpse C/o 56 A.P.O.	
245	2013/28	Sh. Shri Niwasan, A/56, Gul Mohar park, New Delhi	
246	2014/28	Sh. Sh. A.T.M. Sampath A/177, Defence Colony, Delhi	
247	2015/28	Sh. Sh. K.C. Mayor 103 Lawyers Chamber Supreme Court, New Delhi	
248	857/28	Sh. Piare Lal, H.No. 23/8, Marla, Nai Colony, Palwal Faridabad	
249	715/28	Sh. Jagdishg Parshad S/o Chuni Lal V.P.O. Pingwana Teh. Ferozepur Zhirka, Gurgaon	
250	2016/28	Sh. S.K. Maheshwari 1716 Falli Piowalim Dariba Kalan, Chandni Chowk, New Delhi	
251	1202/28	Sh. K.R. Swami (R.O.) State Guest House (VIPs) Pataudi House, Canning Road, New Delhi	

252	2019/28	Sh. Satya Parkash Sharma S/o K.S. Sharma C/o Ram Kumar Mewat, Transort Company, Nuh, Delhi Gate, Gurgaon	
253	1373/28	Sh. Salendra Narain, Director & Joint Secretary, Govt. Of Haryana Institution Finance Credit Control Deptt.	
254	1374/37	Sh. Om Parkash Sethi, H.No. L. 116 Kirti Nagar, New Delhi	
255	661/37	Smt. Asha Kapoor W/o Sh. Jagdish Kapoor 1-17 DDA Flats, Ashok Niketan, New Delhi	
256	662/37	Sh. Partap Singh, Sect. 4/1699, R.K. puram, New Delhi	
257	663/37	Sh. S.S. Bhandana, S/o Sh. Kunda Ram V.P.O. Anangpur, Faridabad	
258	620/37	Sh. Inder Jeet Xen Karnal Division WJC, Karnal	
259	283/37	Smt. Sharda Rani W/o Sh. Sultan Singh, B.No. 9, G.No.B, H.No. 6632, Dev. Nagar, Karol Bag, New Delhi	
260	285/37	Sh. Jai Kishan Aggarwal C/oM/s Mansa Ram puran Mal, Sonepat.	

261	286/37	Smt. Santosh Suri W/o Sh. M.L. Suri H.No. 35, Sect. 20A, Chandigarh	
262	460/37	Sh. Satya Vir Tayagi, 28 Pataudi House, Chimni Lane, New Delhi	
263	461/37	Sh. Surinder Singh S/o Sh. Satya Dev Singh Vill. Vidyawali, Faridabad	
264	462/37	Sh. J.B. Garg. Addl, Distt. Judge, Sonepat	
265	463/37	Sh. Dharam Vir Garg. V.P.O. Ujina,	
266	464/37	Sh. Satya Parkash Jain, H.No. 224, LIG, Sect. 23, Houseing Board Colony, Faridabad	
267	536/37	Sh. Jagan Nath S/o Sh. Ishwar Dass C/o I-B, 115, NIT, Faridabad	
268	537/37	Sh. S.P. Gupta, Nanager, New Bank of India, Old Hospital Road, Jammu.	
269	538/37	Sh. G.R. Satija C/o Satija bhawn Jakampura Gurgaon	
270	591/37	Sh. S.C. Goel E.S.S. Oil Company, Kile Store, Mathura Road, Faridabad	

271	699/37	Sh. Jagjit Kaur, Kothi No. 25, Preet Nagar, Ambala City	
272	3700/37	Sh. A.C. Dhawan, 1096/18C, Chandigarh	
273	701/37	Sh. Naresh Kumar C/o Madan lal, Mohalla Bawar wara, Rewari	
274	590/37	Sh. C.D. Sharma, C.I. – 708, Sarojini Nagar, New Delhi	
275	706/37	Sh. S.P. Vashishth, project Officer, Suraj Kund, Tourist Complex, Faridabad	
276	103/37	Sh. S.L. Arora, H.No. 101, W.No. 9, Mohalla Batwara, Faridabad Old	
277	104/37	Sh. Ramesh Gupta C/o Sh. Hari, Textile, 23A, Kolapur Rd. Kamla Nagar, Delhi	
278	105/37	Sh. Ram Autar Gupta, 405, Ram Pura Delhi-35	
279	142/37	Sh. P.N. Mittal, Asstt. Excise & Taxation Officer, Palwal.	
280	143/37	Sh. A.L. Khuraja, Asstt. Excise & Taxation Officer, Palwal.	
281	532/37	Sh. Harish Chand Nagpal S/o Sh. Dharya Lal, Commission Agent,	

		Nuh.	
282	1139/27	Sh. Rajbir Singh Malik, V.P.O. Sihi, Faridabad	
283	512/37	Sh. Gopal Dass S/o sh. ram Dutt Mal P.O. Nuh, Gurgaon	
284	1131/37	Sh. Basant Lal, 344/5 Arjun Nagar, Gurgaon	
285	439/37	Sh. Ramesh Kumar S/o Sh. Ved Parkash, H.No. 2383/35C, Chandigarh	
286	936/37	Sh. Ram Chand Dhamija, SAS, Senior Auditor, Haryana Tourism	
287	106/37	Sh. Trilok Chand S/o Sh. Om Parkash C/o M/s Siri Chand Budhi Mal, Commission Agent. Nuh	
288	144/37	Sh. Amar Nath S/o Sh. Ganga Saran P.O. Nuh Gurgaon	
289	145/37	Sh. Kedar Nath S/o Sh. Kanehya Lal P.O. Nuh, Gurgaon	
290	146/37	Sh. Ranjit Singh S/o Ganga Saran P.O. Nuh, Gurgaon	
291	511/37	Sh. Jagdish Parsad S/o Ganga Saran P.O. Nuh, Gurgaon	

292	513/37	Sh. Rajinder kumar S/o Sh. Budhi Mal C/o M/s Budhi Siri Chand Budhi Mal, Commission Agent. Nuh, Gurgaon	
293	533/37	Sh. Vir Bhan Batra V.P.O. Nuh, Gurgaon	
294	1111/37	Sh. Ram Lal, Commission Agent, Nuh, Gurgaon	
295	1115/37	Smt. Lakshmi Devi C/o Sh. kanhiya Lal Mahawar, Nuh, Gurgaon	
296	1127/37	Sh. O.P. Juneja C/o M.R. Industries Palwal, Faridabad	
297	1125/37	Sh. Des Dipak, 5K-4, NIT, Faridabad	
298	702/37	Sh. Subhash Kathuria 3A/121 NIT, Faridabad	
299	531/37	Sh. Sunita Sharma, RL-227/D, Palam Colony, New Delhi	
300	563/28	Sh. Ramesh Kumar, 12/18, Shakti Nagar, Delhi	
301	1190/28	Mrs. R.K. Singh, Officer in Charge Regional Kitchen Godown Ghraunda.	

302	1191/28	Sh. Om Parkash S/o Sh. Deep Chand V.P.O. Bhoar, Ambala	
303	716/38	Sh. Sunil Dutt Behl EP. 348 Jakum Pura Gurgaon	
304	717/28	Mrs. Veena Dua W/o H.R. Dua, Advocate, I/C 46A, NIT Faridabad	
305	327/19	Smt. Kamal Chopra W/o Vijay Chyopra 302 S.T. Road, Chamber Bombay.	
306	1191/19	Sh. Ashwani Kumar Sethi L-116, Kirti Nagar, New Delhi	
307	38/8	Sh. Kaidar Nath S/o Sh. Kanhiya Lal V.P.O. Nuh, Gurgaon	
308	744/8	Sh. Didar Singh, Asstt. Ministers Car Section, Sec. 17, CHD.	
309	763/8	Sh. Harish Chander Verma, J.E. Sub. Division No. 6, HUDA, Panchkula	
310	748/8	Sh. Pardeep Batra, 116 Sukhdev Nagar, Panipat	
311	719/8	Sh. Kanwal Kishore, lect. Govt. College. Faridabad	
312	824/8	Sh. Sharat Bhushan Kansra, Engg. C/o Sh. Amar Lal H.No. 1084/20B,	

		Chandigarh	
313	826/8	Achala Cowshish, PRO public Relation, Haryana	
314	1561/8	Sh. Subhash Chand 139-L Model Town, Rohtak	
315	1432/8	Sh. Hari Om S/o Babu Ram Vill. Pingwan, Teh. Ferozepur Zhirka, Gurgaon	
316	1436/8	Sh. Ram Gopal S/o Ram Dayal Vill. Pingwan, Gurgaon	
317	1507/8	Sh. R.S. Khurmi, J.E. PWD, Nuh	
318	1640/8	Sh. Tara Chand Aggarwal opposite Railway Station, Faridabad	
319	1643/8	Sh. Kumar Jaidev Arya, Jharia Mkt. Amar Nagar, Faridabad	
320	1512/8	Sh. A.B. Bhatia 5K/4, NIT Faridabad	
321	1306/8	Sh. Sube Singh Dagar Asstt. Home Branch, Haryana Civil Secretariat Chandigarh	
322	1329/8	Sh. Virender Kumar Sood, 16-A/200 Faridabad.	
323	708/37	Smt. Peetpal Kaur, H.No. 268, Sec.	

		11, Chandigarh	
324	2143/7	Sh. M.S. Josaf C/o Sh. R.S. Nayyar H.No. 32, Sect. 22, Faridabad	
325	167/9	Sh. Babu Lal Gupta Advocate, Ballabgarh	
326	1294/14	Smt. Raj Dulari C/O Hitkari Potteries, Industrial Area, Faridabad	
327	898/7	Sh. R.P. Gupta, S.E. of Mines, Jayant Project, Singrauli, M.P.	
328	1982/28	Dr. H.S. Verma, H.No. 805, Sec. 15A, Faridabad	
329	646/21A	Sh. R.K. Ranga IAS, Chief Administrator, Faridabad Complex Administration, Faridabad	
(b) Persons who have been allotted plots but but allotment letters are yet to be issued.			
330	861/28	Sh. Sh. Ragbir Singh Son of Sh. Krishan lal, Vill. Lakhi Distt. Faridabad	
331	31/8	Sh. Kuldip Singh, H.No. 3175/27D Chandigarh	
332	35/8	Sh. Ramesh Chander S/o Sh. Kirori Kal, qusba Nuh, Gurgaon	

333	33/8	Sh. Arvind Kumar Singh S/o Sh. Lalan Singh C/o Sh. Khem Chand, Driver, Civil Hospital, Nuh	
334	22/8	Sh. Moti lal S/o Radhe Lal Vill. Mitrol, P.O. Aurangabad, Faridabad	
335	36/8	Kailash Chander S/o Sh. Ram Kumar, Transporter Nuh, Gurgaon	
336	768/8	Mohd Hanif C/O M/S Cetestial Engg. Works Pvt. Ltd. Ballabgarh	
337	756/8	S.N.H. Zidi, Librarian Govt. College, Nagina, Gurgaon	
338	769/8	Smt. Vijay Laxmi W/o Vijay Singh, V.P.O. Bharawas Teh. Rewari, M.Garh	
339	789/8	Sh. Madan Gopal Mittal S/o Sh. Nans Raj, Mandi Dabwali, Hissar.	
340	830/8	Sh. Y.S. Kawatra, 3-A/93, NIT, Faridabad	
341	747/8	Sh. Sham Singh S/o Sh. Nathi V.P.O. Mohana, Teh. Ballabgarh	
342	832/8	Sh. Ashok Sehgal 6-C-85, NIT Faridabad	
343	827/8	Sh. Ashok Kumar bhatia, 11/57, NIT Faridabad	

344	770/8	Smt. Vishal Devi C/o Rao Bhoop Singh V.P.O. Dharuhera, Teh. Rewari	
345	1158/8	Sh. Sumera S/O Khehru Vill. Mitrol, P.O. Aurangabad, Faridabad	
346	1301/8	Sh. Nand Lal Nirbey S/O Sh. Ghasita Mal Sharma, V.P.O. Bahin Block Hathin.	
347	891/8	Smt. Kashmiri Devi W/o Late Sh. man Singh, Vill. Mitrol, P.O. Aurangabad (Faridabad)	
348	756/8	Smt. Satya Bal Sevika D/o sh. hari Singh, Vill. Baroda.	
349	823/8	Sh. Chander Bhan, Tatwari Chkbandi Section Canal Colony, Sect. 16 A, Faridabad	
350	51/8	Sh. Dilbagh Singh 5-D/107, NIT Faridabad	
351	247/8	Sh. Makhan Singh 5-D/107, NIT Faridabad	
352	32/8	Sh. M.B.K. Dhawan C/o Sh. S.L. dhawan & Co. Railway Station, Faridabad	
353	755/8	Sh. Ravinder Kumar, 5-D/107, NIT	

		Faridabad	
354	761/8	Sh. Subhash Chander, H.No. 95 Railway Road, Faridabad	
355	765/8	Sh. S.K. Mediratta, 5/98, Nissen Hut, Faridabad	
356	1157/8	Sh. Ramesh Chand Batti, Afvocate, Ballabgarh	
357	1294/8	Sh. M.M. Lal, 68 New Colony, Railway Road, Faridabad	
358	1310/8	Sh. Om Parkash C.I.D. Deptt. Haryana Faridabad	
359	1349/8	Sh. Raj Roop Singh Inspector, C.I.D. Faridabad	
360	26/8	Sh. Opinder Khajuria Regional Manager J & K Bank Ltd. New Delhi	
361	764/8	Sh. Charanji Lal Sager, H.No. 55/33-A, Chandigarh	
362	24/8	Sh. R.P. Khanna, I.A.S. Secy. Commission for Scheduled Castes Tribes, Ministry of Home Affairs, Govt. of India, New Delhi	
363	934/37	Smt. Jaswanti kaur, 226, Raja Garh, New Delhi	

364	935/37	Sh. Parbhat Chand, Asstt. Dept. of Agriculture Haryana, Chandigarh	
365	982/37	Sh. Dinesh Kumar Bhambri, B-627, Sect. 7, Faridabad	
366	983/8	Sh. Tirlok Chank Saxena near Wine Sales Corp. Faridabad	
367	707/37	Sh. Ravinder pal Singh C/o Ajay kumar Kothi No. 31 Sect.-18-A, Chandigarh	
368	240/29	Sh.Abdul Rehim, Vill. Tingaon P.O. Pinwan Teh. Ferozepur Zhirka, Gurgaon	
369	238/29	Sh. Abdul Rashid Vill. Tingaon P.O. Pinwan Teh. Ferozepur Zhirka, Gurgaon	
370	237/29	Sh. Ramzan Khan Sarpanch Vill. Tingaon P.O. Pinwan Teh. Ferozepur Zhirka, Gurgaon	
371	236/29	Mohd. Liyas S/o Sultan Kban Vill. Bai Teh. Nuh, Gurgaon	
372	235/29	Sh. Des Raj S/o Sh. Moti kothi no. 463, Sect. 37-A Chandigarh	
373	234/29	Smt. Bhagwanti S/A118, NIT, Faridabad	

374	233/29	Smt. Vimla Bhadana V.P.O. Anangpur, Faridabad	
375	232/29	Sh. Maha Sigh peon to Dy. principal Secy. to C.M. Haryana	
376	231/29	Sh. Vijay Pal Sect. 5 1699 R.K. puram New Delhi	
377	230/29	Sh. Nawab Khan, S/o Ibrahim, Vill. Sirohi Teh. Ballabgarh, Faridabad	
378	229/29	Smt. Laxmi Devi W/o Vijay Kumar Gupta V.P.O Tauru, Gurgaon	
379	228/29	Smt. Prabha Devi W/o Surender Kumar Gupta, V.P.O Tauru, Gurgaon	
380	227/29	Smt. Saroj Gayal W/o Sh. Naresh Chand V.P.O. Tauru, Distt. Gurgaon	
381	226/29	Sh. Suresh Chand S/o Sh. Shyam Sunder V.P.O Tauru, Gurgaon	
382	225/29	Sh. Ishwar Dass Chopra, 50/107, C/o Makhan Singh, NIT Faridabad	
383	224/29	Sh. K.M. Gujjar, Qr. No. 179, Sect. 15, Faridabad	
384	223/29	Sh. Siri Chand Hira Lal Siri chand Commission Agents, Railway	

		Station, Faridabad	
385	222/29	Sh. Jaswant Mittal GF-1508, Sect. 16, Faridabad	
386	221/29	Sh. Anoop Anand, IC-45, NIT, Faridabad	
387	759/29	Sh. Prem Dutt Sharma, Asstt. D.C. Office, Faridabad	
388	726/29	Sh. G.K. Dhawan, 5/95, Nissen Hut, Faridabad	
389	725/29	Smt. Sharda Gupta I-F/37 Fudwar Road, Faridabad	
390	724/29	Smt. Malti Devi D/o Late, Kr. Gundatt Singh V.P.O. Kurali Teh. Ballabgarh, Faridabad	
391	722/29	Mrs. Daljit Kaur D-28, Defence Colny, New Delhi	
392	722/29	Sh. Ashok Jain punjab National bank Sect-17, Chandigarh	
393	721/29	Sh. Vishal Singh Malik Advocate 72, Sect. 5, Chandigarh	
394	720/29	Sh. Narinder Singh bhati S/o Late Sh. Gurdatt Singh V.P. Kurali Teh. Ballabgarh Faridabad	

395	719/29	Sh. Banwari lal ex- Chairman	
396	718/29	Sh. Subash Goel S/o Sh. Hardwari Lal Goel V.P.O. Tauru Gurgaon	
397	717/29	Sh. Sudhir Aggarwal Kailash Colony, New Delhi	
398	213/29	Smt. Neelam Chaudhary, 10-F, Vijay Nagar, New Delhi	
399	70/29	Sh. Bhal Singh Malik Advocate H.NO. 72, Sect. 5-B, Chandigarh	
400	69/29	Mrs. pusha Arora, W/o Capt, Vindo Arora ID, 74 NIT, Faridabad	
401	8/29	Dr. Mrs. Arvind Arora, B-25/C DIF Colony, Sunder Singh Marg, Gurgaon	
402	9/29	Sh. Harmit Singh S/o sh. Harpal H.No. 108/25, chandigarh	
403	11/29	Sh. V.K. Yash Roy Chief Engg. Irrigation Dept. Haryana	
404	10/29	Sh. Manorma gupta W/o Sh. A.N. Gupta SEWC Feeder Alipur Road, New Delhi	
405	972/9	Sh. Sarfraz Khan K.N. 117, Sector 18-A, Chandigarh	

406	1276/9	Sh. Mohd. Yamin Advocate, Nuh, Gurgaon	
407	2117/28	Mrs. Sudha Rani, 121/15, Faridabad	
408	463/8	Sh. Anil Chadda 1/A/250, NIT, Faridabad	
409	769/8	Sh. R.C. Girdhar 696/20-A, Chandigarh	
410	2044/8	Sh. Khazan Singh, Master S/o Sh. Bhikkan Singh V.Sihol, Teh. Palwal, Faridabad	
411	763/8	Sh. Suraj Bhan S/o Sh. Lajja Ram, SS Master, Higher Sec. School, palwal	
412	589/37	Smt. Sarla Devi W/o Sh. Sukhbir Singh, Haryana Tourism quarter, Badkal lake Faridabad	
413	1450/8	Sh. L.N. Vachaspati, H.No. 632/16-A, Faridabad	
414	1505/8	Sh. Fazal Ahmed Khan, 112/8, New Delhi Colony Palwal	
415	1508/8	Sh. Mohinder Singh Rawat, Rawat House, by pass Palwal, Faridabad	
416	10/10/8	Sh. Trilok Chand S/o Hirday Ram,	

		Vill. Ferozepur Zhirka, Gurgaon	
417	1511/8	Sh. Prem Chand S/o Hirday Ram jain, Vill. Ferozepur Zhirka, Gurgaon	
418	1357/8	Sh. Baldiwakar hans Arya Smaj, Hodel Faridabad	
419	1513/8	Sh. Daya Nand Gurman, C/o Co-oeration Minister Haryana, Chandigarh	
420	1437/8	Sh. Y.S. Kwatra 3-A/193, NIT, Faridabad	
421	1517/8	Sh. Tara Chand S/o Sh. Pyara Lal, V.P.O. Mandkola Teh. Hathin, Faridabad	
422	2143/7	Sh. Rozdar Khan, Masjid, bata Chowk, NIT, Faridabad	
423	1276/9	Sh. Rachita Nayya, H.No. 315, Sect. 7, Panchkula	
424	745/8	Sh. S.U. Khan, 737/15-A, Faridabad	
425	779/8	Sh. P.P. Bhambri, XEN (OP), 6EB Twon hall, Road, Nangal Township	
426	776/8	Sh. Ranvir Singh S/o Bhola Singh, 1247/15-B, Chandigarh	

427	754/7	Sh. O.P. Khandalwal, Lect. in Physics, Govt. College, Gurgaon	
428	642/7	Sh. D.C. Kaushik C/o H.No. 1246, Sec. 16, Faridabad	
429	2139/7	Sh. Gian Chand Advocate, Nuh, Gurgaon	
430	1779/8	Sh. Sushil Kumar Mittal, H.No. 1508, Sec. 16, G.F., Faridabad	
431	40/9	Smt. Mehchandi Dhanpati Devi, V.P.O. Baroli, Ballabgarh	
432	548/9	Mrs. Kamla Chaudhri W/o Sh. I.P. Chaudhri Presiding Officer, labour Court, K.No. 8 Sec. 16, Faridabad	
433	868/15A	Smt. Jyoti Gulati D/o Ami Chand Dua, H.No. 2-H/56, NIT, Faridabad	
434	423/17	Sh. Om Parkash-9, Krishan Mohan Marg, New Delhi	
435	587/17	Sh. Razan Zed, Staff Correspondence, India Express, Opp. Model School, Rohtak	
436	13/21B	Smt. Natasha ranga, 8 Teen Murti Marg, New Delhi	
437	897/28	Sh. Mohd. Istaq, V.Dhauj, P.O. Dhaujm Teh. Ballabgarh, Distt.	

		Faridabad	
438	284/37	Dr. Ropla Kukress 198/44 Ramesh Mkt. New Delhi	
439	984/37	Sh. Kiran pal Singh, 1141-F, Sect. 7, Chandigarh.	
440	510/37	Sh. Ashok Kumar 108, Sect. 11, Chandigarh.	
441	2000/28	Sh. Shashi Bhatia, H.No. 18/74-A, NIT, Faridabad	
442	1214/28	Sh. Amar Nath Sharma, Asstt. Cane Devel. Officer, Yamunanagar	
443	565/28	Sh. Nand Kishore Mehta, Plot No. 28, Janakpuri, New Delhi	
444	718/28	Sh. Ram Kumar Vill. Karsan, Kaithal	
445	1213/28	Smt. Shakuntla Ex-M.L.A. Rewari	
446	567/28	Sh. Ajay Kumar Gupta, 1551, Sect. 15, Faridabad	
447	1508/28	Sh. Satbir Singh 63, Sect. 7, Faridabad	
448	566/28	Sh. L.M. Mittal Sub-Judge, Faridabad	

449	61/15A	Smt. Saroj Bala	

STATEMENT II

Sr.	Name of the Estate	Residential			Industrial			G.Total		
		General category	Discy quota	Total	General category	Discy quota	Total	General category	Discy quota	Total
1	Distt. Faridabad U.E. Faridabad	885	8	893	-	-	-	885	8	893
2	Distt. Gurgaon U.E. Gurgaon	130	5	135	4	-	4	134	5	139
3	Distt. Mohindergarh Industrial Area Djaijera Rewari	- -	- -	- -	- 62	- -	- 62	- 62	- -	- 62

4	Distt. Karnal									
	U.E. Karnal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	U.E. Panipat	617	-	617	-	-	-	617	-	617
5	Distt. Sonepat	-	5	3	-	-	-	-	3	3
	U.E. Sonepat									
6	Distt. Rohtak									
	U.E. Rohtak	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	U.E. Bhadurgarh	-	-	-	255	-	255	255	-	255
7	Distt. Ambala									
	U.E. Ambala	22	2	25	-	-	-	22	3	25
	U.E. Panchkula	87	-	87	371	-	971	458	-	458
8	Distt. Kurukshetra	327	14	341	-	-	-	22	2	25
	U.E. Kurukshetra									
9	Distt. Hissar									
	U.E. Hissar	74	6	80	-	-	-	327	14	341
10	Distt. Jind									

	U.E. Jind	1634	50	1684	-	-	-	1634	50	1684
	G.Total	3770	89	3865	692	-	692	4468	89	4557

श्री मूल चंद मंगलाः मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि प्लाटों की एलाटमैंट करने का क्या क्राइटेरिया है ? अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ मैं यह भी जानना चाहता हूं कि जिन लोगो को चण्डीगढ़ ओर दिल्ली मे पहले मकान या प्लाटस एलाट हुए है उनको अब फरीदाबाद मे भी प्लाटस एलाट हो गये है और लोग उन्हें ब्लैक मे बेच रहे है। क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि पलाट एलाट करने का क्या तरीका है ?

चौधरी खुर ीद अहमदः पहली सप्लीमेंटरी मे इन्होंने पूछा है कि प्लाट की एलाटमैंट का क्या क्राइटेरिया है। इस बारे मे मैं माननीय सदसय को बताना चाहूंगा कि प्लाटस देने मे कोई रेजिडैं ि ायल क्वालिफिके ान नही है। पहले अर्बन एस्टेट प्लाट एलाट करती थी अब हुड्डा एलाट करता है। पहले हम जो प्लाट एलाट करते थे वह फर्स्ट कम फर्स्ट सर्वड बेसिज के आधर पर करते थे लेकिन अब लाटरी के आधार पर करते है। इसके लिये हम बाकायदा अखबारों के अंदर एडवर्टाईजमैंट करते हे कि हमारे पास फलां जगह पर इतने प्लाटस अवेलेबल है और सभी प्लाटस लाटरी के आधार पर एलाट करते है। जिन व्यक्तियों को मकानो की सख्त आव यकता होती है उनको हम अपने डिस्क्रि ानरी कोटे मे से दे देते है। यह कोई भार्त नही है कि किसी व्यक्ति के

पास एक जगह पर मकान या प्लाट है तो उसको दूसरी जगह पर न मिले। तीसरे इन्होंने यह कहा कि कुछ लोग ब्लैक मे अपने प्लाटों को बेच देते है। हमने इस बात की भार्त लगाई थी कि जिन लोगों को डिस्क्रि ानरी कोटे मे से पलाट एलाट किये जायेंगे वे अपने प्लाटों को बेच नही सकेंगे। लेकिन कुछ लोग कोर्टस मे चले गये और बाद मे यह तय हुआर कि यह उनका फण्यडामैंटल राईट है because under the law of the land no restriction can be imposed. यह उनकी अपनी निजी प्रौपटी है और वे अपनी सम्पति को बेच सकते है। अब अक्तुबर, 1980 से हमने यह फैसला लिया है कि जिनको डिस्क्रि ानरी कोटे मे से जो मकान या प्लाट अलाट किये जायेंगे वे उनको तीन साल तक नही बेच सकेंगे।

श्री मूल चंद मंगलाः मंत्री महोदय ने अपने जवाब के बी भाग मे कहा है कि अनसोल्ड प्लाटों की संख्या 10555 है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इनमे से डिस्क्रि ानरी कोटे के कितने प्लाटस है ?

चौधरी खुर ीद अहमदः इन्होंने अपने सवाल के बी पार्ट मे यह पूछा था–

"(b) the number of unsold plots in the State with HUDA as on 1.7.1979".

मैं माननीय सदस्य को 1–7–79 को जितने प्लाटस अनसोल्ड थे उनका जिला वाईज विवरण बता देता हूं:–

जिले का नाम	जनरल कोटा	डिस्क्रि ानरी कोटा
फरीदाबाद	437	410
गुड़गांव	28	—
महेन्द्रगढ़	—	—
करनाल	1	20
पानीपत	617	—
सोनीपत	11	—
रोहतक	3309	—
बहादुरगढ़	43	—
अम्बाला	22	4
पंचकूला	1042	46
कुरूक्षेत्र	618	—
हिसार	616	—
जींद	2685	—

अध्यक्ष महोदय, ये फिगर्ज जिला वाईज पलाटस की है। इसी तरह से डिस्ट्रिक्टवाईज इंडस्ट्रियल प्लाटस भी लोगों को

दिये हुए हे जैसे कि फरीदाबाद मे 23 दिये है। लेकिन There is no discretionary quota in industrial plots.

चौधरी राम लाल वधवाः उन्होंने यह पूछा था कि टोटल प्लाटस अवेलेवल कितने थे ?

चौधरी खुर ीद अहमदः वह भी मैं बता देता हूं।

चौधरी राम लाल वधवाः मौजूदा पोजी ान जो इस बारे मे है, वह भी बता दीजिये और क्राइटेरिया भी बता दीजिये।

चौधरी खुर ीद अहमदः क्राइटेरिया मे कोई रेजीडैं ियल क्वालिफिके ान्ज नही है। जिसको जिस अरबन एस्टेट मे प्लाट की जरूरत हो, उसको दिया जा सकता है। इस पाबंदी के साथ कि वह डिस्क्रि ानरी कोटा से अलाट हुआ प्लाट को तीन साल तक नही बेच पायेगा। It is the absolute discretion of the Govt. of allot any plot to any one out of the discretionary quota.

Dr. Mangal Sein: We want to know, theat are shose siscretions.

Chaudhri Khurshid Ahmed: 'Discretion' is a simple word which can be seen in the dictionary.

चौधरीी राम लाल वधवाः स्पीकर साहब, मैं फाइनैंस मिनिस्टर महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या कोई ऐसी कंडी ान है कि अगर किसी के पास आलरेडी किसी अरबन एस्टेट मे प्लाट हो तो वह दूसरा प्लाट नही ले सकता ?

Mr. Speaker: Is there any limit on the number of plots which can be allotted to any person?

चौधरी खुर ीद अहमदः स्पीकर साहब, रैगुले ान्ज मे तो कोई लिमिट नही है लेकिन जनरली हम यह देखते है कि किसी को डबल अलाटमैंट न होने पाये।

चौधरी सतबीर सिंह मलिकः स्पीकर साहब फाईनैंस मिनिस्टर साहब ने स्टेटमैंट (1) के भाग 'ए' मे यह बताया है कि 329 आदमियों को डिस्क्रि ानरी कोटा से प्लाट अलाट किये गये है क्योंकि सवाल मे यह पूमछा गया था कि फरीदाबाद काम्पलैक्स मे डिस्क्रि ानरी कोटा मे से कितने प्लाट कितने आदमियों को दिये गये है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि उन 329 आदमियों को प्लाट अलाट करने का क्राइटेरिया क्या एप्लाई किया गया जो मंत्री महोदय ने अपनी डिस्क्रि ान इस्तेमाल की और उनको प्लाट अलाट कर दिये ?

चौधरी खुर ीद अहमदः अपना डिस्क्रि ान उनकी जरूरत को देखते हुए यूज किया गया।

श्री बलदेव तायलः स्पीकर साहब, अलाटमैंट के वक्त पर एक एफीडैविट लिया जाता था जिसके अंदर एप्लीकैंट या प्लाट अलाटी को यह एफीडैविट देना पड़ता था कि उसके पास किसी अरबन एस्टेट मे काई पलाट नही है ओर उसका काई मकान चंडीगढ़ मे नही है तीसरे यह एफीडैविट देना पड़ता था कि उसका दिल्ली मे कोई मकान या प्लाट नही है। इतना ही नही, हिन्दु

ज्वायंट फैमिली के पास भी नही है, यह भी एफीडैविट देना पड़ता था। क्या मंत्री महोदय यह बताने का कश्ट करेंगे कि वह एफीडैंविट लेना बंद कर दिया गया है या अभी भी लागू है ?

चौधरी खुर ाीद अहमदः 'हुडा' के रैगुले ान्ज मे कोई ऐसा एफीडैविट देने की जरूरत नही है।

चौधरी रिजक रामः मंत्री महोदय ने जो डिस्क्रि ानरी कोटे से अलाट किये गये प्लाटस के अलाटीज के नाम दिये है, उसमे एक सुरेन्द्र सिंह एम.एल.ए. का नाम 136 सीरियल नम्बर पर दिया गया है । हमारे हाउस मे दो सुरेन्द्र सिंह नाम के एम.एल. एज है, क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि यह कौन से सुरेन्द्र सिंह के नाम अलाट हुआ है ?

चौधरी खुर ाीद अहमदः यह जो श्री सुरेन्द्र सिंह लिखा हुआ है, इसकी डिटेल्ज देख कर मुझे पता लगा है कि यह श्री सुरेन्द्र सिंह ओझला के नाम पर प्लाट अलाट हुआ है।

डा. मंगल सैनः मंत्री महोदय ने अपने जवाब मे यह फरमाया है कि वे मोटे तौर पर यह देख लेते है कि एप्लीकैंट के पास कोइ मकान या प्लाट पहले तो हनी है। उनके रिटन रिप्लाई मे 134 सीरियल नम्बर पर चौधरी भजन लाल, चीफ मिनिस्टर हरियाणा का नाम भी लिखा हुआ है। क्या इनके बारे मे असरटेन कर लिया गया है कि इनका कोई मकान नही है?

चौधरी खुर ीद अहमदः अरबन एस्टेट मे कोई नही है। (व्यवधान व भाोर)

(इस समय बहुत से सदस्य सवाल पूछने के लिये खड़े हो गये) (व्यवधान व भाोर)

श्री अध्यक्षः आप सब बैठिये। There have been enough of supplementaries on this question. We now go to the nex question.

Rape cases in the State

***2044. Chaudhri Bhag Mal:** Will the Minister for Home be pleased to state—

(a) the districtwise number of rape cases sregistered during the period from 1966 to date in the State together with the numebr of Harijan rape victims amongst them;

(b) the total number of persons againt whom the cases referred to above were registered together with the number of police prsonnel out of them; and

(c) the action so far taken againt the assused persons together with the present position of the said cases?

Home Minister (Shri Kanhiya Lal Poswal):

(a), (b) & (c) A statement is placed on the Table of the House.

STATEMENT

(a) In all, 828 cases of rape were registered in Haryana State during the period from 1st Jan. 1966 to 28th Feb. 1981. Out of 828 cases Harijans were victims in only 210 cases. The district wise details of rape cases alongwith the numebr of Harijan victims is given below:-

Distt.	Number of cases Registered	No. of Harijan Victims
Ambala	119	30
Kurukshetra	54	10
Karnal	148	26
Sonepat	66	13
Gurgaon	33	9
Faridabad	37	5
Rohtak	84	33
Hisar	137	43
Bhiwani	40	9

Narnaul	33	6
Sirsa	27	11
Jind	50	15
Total	828	210

(b) In the above 828 cases, 1219 persons were the accused and out of them 29 persons were from the Police department.

(c) The action taken and present position of 828 cases of rape is given below:-

(i) No. of cases registered	828
(ii) Cancelled	96
(iii) Untraced	25
(iv) Convicted	235
(v) Acquitted	368
(vi) Under Trial	74
(vii) Under Investigation	30

चौधरी भाग मलः स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने सवाल के भाग (बी) के जवाब मे यह बताया है कि पुलिस के 29 आदमी भी रेप के केसिज मे इन्वाल्वंड है। मैं यह जानना चाहता हूं कि

इनमे कितने एस.आई. या इससे ऊपर के रैंक के आदमी इन्वाल्वड है ?

श्री कन्हैया लाल पोसवालः सर, इनमे ए.एस.आई. रैंक के ऊपर का कोई आदमी नही है।

चौधरी रिजक रामः स्पीकर साहब, मैं गृह मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि जब से ये मंत्री बने है, रेप के केसिज मे बढ़ौतरी हुई है या कुछ कमी हुई है ?

श्री कन्हैया लाल पोसवालः अब ऐसे केसिज रिपोर्ट होने लगे है। लोगों को हौंसला हो गया है जिस की वजह से वे ऐसे केसिज रजिस्टर करवाने लगे है।

डा. मंगल सैनः स्पीकर साहब, इनके महकमा संभालते हीं देखिये कैसे पोजी ान सुधरी है 828 रेप केसिज मे 1219 आदमी इन्वाल्वड है और इनमे हरिजन बालायें जिनके साथ बलात्कार किया गया है उनकी संख्या 210 है और हरियाणा मे सबसे ज्यादा ऐसे रेप केसिज हिसार जिले मे हुए हैि जन की संख्या 43 है। क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि हरिजना बालाओं के ऊपर इतने जुल्म होने के क्या कारण है ?

श्री कन्हैया लाल पोसवालः यह फिगर्ज पिछले 15 सालों की है। इतने लम्बे अर्से मे इतने केसिज होना कोई खास बात नही है। फिर उस सयम हिसार मे सिरसा भी भाामिल था।

चौधरी संत कंवरः मंत्री महोदय ने बताया है कि 96 केसिज कैंसिज हुए है और 25 केसिज अन्ट्रेस्ड रहे। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि 96 केसिज जो कैंसिल हुए है वे क्या सरकार ने या पुलिस ने अदालत से विदड्रा कराए है और जो 25 केसिज अन्ट्रेस्ट रहे क्या ये पुलिस की इंन्एफीि ाएसी के कारण अन्ट्रेस्ट रहे ?

श्री कन्हैया लाल पोसवालः स्पीकर साहब, कभी कभी केसिज की ऐवीडेन्स नही मिलती। मुदई कोई मे हाजिर नही होता इसलिये ऐसे केसिज विदड्र कर लिए जाते है।

चौधरी संत कंवरः स्पीकर साहब, ऐसा होता है कि लोग वे इज्जती की वजह से कोई मे हाजिर नही होते क्योंकि अगर कोर्ट मे जायेंगे तो वहां पर उनकी लड़कियों की या औरतों की बदनामी होती है। क्या सरकार इस बात का इंतजाम करेगी कि जिस केस मे पुलिस को तसल्ली हो जाये कि वाकई बलात्कार हुआ है और लड़की वाले बे इज्जती की वजह से कोई मे नही जाना चाहते, ऐसे केसिज मे सरकार कोई और कार्यवाही करने पर विचार करेगी ?

श्री अध्यक्षः आप कोई सुझाव दे देना। जब कोई केस कोर्ट मे ही नही जायेगा और गवाही नही मिलेगी तो गवाही के बिना कोई कार्यवाही कैसे हो सकेगी ? इसलिये आप इस बारे मे कोई सुझाव दे देना कि गवाही के बिना केस कैसे चल सकता है।

चौधरी हरस्वरूप बूराः मंत्री महोदय ने बताया है कि पुलिस के कुछ औफिसर्ज एंड औफि ायल्ज बलात्कार मे इंवौल्व है। क्या मंत्री महोदय इस बात को देखते लेडी पुलिस की रिक्रूटमैंट बढ़ाएंगे ताकि लेडीज को लेडीज ही पकड़ सके।

श्री कन्हैया लाल पोसवालः स्पीकर साहब, अभी भी काफी लेडीज है, अगर ज्यादा की जरूरत महसूस होगी तो देख लेंगे।

चौधरी राम लाल वधवाः क्या मंत्री महोदय ईयरवाइज फिगर दे सकते है कि किस किस साल मे कितने बलात्कार के केसिज हुए है ?

Mr. Speaker: I think it wil take too much time to give year wise information. Therefore, I disallow this question.

कुछ आवाजें: स्पीकर साहब, वे बता रहे है।

श्री अध्यक्षः अगर वे बता रहे है तो इनकी काबलियत है लेकिन मेरे विचार मे सारे सालों की फिगर्ज देने की कोई जरूरत नही हे, सिर्फ दो सालों की बता दे।

श्री कन्हैया लाल पोसवालः स्पीकर साहब, मैं भाुरू से ही बता देता हूंः–

1966	26 केसिज	1973	55 केसिज

1967	32 केसिज	1974	51 केसिज
1968	41 केसिज	1975	40 केसिज
1969	51 केसिज	1976	52 केसिज
1970	48 केसिज	1977	76 केसिज
1971	49 केसिज	1978	68 केसिज
1972	49 केसिज	1979	79 केसिज
		1980	98 केसिज
		1981	13 केसिज

श्री भले राम: मंत्री महोदय ने बताया है कि 828 केसिज बलात्कार के हुए है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि ये सभी केसिज औरतो के साथ बलात्कार के है या इनमे लड़कों के साथ बलात्कार के भी केसिज भाामिल है ?

Mr. Speaker: No Question, I disallow this supplementary.

स्वामी अग्निवे I: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने बताया है कि 828 केसिज बलात्कार के हुए है और ये सभी बलात्कार के केसिज स्वर्ण जातियां तथा हरिजनों की लड़कियों के साथ हुए है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि क्या

इनमे से एक भी घटना किसी मिनिस्टर की लड़की के साथ, किसी औफिसर की लड़की के साथ या किसी सेठ की लड़की के साथ हुई है ? तमाम बलात्कार के केसिज गरीबों को लड़कियों के साथ ही होते है, ऐसा क्यो है ?

Mr. Speaker: No Question, I disallow this supplementary.

चौधरी राजेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने बताया है कि 235 केसिज मे कंविक ान हुई है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इन 235 की संख्या मे कोई पुलिसकर्मी भी भाामिल है और अगर है तो कितने पुलिसकर्मियों के खिलाफ डिपार्टमैंटल इंक्वायरी की गई है ?

श्री कन्हैया लाल पोसवालः स्पीकर साहब, कांस्टेबल प्रेम सिंह को पांच साल की सजा हुई है और कुछ के खिलाफ डिपार्टमैटल इंक्वायरी करके नौकरी से निकाला है। इस वक्त ऐग्जैक्ट फिगर मेरे पास नही है।

चौधरी ई वर सिंहः स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने बताया है कि 29 पुलिस कर्मचारी बलात्कार के केसिज मे इंवाल्व है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इन पुलिस कर्मचारियों ने थाने की जुरिस्डिक ान मे कितने केसिज बलात्कार के किये और थाने के बाहर कितने केसिज किए ?

Mr. Speaker: I think a notice is required.

चौधरी रिजक रामः 1979 और 1980 मे बलात्कार के जो केसिज हुए उनके लिये मैं होम मिनिस्टर को कांगरेचुलेट करता हूं। (हंसी)

Deaths due to Hooch Tragedies

***2052. Dr. Mangal Sein:** Will the Minister for Excise and Taxation be pleased to state—

(a) the names and addresses of the persons who either died or were physically disabled separately in the Narwana, Hooch incident;

(b) the names and addresses of the persons from whom investigations were made by the Police in connecting with above said hoock incident; and

(c) whether the Govt. got conducted any enquiry about this incident; if so, the name of the officer who conducted the enquiry and the report given by him?

Home Minister (Shri Kanhiya Lal Poswal):

(a) The requisite list of deceased persons is laid on the Table of the Hosue. (Statement A). None was disabled.

(b) The requisite (Statement B) list is laid on the Table of the House.

(c) In connection with this incident, 5 cases were registered initially. Investigations were carried out by district Polce under supervision of Crime Branch, CID Haryana. Challans have been prepered and are under scrutiny with the propecution. Challan will be put in Court shortyly. No separate enquiry was ordered as the same was not considered necessary.

STATEMENT A

Name of persons died in Hooch Tragedy at narwana.

Sr. No.	Name	Father's Name	Resident of
1	Mihan Singh	Kirpa	Balarkha
2	Jagat Ram	Kanhiya Lal	Balarkha
3	Babu Ram	Giani Balmiki	Narwana
4	Didar Singh	Baru Ram	Dumerkha
5	Jagjit Singh	Anokh Singh	Narwana
6	Bala Ram	Bishan Balmiki	Narwana
7	Bhartu	Bhagat Ram	Narwana
8	Krishan Lal	Ram Chander	Narwana

9	Sajna	Phool Chand	Hatho
10	Raghu Nath	Narimal	Balerkhan
11	Ajmer Singh	Oma Chand	Lochab
12	Bhim Singh	Mangal	Lochab
13	Pirthi Chand	Rangi Ram	Kanhari
14	Kali Ram	Bhatha	Thimar
15	Ram Sarup	Rulia	Uchana
16	Moti	Udha Ram	Uchana
17	Prithi Singh	Munshi	Kalwan
18	Duni Chand	Harnam	Narwana
19	Ram Singh	Devi Singh	Narwana
20	Pari Chand	Mangu	Tohana
21	Ved Parkash	Har Paul	Narnaund
22	Ram Kishan	Sewak Ram	Narwana
23	Mangat Ram	Ram Lal	Durjan Pur
24	Main Singh	Deva Singh	Itella
25	Raj Paul	Sish	Durjanpur Uchana
26	Ram Singh	Kartar Singh	Muzaffara

27	Mohinder Singh	Chanan	Narwana
28	Zile Singh	Debu	Durjanpur
29	Prithi	Santu	Sacha Khera

STATEMENT B

List of the persons arrested in connection with the Hooch Tragedy cases at Narwana

1. Rajir S/o gopi Ram Brahmin R/o Sisar P.A. Kalyat.
2. Bhaga S/o Ami Lal Jat R/o Ratha P.A. Narwana.
3. Om Parkash S/o Kaputi Mahajan R/o Narwana.
4. Om Parkash S/o Piara lal Mahajan R/o Narwana
5. Surinder Kumar S/o Om Parshad Mahajan R/o Narwana
6. Gurmohan Singh S/o Satnam Singh R/o Bhiwani.
7. Zile singh S/o Banwari JatR/o Kathura P.S. Baroda.
8. Ramji Lal S/o nathu Mahajan R/o Kalyat.
9. Prithi S/o Bhalay Ram Jhiwar R/o Kalwan.
10. Ajmer S/o Krishan Balmiki
11. Randhir S/o Budh Singh Jat R/o Mahangarh Uchana.
12. Mange Ram S/o Sh. Chandgi Jat R/o Uchana
13. Sat Kumar S/o narain Dutt R/o Uchana.

14. Satnam Singh S/o Tara Singh Arora Sikh R/o Narwana.

15. Krishan S/o Nathi Ram R/o Narwana.

16. Kaku Ram S/o Nathi Ram R/o Narwana.

17. Ram Chander S/o Sewa Ram Arora R/ Bhiwani.

18. Ram Dhari S/o Sh. Mange Chand Mahajan R/o Badarpur P.S. Narwana.

19. Jagdish Rai S/o Mange Ram Mahajan R/o Dadirpur P.S. Narwana.

20. Pale S/o Suraj Hairi R/o Narwana.

21. Hawa Singh S/o Kanshi Ram Jat R/o Danoda P.S. Narwana.

22. Bhim Singh S/o Ram krishan Jat R/o Danoda.

23. Tek Chand S/o Karta Mahajan R/o Narwana.

24. Maman Singh, Ex. Inspector S/o Gulab Rai Mahajan R/o Farmana P.S. Meham Distt. Rohtak.

25. Sat Paul S/o Chandgi Mahajan R/o Kalwan.

26. Pala Alis Ram Paul S/o Ajmer Balmiki R/o chamtan P.S. Narwana.

27. Nand Lal S/o Ram Narain Arora, R/o Hansi.

28. Hem Raj S/o Chandi Ram R/o Tohana.

29. Sat Partap Gupta S/o Kashmiri Lal R/o H.No. 3802, Kanhya Nagar, New Delhi.

30. Sat narain Satta S/o narsi Mahajan R/o Balarkaan P.S. Narwana.

31. Ramdhir Singh S/o Devi Singh Jat R/o Karan P.S. Pundri, Kurukshetra.

32. Shamsher Singh S/o Lachhman Singh Rajput R/o Sudhan Khurd P.S. Kalayat.

33. Jai Narain S/o Mansa Ram Mahajan R/o narwana (absconder) arrested.

34. Bhushan Kumar S/o Madhu Dass R/o H.No. 306 Mukhirji Nagar, New Delhi.

35. Satish Kumar S/o Duli Chand Brahmin R/o H.No. 261 H Hardson Lines Kings way camp Delhi.

36. Mahabir S/o Bhagat Ram Mahajan R/o 13 Street, Kailash New Delhi/

डा. मंगल सैनः अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने 29 आदमियों की लिस्ट दी है जो भाराब पीकर मरे है या डिसऐबल्ड हुए है। मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जहरीली भाराब पीने से अंधे कितने हुए है और अंधों को डिस्ऐबल्ड माना जाता है या नही माना जाता है ?

श्री कन्हैया लाल पोसवालः स्पीकर साहब, अंधा कोई नही हुआ है।

Dr. Mangal Sein: I have seen with my own eyes, Sir, Shri Shamsher Singh was also there and he will support my version on the floor of this House कि कम से कम छः आदमी अंधे हुए है।

(इस समय कृशि मंत्री उत्तर देने के लिये खड़े हुए) (ाोर एवं व्यवधान)

एक आवाजः सुरजेवाला साहब कैसे जवाब दे सकते है। (ाोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: It is up to the Government. Any Minister can give a reply.

डा. मंगल सैनः स्पीकर साहब, भाराब पीने के बाद अंधे हुए है। श्री सुरजेवाला मे सच बोलने की जुर्रत होनी चाहिए।

कृशि मंत्री (श्री भाम ोर सिंह): स्पीकर सहाब, छः, सात या आठ आदमी जिनके बारे मे अंधा होने का भाक था, उनको नरवाला से मैडीकल कोलिज रोहतक ि ाफ्ट किया गया था। वहां से वे हफ्ता या दस दिन मे डिस्चार्च हो गये थे। कोई भी आदमी परमानैंटली ब्लाइंड नही हुआ।

डा. मंगल सैनः क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा नीलाम की गई दुकानों से भाराब खरीद कर पीने से जो लोग मरे है, उनको सरकार कोई मुआवजा देगी ?

श्री कन्हैया लाल पोसवालः स्पीकर साहब, वह सप्लीमैंटरी सवाल से संबंधित नही है।

डा. मंगल सैनः स्पीकर साहब, सवाल से संबंधित है।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): स्पीकर साहब, भाराब पीकर अगर कोई मर जाता है तो सरकार की उसको मुआवजा देने की कोई योजना नही है। (व्यवधान) । स्पीकर साहब, ऐसे आदमियों के परिवार को मुआवजा देने का सरकार विचार नही रखती।

डा. मंगल सैनः स्पीकर साहब, हूच ट्रेजडी के बाद मुख्य मंत्री महोदय ने अपने एक मंत्री को इस विभाग से हटाया और इसलिये हटाया कि उन पर यह इल्जाम था कि उन्होंने काकू राम को स्प्रिट का लाइसैंस दिया हुआ था। वह स्प्रिट बोतलो मे बंद करके भाराब के रूप मे बेचता था। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि उस काकू राम के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई है?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, काकू राम के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज किया गया था उसको गिरफतार किया गया था और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है।

डा. मंगल सैनः क्या मंत्री महोदय बताने की कुपा करेंगे कि स्प्रिट किसने दी थी ?

चौधरी भजन लालः स्प्रिट देने का कोई सवाल नही है।

डा. मंगल सैनः स्पीकर साहब, मुख्य मंत्री महोदय व कराधान मंत्री, राठी साहब यह बताने का कश्ट करेंगे कि काकू राम नाम के ठेकेदार ने अभी भी फरीदाबाद और दूसरी जगहों पर जो ठेके ले रखे है, क्या सरकार के नोटिस मे यह बात है ?

चौधरी भजन लालः स्पीकर साहब, ठेकों की नीलामी अभी तक चालू है और जो ठेकेदार ब्लैक लिस्ट हो गये है, उनको ठेके दने की इजाजत नही है। अगर कोई आदमी बेनामी ले ले तो फिर सरकार उसमे क्या कर सकती है?

Traffic Training Course at Bombay

***2038. Shri Fateh Chand Vij:** Will the Minister for Home be pleased to state—

(a) the number of plice officials sent to Bombay for traffic training course during the period from 1966 to date;

(b) the expenditure injhcurred on each of the officials as referred to in part (a) above; and

(c) the number of police officials out of those referred to in part (a) above who have been posted on traffic duty?

Home Minister (Shri Kanhiya Lal Poswal):

(a) Eighteen Sub Inspectors of Police/Asstt. Sub Inspectors of Police from November, 1966 to dat.

(b) Rs 250/- as free plus TA/DA admissible under the State Govt. Rules.

(c) Six Sub Inspectors/Assistant Sub Inspectors of Police have been posted in traffic (Enforcement) Staff.

श्री फतेह चंद विजः स्पीकर सहाब, मंत्री महोदय ने अपने जवाब मे कहा हे कि 18 सब इंस्पैक्टर और असिस्टैंट सब इन्स्पैक्टरर्ज ट्रेनिंग के लिये बम्बई भेजे गये थे और उन मे से केवल 6 आफिसर्ज ही यातायात स्टाफ मे लगाये गये है। जो आफिसर्ज ट्रेनिंग के लिये भेजे गये थे, उन पर सरकार का काफी खर्चा आया है। जो 12 आफिसर्ज ट्रेंड रहते है, उनको अभी तक ट्रैफिक डयूटी पर क्यों नही लगाया गया है?

श्री कन्हैया लाल पोसवालः स्पीकर साहब, हम तो यह चाहते है कि हमारे सारे आफिसज्र ट्रेंड हो, क्योंकि उनको कभी भी ट्रैफिक डयूटी पर लगाया जा सकता है। जो आदमी ट्रेंड होकर आते है, वे डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर्ज पर काम करते है। 6 आदमी तो हमने ट्रैफिक डयूटी पर लागा दिये है और दो आदमी अब भी स्पे ाल सक्वैड पर है। ऐसा ही एक और आदमी डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर पर ट्रैफिक डयूटी पर है।

श्री गुलजार सिंहः स्पीकर साहब, अभी मिनिसटर साहब ने बताया कि वे चाहते है कि उनके सारे आफिसर्ज ट्रेंड हो ताकि उनको कभी भी ट्रैफिक डयूटी पर लगाया जा सके। कया उनके नोटिस मे यह बात है कि क्या जो लोग ट्रेनिंग लेकर आये हुए है, उनमे से कई तो दूसरी डयूटी पर लगे हुए है, कई थानों मे लगे हुए है और जो अन ट्रेंड है, वे ट्रैफिक मे लगे हुए है?

श्री कन्हैया लाल पोसवालः स्पीकर साहब, हम कोि ा ा तो यह करते है कि जो अफिसर्ज ट्रेनिंग लेकर आये, उन्ही को ही ट्रैफिक डयूटी पर लगाये। ट्रेफिक डयूटी पर लगाये। ट्रेनिंग तो हम आलरेडी मधुबन मे सब को देते है लेकिन यह तो एफीि ाऐंसी बढ़ाने के लिये ट्रैफिक की स्पै ाल ट्रेनिंग दिलवाते है।

मास्टर ि ाव प्रसादः अध्यक्ष महोदय, ट्रेंड आफिसर्ज के होते हुए अनट्रेंड को ट्रैफिक की डयूटी मे लगाया हुआ है। क्या सरकार को ट्रेंड लोगो को ट्रैफिक मे न लगाने के लिये कोई कठिनाई आ रही है।

श्री कन्हैया लाल पोसवालः स्पीकर साहब, ऐसी कोई कठिनाई नही है।

श्री बलदेव तायलः अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जो अनट्रेंड आदमी ट्रैफिक के अंदर लगाये हुए है, उनकी संख्या कितनी है?

श्री कन्हैया लाल पोसवालः स्पीकर साहब, मैंबर साहेबान इसके लिये अलग से नोटिस दे। (ाोर व व्यवधान)

Shri Baldev Tayal: Sir, there is no need to give any separate notice. According to the Hon. Minister there were 9 posts and these have been filled in. (Interruptions) Sir, when there are trained persons, why the untrained persons have been posted?

श्री कन्हैया लाल पोसवालः सर मैं अनरेबल मैंबर को जानकारी के लिये बता देता हूं कि हमारा कोई भी आदमी अनट्रेंड नही होता। हम मधुबन मे सब को ट्रेनिंग करवाते है लेकिन ट्रैफिक ट्रेंनिग का यह तो स्पै ान कोर्स होता है, जिससे एफीि ाएंसी बढ़ती है, एफीि ाएंसी बढ़ाने के लिये इस ट्रेनिंग के लिये भेजे जाते है।

चौधरी रिजक रामः अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय ने अपने जवाब मे बताया कि आफिसर्ज की एफीि ाएंसी बढ़ाने के लिये फरदर कोर्स के लिये बम्बई भेजा जाता है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जो आदमी ट्रेनिंग लेकर आते है, अगर उनका ुायदा ही न उठाया जाये तो फिर उनको इस सपै ाल कोर्स मे भेजने का क्या लाभ है क्योंकि इससे सरकार का काफी खर्चा भी हो जाता है ?

श्री कन्हैया लाल पोसवालः स्पीकर साहब, मैं तो पहले ही अर्ज कर चुका हूं कि हमारे पास तो हमारे सभी आदमी

आलरेडी ट्रेंड होते है। यह तो केवल एफीि ाएंसी बढ़ाने के लिये ट्रेनिंग के लिये भेजे जाते है कि और एफीि ाएंसी बढ़े।

श्री मूल चंद जैनः स्पीकर साहब, इस प्र न पर इतनी सप्लीमैंटरी पूछी जा चुकी है और मिनिस्टर साहब बार बाद जवाब मे एक ही बात को दोहरा रहे है कि एफीि ाएंसी बढ़ाने के लिये फरदर ट्रेनिंग के लिये भेजा जाता है। जब आपने आफिसर्ज को ट्रेनिंग के लिये भेजा है तो यही कह दें कि आइंदा के लिये ट्रेंड आदमियों को लगायेंगे लेकिन मंत्री महोदय यह नी कहते कि आइंदा के लिये लगायेंगे। (ाोर)

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): स्पीकर साहब, जो आदमी ट्रेंड होकर हमारे पास यहां पर आते है, वे मधुबन मे हमारी जो बाकी फोर्स हैख उसको ट्रेनिंग देते है। इस तरह से उन आफिसर्ज की सर्विसिज का लाभ उठाया जाता है।

Shri Baldev Tayal: Sir, this is patently a wrong reply.

Mr. Speaker: Nex Question.

Damage to crops due to Hailstrms in the State

***2010. Chaudhri Ajit Singh:** Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) the district wise acreage of crops damaged due to the hailstorms during the year 1981 in the State

together with the names of the crops so damaged; and

(b) whether there is any proposal under consideration of Govt. to give any compensation or assistance for the crops damaged by the hailstroms referred to in part (a) above; if so, the details of the compensation per acre proposed to be given for each crop?

Revenue Minister (Chaudhri Sher Singh):

(a) The district wise detail of area of crops damaged alongwith the names of such crops is as under:-

Sr. No.	District	Crop area damaged (In acres)	Name of the crops mainly damaged
1	2	3	4
1	Narnaul	3083	Wheat, barley, Gram, Sarson, Gochani (Wheat and Gram), Tra Mira, Bejar (Gram and barley)
2	Hissar	18445	Wheat, Gram, barley, Mustard, Fodder and Tara Mira.
3	Jind	2996	Wheat, Gram, Barley, Mustard, Gochani

			and Barsim.
4	Sirsa	6166	Sarson.
5	Kurukshetra	50	Wheat.
6	Karnal	161	Wheat.
7	Gurgaon	1865	Sarson and Barley.
8	Faridabad	2114	Barley, Wheat, Arhar, and Sarson.
	Total	34880	acres

There has been no damage int he districts of Rohtak, Bhiwani, Ambala and Sonepat.

(b) The Govt. have decided to give gratuitous relief for the crops damaged by the hailstorm on the following scales:

(i) Where the loss to standing: Rs. 400 per damaged acre, crops excedds 75%

(ii) Where the loss to standing: Rs. 300 per damaged acre, crops excedds 50% but does not exceed 75 %.

(iii) Where the loss to standing: Rs. 200 per damaged acre, crops excedds 25% but does not exceed 50 %.

चौधरी अजीत सिंहः स्पीकर साहब, अभी मंत्री महोदय ने अपने जवाब मे टोटल खराबे का एरिया 34880 एकड़ बताया है। क्या वे बताने की कृपा करेंगे कि 75 परसैंट के ऊपर कितना खराबा हुआ, 51 से 75 तक कितना और 25 से 50 तक कितना खराबा हुआ ? दूसरा सवाल यह है कि क्यासरकार 25 परसैंट खराबे तक का कोई मुआवजा देने का विचार रखती है ?

चौधरी भोर सिंहः स्पीकर साहब, 25 परसैंट तक का खराब 13750 एकड़ था, 25 से 50 तक का खराबा 10935 एकड़ था, 51 से 75 तक का खराब 6829 एकड़ था और 75 परसैंट के ऊपर तक का खराब 3366 एकड़ था। जहां तक उनके दूसरे सवाल का ताल्लुक है, 25 परसैंट डैमेज तक सरकार का मुआवजा देने का कोई विचार नही है।

चौधरी संत कंवरः स्पीकर साहब, यह खराब तय करने की जो पावर्ज है, ये पटवारी के पास है, पटवारी लिखकर भेजता है, कि इतना खराबा हुआ है। मैं मंत्री महोदय से ये जानना चाहता हूं कि चूंकि पटवारी पार्टीवाजी मे इंवाल्व होता है इसलिये जितनी फसल खराब हुई हो, उसकी सही रिपोर्ट नही देता है। इसलिये इस बात का सही हल ढूंढने के लिये एग्रीक्लचर विभाग के ए.डी.ए. जोकि हर दो गांव के पीछे एक एक एप्वायंट किये होते है, उनको इस बात की जिम्मेवारी देने का सरकार का विचार है ताकि वह सही तरह से खराबे की लिस्ट बनाकर तहसील मे सबमिट करे और किसी को कोई गिला न रहे ?

चौधरी भोर सिंहः स्पीकर साहब, यह बात तो ठीक हे इकि खराबे के बारे मे पटवारी लिखता है लेकिन यह बात सही नही है कि पटवारी पार्टीबाजी मे इन्वाल्व होता है। इसी तरह से अगर एग्रीकल्चर के अधिकारियों को यह काम सौंप दिया जाये, तो वे भी ऐसी ही पार्टीबाजी मे इन्वाल्व हो सकते है। इसलिये सरकार की तरफ से यह हिदायतें है कि जो पटवारी लिखकर भेजता है, उस रिपोर्ट को तहसीलदार और नायब तहसीलदार चैक करेंगे और वैरीफाई करेंगे और फिर वह रिपोर्ट एस.डी.एम. के पास जाती है। एस.डी.एम. को हमारी तरफ से यह हिदायतें है कि वह पटवारी को रिपोर्ट को, जो तहसीलदार और नायब तहसीलदार ने वैरीफाई की होती है, चैक करे और इस बात को सर्टीफाई करें कि रिपोर्ट दरूस्त है। इस तरह का हमारा चैनल है। इसी तरीके से हम चैकिंग करवाते है।

Mr. Speaker: The Govt. should ensue that at least the naib Tehsildars or Tahsildars should physically go and check the extent of the damage caused.

राव बंसी सिंहः स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब लोक दल की सरकार थी तो उस समय 1977–78 मे ओले पड़ने की वजह से किसानों का जो नुक्सान हुआ था तो जिला महेन्द्रगढ़ मे 300 रूपये एकड़ के हिसाब से लोगो को पैसा दिया गया था जिसे अब वसूल किया जा रहा है लेकिन दूसरी तरफ जिला हिसार मे भी पैसा दिया गया था लेकिन उसे सबसिडी के तौर पर माना जा रहा है, यानी जिला

हिसार मे उस पैसे की वसूली नही हो रही है। तो यह अंतर क्यों है ?

श्री अध्यक्षः आपका मतलब यह है कि एक जिलें मे तो कर्जे के तौर पर पैसा दिया गया और दूसरे जिले मे ग्रांट के तौर पर दिया गया ?

राव बंसी सिंहः जी हां।

चौधरी भोर सिंहः स्पीकर साहब, ऐसी बात नही है, हमें ऐसा किसी ने नही बताया।

श्री अध्यक्षः अगर ऐसी बात है तो गवर्नमैंट को इसे चैकअप करना चाहिए।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): स्पीकर साहब, यदि ऐसा हुआ है जैसा कि राव बंसी सिंह जी ने बताया है कि 1977–78 मे महेन्द्रगढ़ जिले मे ओले पड़े और जो किसानो को पैसा दिया गया था वह वसूल हो रहा है, और जिला हिसार या सिरसा मे सबसिडी के तौर पर दिया गया और वहां पर वसूल नही हो रहा है। बिल्कुल ऐसी बात नही होगी। महेन्द्रगढ़ जिले मे अगर ओलों के नुकसान की वजह से पैसा दिया गया है तो उसे भी सबसिडी के तौर पर ट्रीट किया जायेगा।

स्वामी अग्निवे ाः अध्यक्ष महोदय, ओले, बरखा आदि की वजह से जो नुक्सान होता है उससे केवल किसानों को ही

हानि नही होती बल्कि मजदूर को भी नुक्सान होता है। सरकार जो किसान को मुआवजा देती है क्या उसमे मजदूर का हिस्सा रखने की भी कोई स्कीम है ? दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि हर साल कभी ओलो और कभी बाढ़ से नुक्सान होता रहता है। क्या सरकार फसल बोमे के अंतर्गत सारे हरियाणा की जो मुख्य फसले है, उनको नुक्सान से बचाने के लिये कोई स्कीम लागू करने का विचार रखती है ?

श्री अध्यक्षः स्वामी जी ने जो मजदूर की बात कही है, वह ठीक है लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि मजदूर की बजाये जो मुजारे है उनके ऊपर ज्यादा जुल्म होता है, क्योंकि खर्च तो मुजारे का होता हे और मुआवजा जमीन के मालिक को मिलता है।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, हम मुजारे को भी मुआपवजा दिलवाने की कोि ा ा करते है। लेकिन स्वामी जी की कहने की जो भावना थी वह यह थी कि जमीन का मालिक सीरी भी रखता है जिसको चौथा या पांचवा हिस्सा दिया जाता है। ओलों की वजह से जब नुक्सान होता है तो जमीन के मालिक को तो मुआवजा मिल जाता है लेकिन सीरी को नही मिलता। उसको भी हम उसके हिस्सें का मुआवजा दिलवाने की पूरी कोि ा ा करते है। हमने डी.सीज. को हिदायते दे रखी है कि जहां कहीं भी सारी साथ मे हो और जितना पैसा मुआवजे का उसका बनता है, उतना उसको दिलाने की कोि ा ा करें । (ाोर)

चौधरी उदय सिंह दलालः स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जहां ओलों से ुसल खराब हो जाये और पटवारी वहां की गिरदावरी कर ले, उसके बाद तहसीलदार और सब डिवीजनल आफिसर उसको ठीक समझ कर तसदीक कर दे और रिलीफ भी दे दी जाये तो क्या ऐसे केसिज को कोई अफसर रि ओपन भी कर सकता है?

चौधरी संत कवरः स्पीकर साहब, ठाकुर बीर सिंह जी पान चबा रहे है मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या हाउस मे बैठ कर पान चबाया जा सकता है ? (विघ्न)

चौधरी भोर सिंहः स्पीकर साहब, दलाल साहब के सवाल का जवाब मैं देता हूं कि वैसे तो जिसको रैवेन्यू अफसर सर्टीफाई कर देता है वह फाइनल होता है लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग ि ाकायत कर देते है कि हमारानुक्सान इतना हुआ था और लिखा इतना गया है या फलां आदमी का नुक्सान बिल्कुल नही था और उसका नुक्सान 80 प्रति ात लिख दिया गया है, इस वजह से ऐसी ि ाकायतों की इन्कवायरी तो करवानी ही पड़ती है।

चौधरी रिजक रामः स्पीकर साहब, आपने वजह फरमाया कि मुजारों को उनका हक नही मिलता। मैं मुख्य मंत्री जी या मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या उनके नोटिस मे यह बात है कि कुछ केसिज मे का त तो मुजारा मुआवजे से वंचिज रह जाता है। दूसरी बात यह है कि जहां तक स्पै ाल गिरदावरी का सवाल है

उसके बारे मे क्या इनके नोटिस मे यह है कि एक रैवेन्यू अफसर स्पै ाल चैकिंग के लिये गया और वह एक घंटे मे चैक करके वापिस लगा कि मैं ट्रेन मे गया था। डिब्बे मे बैठ कर जाते वक्त मैंने मुंह एक तरफ रखा और आते वक्त दूसरी तरफ रखा। (हंसी)

चौधरी भोर सिंहः स्पीकर साहब, जहां तक इनके पहले सवाल का संबंध है उसमें ऐसा हे कि मुजारे दो प्रकार के होते है। एक तो मुजारे के नाम गिरदावरी होती है और दूसरे का त तो मुजारा करता है लेकिन गिरदावरी मालिक के नाम होती है । तो यह तो उनकी आपस की अंडर स्टैडिंग है लेकिन मुजारों को उनके हिस्से की मुआवजें की पैमेंट बाकायदा होती है। जहां तक दूसरे प्र न का संबंध है यह बात अब मेरे नोटिस मे आ गई है, हम इसकी पड़ताल करवा देंगे।

कामरेड भांकर लालः मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ओलों के नुक्सान की वजह से जो जमीन मालिकों को मुआवजा मिला, क्या उसमे से किसी सीरी, मजदूर या मुजारे को भी हिस्सा मिला ? (विघ्न)

श्री अध्यक्षः अब सवालों का समय समाप्त होता है।

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्र नों के

लिखित उत्तर

Qualified Medical Graduates

***2029. Dr. Brij Mohan Gupta:** Will the Minister for Health be pleased to state—

(a) whether the qualified Medical Graduates and Licensiates are entitled to get a drug licence; and

(b) if not, the terms and conditions for obtaining the drug licence in the State?

Health and Tourism Minister (Chaudhri Gajraj Bahadur Nagar):

(a) The qualified Medical Graduates and Licensiates are entitled to get Whole sale Drug Licences but not Retail sale Drugs Licences.

(b) The terms and conditions for obtaining retails sale drug licences in the State are a under:-

(i) Diploma or Degree in Pharmacy or Pharmaceutical Chemistry of an Institute approved by the Licensing Authorities

(ii) Registered Pharmacist as defined in Pharmacy Act, 1948.

Criteria for the appointment of Headmasters

***2163. Master Shiv Parshad:** Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) the criteria fixed for the appointment of Middle and Primary School Headmasters/Primary Head Teachers in the State; and

(b) whether there is any proposal under considerationof the Govt. to formulate joint seniority list of Male/Female teachers of all categories?

Education Minister (Chaudhri Des Raj):

(a) The Senior-most teacher in the Primary and Middle School acts as Headmaster of the respective School.

(b) The matter is under consideration.

Purchase of tickets by passengers in the Haryana Roadways

***2269. Chaudhri Jai Narain:** Will the Minister for Transport be pleased to state whetehr there is any proposal under consideration of Govt. to make the passengers travelling in the Haryana Roadways Buses responsible for the purchase of tickets on the pattern of Delhi Transport Corporation?

Transport Minister (Shr Jagan Nath):

In terms of Section 112-A introduced in the MOtor Vechiles Act, 1939 by Govt. of Inida with effect from January, 1979, passengers travelling in buses of State Transport

Undertakings have already been made responsible for the purchase of tickets. Passengers found travelling without tickets are liable to be fined upto Rs. 500/-

Haryana Celling on Land Holdings Act, 1972

***2155. Shri Mani Ram:** Will the Minister for Irrigations and Power be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Govt. to amend the Haryana Ceilling on Land Holdings Act, 1972 to provide passage to the allottees of surplus land for the land allotted to them?

राजस्व मंत्री (चौधरी भोर सिंह): जी नहीं।

Subsidy to Farmers

***2121. Shri Kanwal Singh:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) whether the Govt. proposes to refund the amount already paid by the farmers to the M.I.T.C. parior to 1-6-80 in excess of the subsidy now being paid to them on the lining of water courses; and

(b) whether there is any proposal under the consideration of the Govt. to enhance the subsidy on the lining of the M.I.T.C. water courses form 50% to 100%?

Irrigation and Power Minister (Sardar Tara Singh):

(a) The Govt. has allowed w.e.f. 15-11-79 cent percent relief in respect of dues on account of cost of lining of water courses to such beneficiaries whose land holding is 2.5 acres or less and 50% relief to such beneficiaries whose total land holdihng is more than 2.5 acres. Almost no modalities had not been finalized. However, necessary refund shall be allowed if any case of excess recovery beyond the stipulated relief is detected.

(b) No.

अतारांकित प्र न एवं उत्तर

T.A. Drawn by officers in the Panchayats Department

439. Shri Mool Chand Jain: Will the Minister for Development and Panchayats be pleased to state the total amount of travelling allowance drawn by various officers in Panchayats Department on account of official tours during the years 1979-80 an d 1980-81 upto date?

Development Minsiter (Rao Dalip Singh): Total amount of T.A. drawn by various officers in the Panchayat Department-

(i)	1979-80	Rs. 19539.20
(ii)	1980-81 (upto-date)	Rs. 50296.35

Detail are given in Annexure 'A'

ANNEXURE 'A'

Sr. No.	Name of Officer	Designation	Total amout of drawn	T.A.
1	2	3	4	5
Headmaster			Rs.	Rs.
1	Sh. G. Prasana Kumar I.A.S.	Director of Panchayats	180.00	-
2	Sh. R.S. Kailay I.A.S.	-do-	444.00	245.00
3	Sh. K.S. Bhoria I.A.S.	-do-	-	2957.00
4	Sh. K.C. Gupta	Joint Director, Panchayats	1896.75	2777.55
5	Sh. A.S. Kahlon	-do-	206.35	4845.75
6	Sh. Mal Chand Sharma	-do-	2967.70	3440.60
7	Sh. Sushil Kumar	Deputy Director, Panchayats	-	3215.50
8	Sh. B.M.S.	-do-	989.50	2714.00

	Bhatnagar			
9	Sh. Sudershan	Planning Officer	1163.75	1540.15
10	Sh. N.S. Kade	Inquity Officer (Vigilance)	-	60.00
11	Sh. L.N. Gainda	-do-	-	107.00
12	Sh. S.P. Singh	Legal Officer	1100.85	1635.25
13	Sh. P.D. Verma	Assistant Account Officer	303.15	1695.90
14	Sh. S.L. Bhatia	-do-	1009.20	-
15	Sh. Ranjit Singh	Officer on Special Duty	152.00	1432.75
			10413.25	26666.45
Field Staff Rohtak				
1	Sh. Devki Nandan	Legal Officer	448.85	-
2	Sh. Surinder Kumar	-do-	307.45	675.05
3	Sh. Surat Singh Yadav	Inquiry Officer (Vig.)	-	838.85

Sonepat				
1	Sh. H.S. Gulati	S.D.O.	-	88.40
2	Sh. Mohd Shahir	Legal Officer	-	354.50
Kurukshetra				
1	Sh. Surinder Singh	Legal Officer Guhla	-	626.00
2	Sh. Bhagwat Sarup	-do-	394.70	143.00
Hissar				
1	Sh. D.N. Singla	-do-	635.45	-
2	Sh. S.B. Sharma	-do-	72.10	710.05
3	Sh. V.P. Khanna	Inquiry Offier (vig.)	-	952.10
Narnaul				
1	Sh. budh Dev Yadav	Legal Officer	289.80	855.10
Gurgaon				
1	Sh. Hoshiar Singh	Inquiry Offier (vig.)	-	2078.15
2	Sh. Surat Singh	Legal Officer	3887.45	2245.20

3	Sh. S.H. Gulati	S.D.O. (F.F.W)	-	341.70
4	Sh. Manphool Singh Sundu	-do-	-	1257.95
Sirsa				
1	Sh. D.N. Singla	Legal Officer	414.20	1201.20
2	Sh. Kasturi Lal	S.D.O. (F.F.W)	-	1944.55
Faridabad				
1	Sh. Parkash Singh	Legal Officer	250.05	2287.60
2	Sh. Manphool Singh	S.D.O. (F.F.W)	-	681.05
Bhiwani				
1	Sh. B.R. Punia	Legal Officer	-	345.30
Jind				
1	Sh. Jugti Ram	S.D.O. (F.F.W)	-	563.40
2	Sh. Satish Kumar	Legal Officer	122.00	397.90
3	Sh. Surinder Kumar	-do-	-	50.00
Karnal				
1	Sh. Sultan	Legal Officer	188.50	519.60

	Singh			
2	Sh. J.P. Jindal	S.D.O. (F.F.W)	-	1443.75
Ambala				
1	Sh. Gurdev Singh	Legal Officer	2115.40	1862.75
2	Sh. Chander Singh	S.D.O. (F.F.W)	-	2067.75
	Total		Rs. 9125.95	23629.90
	Grand Total		Rs. 19539.20	50295.35

T.A. Drawn by officers in the Animal Husbandry Department

440. Shri Mool Chand Jain: Will the Minister for Jails and Dairy Development be pleased to state the total amount of travelling allowance drawn by various officers in the Animal husbandry Department on account of official tours during the years 1979-80 and 1980-81 to date?

जेल तथा डेरी विकास मंत्री (चौधरी भिाव राम वर्मा):

वर्श	रा ि ा
1979—80	रूपये 197141.

	58
1981–81 (28.2.81 तक)	रूपये 184790.65

TA. Drawn by officers in the Parliamentary Affairs Department

442. Shri Mool Chand Jain: Will the Minister for Finance be pleased to state the total amount of travelling expenses (T.A.) charged by various officers in Parliamentary Affairs Dept. on account of official tours during years 1979-80 and 1980-81 to date?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): संसदीय मामलो संबंधी कार्य मुख्य सचिव ब्रांच द्वारा अपने अन्य कार्यो के आतिरिक्त किया जाता है। मुख्य सचिव या उनके अधीन किसी भी अधिकारी ने केवल संसदीय मामलों संबंधी कार्य के लिये वर्श 1979–80 तथा 1980–81 मे आज तक कोई यात्रा भत्ता नही लिया।

TA. Drawn by officers in Colonization Department

443. Shri Mool Chand Jain: Will the Minister for Finance be pleased to state the total amount of travelling expenses (T.A.) charged by various officers in the Colonization (urban Estates, Town and Country Planning) Dept. on account of official tours during the years 1979-80 and 1980-81 to date?

वित्त मंत्री (चौधरी खुर ीद अहमद):

उपनिवे ान, भाहरी सम्पदा विभाग तथा नगर एंव ग्राम आयोजना विभाग के अधिकारियों द्वारा वर्श 1979–80 तथा 1980–81 (अब तक) की अवधि मे दफतरी दौरों के उपलक्ष्य मे निम्नानुसार यात्रा भत्ता चार्ज किया गया है:–

		1979–80		1980–81	
क्र.	विभाग का नाम	दिल्ली का यात्रा भत्ता	चण्डीगढ़ का यात्रा भत्ता	दिल्ली का यात्रा भत्ता	चण्डीगढ़ का यात्रा भत्ता
1	उपनिवे ान विभाग	192–50	–	187–80	–
2	भाहरी संपदा विभाग	38–50	–	150–00	–
3	नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग	791–55	2244–80	3062–40	3247–85

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू एम.एल.ए. के निलम्बन संबधी निर्णय को रद्द करने की मांग

Shri Baldev Tayal (Hansi): Sir, the orther day, I requested you as well as the leader of the House about the re-entry of Shri Jagjit Singh Pohloo.

Mr. Speaker: There is a motion pending with me which in intended to be moved by Shri Mool Chand Jain.

Shri Baldev Tayal: I totally agree that the motion is pending. But again, Sir, in the interest of the democracy and in the interest of the right of the members, I wish to emphasise and request the leader of the House to reconsider the matter again and do it quickly. I wish he will come up to the expectations of the members of this August House and I hope you will reconsider the decision.

चौधरी रिजक राम (राई): स्पीकर साहब, मुख्य मंत्री जी इस तरफ ध्यान नही दे रहे, वे इस मामले मे चुप है। मैं मुख्य मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि श्री जगजीत सिंह पोहलू का कोई ज्यादा दोश नही है, भाायद उनको इस बात का संदेह है कि उनकी पार्टी के कुछ मैंबर्ज उनको धोखा दे गये है, ऐसी बात नही है, सब मैम्बर्ज पर उनको वि वास होना चाहिए। पोहलू साहब भी उनकी मदद करेंगे, इसी दफा नही बल्कि अगले इलैक्शन मे इनको अपनी पार्टी मे रखना है, इसलिये इन पर आपको यकीन होना चाहिए। उनको इस बार मुआफ करें, हाउस मे बुला ले, बे ाक आप ही इनके जमानती बन जाये। (व्यवधान) स्पीकर साहब, जब श्री मूल चंद जैन फाइनैंस मिनिस्टर थे तो चौधरी संत कंवर जी ने बजट स्पीच फाड़ कर फैंक दी थी। (व्यवधान) चौधरी सतवीर सिंह

मलिक ने भी ऐसा ही किया था। उस वक्त चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा था कि यह उनको घरेलू मामला है। (व्यवधान) इसी तरह पोहलू साहब वाला मामला भी घरेलू मामला है। इसलिये स्पीकर साहब मैं आपके द्वारा मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि उनको हाउस मे आने की इजाजत दे दे। वे बैंच पर खड़े हो गये, यह मामूली बात है। ठीक है, चलो मान लेते है कि उनकी गलती थी और उस गजलती के लिये क्षमा मांगते है। इस मामले मे श्री मूल चंद जैन, चौधरी सतवीर सिंह वगैरह स्पोर्ट करने के लिये तैयार है, लेकिन हमे उनका बहुत ज्यादा तजुर्बा है ओर उस तजर्बे को हम दोबारा नही देखना चाहतें इसलिये मैं मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि इस मामले पर दोबारा गौर करें और पोहलू साहब को हाउस मे आने की इजाजत दे दें।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, जैसा कि चौधरी रिजक राम और श्री बलदेव तायल ने कहा है कि श्री जगजीत सिंह पोहलू की सस्पैं ान के बारे मे लीडर आफ दी हाउस दोबारा विचार करे, इस परमेरी प्रार्थना यह है कि यह मामला पहले ही आपके पास जेरेगौर है और हम इस पर विचार करेंगे और मामनीय सदस्यों को कल बता देंगे।

ध्यानाकर्शण सूचना

स्वामी अग्निवे ाः आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। अध्यक्ष महोदय, पी.डब्ल्यू.डी. वर्क ााप इम्पलाईज पिछले 10–12 दिनों से हड़ताल पर बैठे है। स्पीकर साहब, आपने मुझे लिख कर दे दिया है कि कुछ टैक्नीकल ग्राउंड्ज के आधार पर यह काल अटैन्ा मो ान अलाउ, नही हो सकता। मैं आपकी बात से सहमत हूं लेकिन फिर भी मैं मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि.....

श्री अध्यक्षः यह हाउस से संबंधित मामला नही है। आप उनसे मिलते है, इसलिये आप खुद उनके साथ बातचीत कर सकते है। As far as this House is concerned] strikes, dharnas and such sort of things can not form the basis of any Call Attention Motion. आप लैजिस्लेटर है ओर मुख्य मंत्री जी यहां पर है, आप हाउस मे ही नही, कहीं पर भी मुख्य मंत्री जी से रिक्वैस्ट कर सकते है।

डा. मंगल सैनः स्पीकर साहब, पी.डब्ल्यू.डी. वर्क ााप के कर्मचारी कई बार मुख्य मंत्री जी से मिल चुके है इसलिये मैं आपके थ्रू रिक्वैस्ट करूंगा कि मुख्य मंत्री जी इनकी बात माल ले और जो कुछ कहना चाहे कह दे।

Mr. Speaker: I have dissalowed the call attention motion. There is no quesiton of any discussion on it in the House.

Dr. Mangal Sein: This is the proper forum to draw the attention fot eh Govt. Strike is the last resort. उनकी बात यदि मानी जाती तो उनको यह ऐक ान न लेना पड़ता।

Mr. Speaker: I have disallowed it and there can be no discussion on it.

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, मैंने रूल 84 के तहत थीन डैम के बारे मे मो ान दी हुई है, उनका क्या बना ?

Mr. Speaker: That has been admitted. It is coming on the list of business for Friday or Saturday.

श्री मूल चंद जैनः स्पीकर साहब, मैं अपनी मो ान के बारे मे पूछना चाहता हूं। चौधरी जगजीत सिंह पोहलू वाला मामला क्या आप कल के लिये रखेंगे, जैसे कि लीडर आफ दि हाउस ने कहा है ?

श्री अध्यक्षः इन्होंने कहा कि इस पर विचार करेंगे, कल बता देंगे Immediately after I know the views of this side (Treasury Benches) I will decide.

चौधरी संत कंवरः स्पीकर साहब, मैंने काल अटैं ान मो ान दिया था, उसका क्या बना ?

Mr. Speaker: I have not received it.

चौधरी संत कंवरः स्पीकर साहब, मैंने दो काल अटैं ान मो ान दिये है और एक तो एक हफता पहले दिया हुआ है। (व्यवधान)

Mr. Speaker: I received one call attention motion जिस पर हैंडराइटिंग तो आप के हैंडराइटिंग जैसा था लेकिन उस पर दस्तखत नही थे। (व्यवधान)

चौधरी संत कंवरः स्पीकर साहब, मेरे दो काल अटैं ान मो ान थे और दोनों पर मैंने दस्तखत किये है। (व्यवधान) आप कृपा करके दोबारा देख लें।

श्री अध्यक्षः मैं देख लूंगा।

श्री मूल चंद मंगलाः स्पीकर साहब, रसीक गांव मे 9 तारीख को डकैती पड़ी है। यह गांव सब तहसील हथीन, डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद मे है। लगभग 20 आदमियों ने डाका डाला है और उस हाद ाा मे तीन आदमी जख्मी हुए है, दो लाख रूपये का नुक्सान हुआ है लेकिन पुलिस ने डकैती का केस दर्ज करने की बजाये चोरी का केस दर्ज किया है। इस सिलसिले मे हम एस.एस.पी और डी.सी. से भी मिले है, लेकिन अभी तक कोई एक ान हनी लिया गया है ?

श्री अध्यक्षः क्या आपने लिखकर नोटिस दिया है?

श्री मूल चंद मंगलाः नही जी, लेकिन उन लोगों ने लिख कर दिया है जहां डाका पड़ा है।

Mr. Speaker: I am sure, if you meet the Home Minister, he will straight away take immediate action. He is a very active person. अगर आप उनसे एक साल की इन्फर्मे ान पूछे तो वे दस साल की बता देते है।

Dr. Mangal Sain: We know his previous record also, Sir.

बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की दूसरी रिपोर्ट

Mr. Speaker: I report the time table fixed by the Business Advisory Committee in its Second Report inregard to various business.

"The Committee met at 12.05 P.M. Monday, the 16th March; 1981, in the Chamber of the Hon'ble Speaker.

The Committee, after sme discussion recommended that the business on Tuesday, the 17th March; Wednesday, the 18th March; Thursday, the 19th March; Monday, the 23rd March; Tuesday, the 24th March; Wednesday, the 25the March; Thursday, the 26the March; Friday, the 27th March and Saturday, the 28th March 1981, be transacted by the Vidhan Sabha as follows:-

Tuesday, the 17th March, 1981

(At 9.30 A.M.)

1. Questions Hour.

2. Presentation and adoption of the Second Report of the business Advisory Committee.

3. Laying papers/Reprot etc. on the Table of the House.

4. Discussion and Voting on Supplementary Estimates (Third Instalment) 1980-81.

5. Discussion and Voting on Excess Demands for grants over Appropriations for the year 1975-76.

6. Discussion and Voting on Excess Demands for grants over Appropriations for the year 1976-77.

7. Legislative Business.

I. Leave to introduce/introduction of (Government) Bills.

II. Bills to be condieration and passed.

(1) The Haryana Legislative Assembly (Facilities of Members) Amendment Bill, 1981.

(2) The Haryana State Legislative (Prevention of Disqualification) Amendment Bill, 1981 (alonwith the notive for dispproval of the Ordianance, on the subject, by Shri Ram lal Wadhwa, M.L.A.)

Wednesday, the 18th March 1981

(At 9.30 A.M.)

1. Questions Hour.

2. General Discussion on budget for the year 1981-82.

Thursday, the 19th March 1981

(At 9.30 A.M.)

1. Questions Hour.

2. Resumption of General Discussion on budget for the year 1981-82.

Friday, the 20th March 1981

Off-Day

Saturday, the 21th March 1981

Off-Day

Sunday, the 22th March 1981

Holiday

Monday, the 23th March 1981

(At 2.00 P.M.)

1. Questions Hour.

2. Resumption of General Discussion on budget for the year 1981-82.

Tuesday, the 24th March 1981

(1st Sitting from 9.30 A.M. to 1.30 P.M.)

1. Questions Hour.

2. Resumption of General Discussion on budget and reply by the Finance Minister.

(IInd Sitting from 3.00 P.M. to 6.30 P.M.)

Discussion and Voting on Demands for Grants on Budget.

Wednesday, the 25th March 1981

(At 9.00 A.M.)

1. Questions Hour.

2. Discussion and Voting on Demands for Grants on Budget.

Tuesday, the 26th March 1981

(1st Sitting from 9.30 A.M. to 1.30 P.M.)

1. Questions Hour.

2. Private Member's Bills

(IInd Sitting from 3.00 P.M. to 6.30 P.M.)

Discussion and Voting on Demands for Grants on Budget.

Friday, the 27th March 1981

(At 9.00 A.M.)

1. Questions Hour.

2. Legislative Business

1. The Haryana Appropriation (No. 1) Bill, 1981 in respect of the Budget 1981-82.

2. The Haryana Appropriation (No. 2) Bill, 1981 in respect of Supplementary Estimates (Third Instalment) 1980-81.

3. The Haryana Appropriation (No. 3) Bill, 1981 in respect of Excess Demands over grants for the year 1975-76.

4. The Haryana Appropriation (No. 4) Bill, 1981 in respect of Excess Demands over grants for the year 1976-77.

5. The Haryana Essential Services Maintenance (Amendement) Bill, 1981 (alongwith the notice for disapproval of the ordinance, on the subject, by Shri Ram Lal Wadhwa, M.L.A.)

3. Discussion on motions under Rule 84-

(1)"That the Inquiry Report by Shri Pritpal Singh, Commission of Inquiry to enquire into the incidents of alleged rape of Sheela Devi (Wife of Sh. Nafe Singh) at Dabwali, the circumstances leading to her death and the incident of firing at Dabwali by the Police on a gathering of people, during the period from 13th to 16th July, 1980, which was laid on the Table of the House on 10th

March, 1981, be taken into consideration and discussed (given notice of by Shri Ram Lal Wadhwa, Dr. Mangal Sein, Sushma Swaraj and Sh. Shiv Parshad, Hon. Members)."

(2)"That the 13th Annual Report of the Haryana Financial Corporation for the year 1979-80, be taken into consideration and discussed (given notice by Sarvshri Ram Lal Wadhwa, Raghunath Goel, Fateh Chand Vij, Mool Chand Mangla, Mangal Sein, Brij Mohan Gupta and Smt. Sakla Verma, Hon. Members)."

(3)"That the Statement given by the Chief Minister in reply to Call Attention Notice No. 8 of December, 1980, regarding sharing of Power of Thein Dam between the State of Haryana and other States, be taken into consideration and discussed (given notice of by shri Verender Singh, M.L.A.)."

Saturday, the 21th March 1981

(At 9.00 A.M.)

1. Questions Hour.

2. Motion under Rule 15

Regarding non-stop sitting.

3. Motion under Rule 16

Regarding the Assembly at its rising day shall stand adjourned Sine-die.

4. Legislative Business

1. The Punjab Urban Immovable Property Tax (Haryana Validation) Bill, 1981.

2. The Haryana General Sales Tax (Amendment and Validation) Bill, 1981.

3. The Punjab Panchayat Samitis (Haryana Amendment) Bill, 1981.

4. The Punjab Prohibition of Cow Slaughter (Haryana Amendment) Bill, 1981.

5. Discussion on motions under Rule 84

(i) "That the Annual Report of the Haryana Agricultural University, Hissar for the year 1978-79 be taken into consideration and discussed (given notice by Sarvashri Ram Lal Wadhwa Mangal Sein, Raghunath Goel, Fateh Chand Vij, Mool Chand Mangla, Mohan Gupta and Smt. Kamla Verma, MLAs)."

(ii) "That the annual Audir Report of the Haryana Agricultural University, Hissar for the year 1978-79 be taken into consideration and discussed (given notice by Sarvashri Ram Lal Wadhwa Mangal Sein, Raghunath Goel, Fateh Chand Vij, Mool Chand Mangla, Mohan Gupta and Smt. Kamla Verma, MLAs)."

वित्त मंत्री (चौधरी खुर ीद अहमद): स्पीकर साहब, मैं प्रस्ताव करता हूं–

कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के दूसरे प्रतिवेदन मे दी गई सिफारि ों स्वीकार करता है।

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के दूसरे प्रतिवेदन मे दी गई सिफारि ों स्वीकार करता है।

चौधरी राम लाल वधवा (करनाल): स्पीकर साहब, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि इसमे नौन औफि ायल डे को बिल्कुल समाप्त कर दिया गया है। (विघ्न) बिजनैस एडवाइजरी कमेटी ने यह फैसला पता नही कैसे कर लिया। हर सै ान मे हर थर्सडे को नौन औफि ायल डे हुआ करता है। मैंबर्ज के बहुत जरूरी रैजोल्यू ान्ज आए हुए है, बैल्ट हुए है और बहुत से रैजोल्यू ांज ऐसे है जो अभी बैल्ट होने है। यह पहली बार ऐसा हो रहा है कि सारे सै ान मे नौन औफि ायल डे को समाप्त किया जा रहा है।

स्पीकर साहब, दूसरी बात यह है कि 24 और 26 तारीख को डबल सीटिंग कर दी गई है। स्पीकर साहब, आपके नोटिस मे यह बात है कि जनता सरकार के टाईम मे एक एक महीने तक सै ान चलता रहा है। लेकिन मुझे समझ मे नही आता

कि अब लीडर आफ दि हाउस को ज्याद दिन तक सै ान चलाने मे क्या अड़चन है ?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): क्या अब थोड़ा चल रहा है ? बहुत चल रहा है ।

चौधरी राम लाल वधवा: डबल सिटिंग की क्या जरूरत है ? दो तीन दिन और क्यों नही दे दिये जाते ? (विघ्न)

चौधरी भजन लाल: यह बिजनैस एडवाइजरी कमेटी का फैसला है।

चौधरी राम लाल वधवा: बिजनैस एडवाइजरी कमेटी मे तो 6 सदस्यों ने बैठकर फैसला किया है लेकिन अब सारा हाउस इस बात को महसूस कर रहा है । (विघ्न) मैंबर्ज को अपनी बात कहने का यहां हक है। नौन औफि ायल डे को समाप्त कर दिया गया है और दो दिन डबल सीटिंग कर दी गई है। इसमे इतनी अरजैंसी क्या थी ? अगर 28 को सै ान हो सकता है तो पहली और दूसरी अप्रैल को क्यों नही हो सकता ? इसके अलावा सैचरडे को छुट्टी वाले दिन सै ान बुलाने की क्या जरूरत है? सोमवार को सै ान क्यों नही बुला लिया जाता ? इसलिये स्पीकर साहब, मैं तो बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट का विरोध करता हूं और निवेदन करता हूं कि मैंबर्ज को इतना ऐग्जास्ट न किया जाये कि वे अपना काम भी ठीक ढंग से न कर सके। बजट के ऊपर

बोलने के लिये भी उनको समय चाहिए। सारा सारा दिन यहां बैठ कर मैंबर्ज अगर थक जायेंगे तो वे अपनी तैयारी कैसे करेंगे ?

श्री अध्यक्षः मैंबर साहेबान इसमे एक प्रिंटिग ऐरर है। थर्मडे यानी 19 मार्च को प्राईवेट मैंबर्ज बिल की आईटम जो डेढ़ घंटे के लिये रखी गई है, यह गल्त और टाईपिंग ऐरर है, इसे डिलीटिड समझा जाये उस दिन सारा दिन बजट पर डिसकशन होगी। चूंकि फ्राइडें को छुट्टी कर दी गई इसलिये थर्सडे को प्राईवेट मैंबर्ज बिल पर होने वाली डिसक ान कैंसल कर दी गई थी। (विघ्न)

डा. मंगल सैनः स्पीकर साहब, वहां तो यह डिसाइड हुआ था कि 20 तारीख का बिजनैस 19 तारीख को सैंकिंड सीटिंग मे कर लेंगे।

श्री अध्यक्षः सैंकिंड सीटिंग्ज तो 24 और 26 तारीख दो दिन के लिये डिसाइड हुई थी (विघ्न) जहां तक मुझे याद है यह डिसाइड हुआ था कि सैचरडे तक तो सै ान एक्सटैंड कर दिया जाये और 24 और 26 तारीख को डबल सीटिंग कर ली जाये।

चौधरी भजन लालः यही फैसला हुआ था।

डा. मंगल सैनः स्पीकर साहब, मुझे जो याद है वह मैने आपको बता दिया। बाबू मूल चंद जैन जी को भी यह बात याद होगी। (विघ्न)

श्री मूल चंद जैन (सम्भालका): स्पीकर साहब, मुझे याद है कि 19 तारीख का जो थर्सडे हे उसमे पौजिटिवली डेढ़ घंटा प्राईवेट मैंबर्ज बिजनैस के लिये रखा गया था और 24 और 26 तारीख को डबल सीटिंग रखी गई थी। 26 तरीख को पहल बैठक क्वे चन आवर और नोन आफि ायल बिजनैस करने का फैसला हुआ और दूसरी बैठक डिमांडज फार ग्रांटस के लिये रखी गई। मेरे दोस्त राम लाल वधवा जी को 26 तारीख के बारे मे कोई गलतफहमी नही होनी चाहिए। 19 तारीख को नौन औफि ायल डे है। इसके लिये जो डेढ़ घंटा रखा गया था, वह ठीक प्रिंट हुआ है। यह डेढ़ घंटे का समय रहना चाहिए। (विघ्न) इसके अलावा स्पीकर साहब मेरी अर्ज यह है कि कुछ आईटम्ज किसी वजह से जिक्र नही है उनके लिये कैसे टाईम मुकर्रर किया जायेगा यह बात मेरी समझ मे नही आती। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: मिसाल के तौर पर वे कौन सी आईटम्ज है ?

श्री मूल चंद जैन: मिसाल के तौर पर डिप्टी स्पीकर के खिलाफ जो नो कांफिडैंस मो ान है, वह पैंडिंग है। उस पर जब आपकी इजाजत होगी, डिसक ान के लिये टाईम चाहिए। चौधरी जगजीत सिंह पोहलू के बारे मे भी मेरी एक मो ान पैंडिंग है। (विघ्न)

Mr. Speaker: Babu Ji, the question of discussion on the resolution for removal of the Deputy Speaker will only arise when that motion is admitted.

श्री मूल चंद जैनः इसी तरीके से अब आगे भी कोई मो ान आ सकती है, उसके लिय भी आपने टाईम का प्रोविजवन नही रखा है। चौथी बात जो खास तौर पर प्वायंट आउट करना चाहता हूं, वह यह है कि डिमांडज फार ग्रांटस परसैपरेट सैपरेट डिस्क ान के लिये दो दिन की बजाए तीन दिन का टाईम रख गया हैं एक दिन का समय हमने ट्रैजरी बैंचिज की सलाह से बढ़ाया है। इन डिमांडज को क्लब नही किया जायेगा बल्कि दो या तीन तीन डिमांडज को डिसकस किया जायेगा। यह भी ट्रैजरी बैचिंज और अपोजि ान सलाह करके करेंगे यानि टेन्टेटिवली दो दो घंटे बहस होगी जैस एजुके ान और इरीगे ान एंड पावर की डिमांडज है इसमे यह भी आबजर्वे ान करनी थी कि तीनों दिन ही सरी डिमांडज को क्लब न कर दें बल्कि ये डिमांडज अलग डिस्कस होगी। खास तौर पर एक दिन के लिये दो तीन डिमांउज छांट ली जायें और उन्हीं पर बहस हो ताकि हम कुछ कंस्ट्रैक्टिव सुजे ान दे सके।

श्री अध्यक्षः बाबू मूल चंद जैन जी ने जो पहला प्वायंट रेज किया है वह यह है कि 19 तारीख को यानी थर्सडे को डेढ़ घंटा प्राईवेट मैंबर्ज बिल पर डिस्क ान के लिये रखा गया था। जहां तक मुझें याद है यह फैसला हुआ था कि 20–3–81 का बिजनैस इंटायरली 19–3–81 को ि ाफट कर दिया जायेगा और

प्राइवेट मैंबर्ज बिल नैक्सट थर्सडे को लिये जायेंगे। इसलिये यह जो गलत प्रिन्ट हुआ है इसको डिलीटिड समझा जाये, बाकी हाउस की मर्जी है जैसा चाहे करें।

अगल प्वायंट उन्होंने यह रेज किया है कि अगर कोई नया मैटर आये तो उसको कैसे एडजस्ट करेंगे। जो भी नया मेटर आयेगा उसको अगर मैं एडमिट करता हूं तो उसके लिये चाहे मुझे मीटिंग का समय सात, आठ नो और दस बजे तक बढ़ाना पढ़े बढ़वाऊंगा। For that, with the consent of the House, we will have to extend the time.

चौधरी उदय सिंह दलालः स्पीकर साहब, मेरी अर्ज यह है कि आठ घंटे के बाद तो फैक्टरी के मजदूर को भी छुट्टी हो जाती है।

श्री अध्यक्षः सरकार ने आपको इतनी सहूलियात दे रखी है, अगर किसी किसी दिन कुछ समय ज्यादा भी बैठना पड़ जाये तो कोई बात नही है ?

चौधरी उदय सिंह दलालः सहूलियात तो मिली हुई है लेकिन साल मे 365 दिन होते है। 365 दिनो मे यह किसी दिन भी हल्के मे जा सकते है। इसलिये 2 दिन सै ान अगर और बढ़ा दिया जाये तो कौन सी आपत्ति आ जायेगी ?

श्री अध्यक्षः आप बैठिये। अगला प्वायंट श्री मूल चंद जैन जी ने डिमांउज के बारे मे उठाया है। पहले डिमांडज के लिये

दो दिन रखे गये थे और उसको तीन दिन कर दिया गया। उसके बारे मे यह सुझाव रखा गया था कि दो या तनी डिमांडज पर एक दिन के लिये डिस्क ान रख ले। फिर बाद मे उनके बारे मे यही फैसला हुआ था कि अपनी अपनी पार्टी के मैंबर्ज के साथ फैसला कर लेंगे कि वे किस किस डिमांड पर बोलना चाहते है और पार्टीवाईज मुझे बता दें कि किस किस डिमांउ पर बोलना चाहते है। मैं कोि ा ा करूंगा कि उसके मुताबिक एडजस्टमैंट हो जाये ताकि एक दिन मे तीन डिमांडज पर डिस्क ान हो जाये। इस तरह तीन दिनों मे नौ डिमांडज पर डिस्क ान हो जाये ओर बाकी डिमांडज लास्ट मे आ जाये।

चौधरी रिज राम (राई): स्पीकर साहब, जो प्रस्ताव सदन के सामने आया है। मैं उसका विरोध नही करता लेकिन आपके द्वारा एक तजबीज हाउस मे रखना चाहता हूं। लीडर आफ दि हाउस और बाकी मैंबर्ज भी उसको बैटेज देंगे कि यह बजट सन् 1982 का चल रहा है। अगला बजट सै ान भाायद हो या न हो क्योंकि अगला बजट सै ान जनवरी या फरवरी मे होना है और यह भी सुनते है कि मुख्य मंत्री जी पहले ही इलैक ान कराना चाहते है। यह भी मुमकिन हो सकता है कि प्रैजिडैंि ायल फार्म आफ गवर्नमैंट हो जाये यानी विधान मे तरमीम आ जाये लेकिन फिर भी मैं एक तजबीज रखना चाहता हूं कि अपोजी ान को छूट दे दे कि जितने लिद तक वे बोलना चाहते है बोले। आप जो

बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग बुलाते है, इसकी भी आव यकता नही है।

श्री अध्यक्षः चौधरी साहब, आप पांच विनट पहले तो कुछ और बात कर रहे थे।

चौधरी रिजक रामः स्पीकर साहब, हमारे यहां एक एस. डी.एम. साहब बहुत सुन्दर हुआ करते थे। एक दिन किसी दूसरे अफसर ने उनसे कहा भगवान आपको लड़की बनाने जा रहा था लेनिक आपको लड़का बना दिया। इसलिये भगवान आखिरी वक्त तक राय बदलता रहता है।

चौधरी बीरेन्द्र सिंह (उचाना कलां): अध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूं। पिछला जो बजट सै ान था, उसमे आपने ऐसा तय किया था कि साढ़े नौ बजे की बजाय सुबह नौ बजे सै ान भ्ाुरू हुआ करेगा जिससे आधे घंटे का फालतू टाईस सदस्यों को बोलने को मिल जाता था लेनिक आजकल जो टाईम फिक्स किया हुआ है उससे केवल साढ़े तीन घंटे का ही टाईम मिलता है। इसलिये मैं सदन से रिक्वैस्ट करूंगा कि साढ़े नौ बजे की बजाये सदन का समय नौ बजे रख लिया जाये ताकि सदस्यो को आधा घंटा बोलने के लिये और मिल जाये।

श्री अध्यक्षः यह बात आप की ठीक है कि लास्ट सै ान मे साढ़े नौ की बजाये नौ बजे सीटिंग हुआ करती थी अब नौ बजे की बजाये साढ़े नौ बजे इसलिये टाईम रखा गया है क्योंकि मेरे

स्टाफ को कई किस्म की मो ान और पेपर्ज को डील करना पड़ता है और स्टाफ को पूरा समय नही मिलता था कि उनको प्रोपरली डील कर सके। मैंने बिजनैस एडवाइजरी कमेटी से रिक्वैस्ट की थी कि हाउस नौ बजे की बजाए साढ़े नौ बजे मीट कर लिया करे। अगर हाउस यह चाहता है कि नौ बजे ही मीट किया करे तो आप लोगों की मर्जी है I will abide by the decision of the House, which is supreme.

आवाजें: साढ़े नौ बजे ही ठीक है।

श्री अध्यक्ष: प्र न है–

कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के दूसरे प्रतिवेदन मे दी गई सिफारि ों स्वीकार करता है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सदन की मेज पर रखे गये कागज पत्र

Mr. Speaker: Now a Minister will lay the papers on the Table.

Finance Minister: (Ch. Khurshid Ahmed): Sir, I beg to lay on the Table of the House each of the following notifications of the Transport Department, Haryana constaining the amendments in the Punjab Motor Vehicles Rules, 1940, as required under section 133(3) of the Motor Vehicles Act, 1939.

(i) Nofitication No. G.S.R. 135/C.A. 4/39/S. 21/Amd (12)/79, dated 7-12-1979.

(ii) Nofitication No. G.S.R. 131/C.A. 4/39/Ss. 24 and 41/Amd (13)79, dated 30-11-1979.

(iii) Nofitication No. G.S.R. 6/C.A. 4/39/Ss. 68, 91 and 112/A/Amd (14)/80, dated 11-1-1980.

(iv) Nofitication No. G.S.R. 23/C.A. 4/39/S. 68/Amd (1)/80, dated 6-3-1980.

(v) Nofitication No. G.S.R. 72/C.A. 4/39/S. 68/Amd (2)/80, dated 5-6-1980.

(vi) Nofitication No. G.S.R. 104/C.A. 4/39/Ss. 24/80 dated 1-10-1980.

(vii) Nofitication No. G.S.R. 103/C.A. 4/39/Ss. 24 and 41/80, dated 7-12-1979.

Sir, I also beg to lay on the Table of the House the Annual Financial Statement (budget Estimates) of the Haryana State Electricity Board for the year 1980-81 and Revised Budget Estimates for the year 1979-80, as required under section 61 of the Electricity (Supply) Act. 1948.

वर्श 1980–81 के लिये सप्लीमैंटरी एस्टीमेटस (तीसरी कि त) पर चर्चा तथा मतदान

(i) राज्य के रास्वों पर प्रभारित व्यय के अनुमानों पर चर्चा

(ii) अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण अब वर्श 1980–81 की सप्लीमैंटरी एस्टीमेटस 'तृतीय इन्स्टालमेंट' की डिमांड फार ग्रांटस पर डिस्क ान होगी। पहली प्रैक्टिस के अनुसार और हाउस का समय बचाने के लिये आर्डर पेपर पर रखी गई सभी डिमांड फार ग्रांटस एक साथ पढ़ी गई तथा पे ा की गई समझी जायेंगी। माननीय सदस्य किसी भी डिमांड पर डिस्क ान कर सकते है लेकिन बोलते समय वह डिमांड का नम्बर बता दें जिस के ऊपर बोलना चाहते है। The demands will be put to the vote of the House after the conclusion of discussion.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 1362500 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1981 in respect of Demand No.1-Vidhan Sabha.

That a supplementary sum not exceeding Rs.10078655 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1981 in respect of Demand No.2-Genral Administration.

That a supplementary sum not exceeding Rs.45777605 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1981 in respect of Demand No.3-Home.

That a supplementary sum not exceeding Rs.94828695 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1981 in respect of Demand No.4-Revenue.

That a supplementary sum not exceeding Rs.351400 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1981 in respect of Demand No.5-Excise and Taxation.

That a supplementary sum not exceeding Rs.5079730 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1981 in respect of Demand No.6-Finance.

That a supplementary sum not exceeding Rs.11962660 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1981 in respect of Demand No.7-Other Administrative Service.

That a supplementary sum not exceeding Rs.32371775 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1981 in respect of Demand No.8-Buildings and Roads.

That a supplementary sum not exceeding Rs.123781110 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of

payment for the year ending 31st March, 1981in respect of Demand No.9-Education.

That a supplementary sum not exceeding Rs.33145140 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1981 in respect of Demand No.10-Medical and Pubic Health.

That a supplementary sum not exceeding Rs.22176530 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1981 in respect of Demand No.11-Urban Development.

That a supplementary sum not exceeding Rs.10534245 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1981in respect of Demand No.12-Labour and Employment.

That a supplementary sum not exceeding Rs.3762824 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1981 in respect of Demand No.13-Social Welfare and Rehabilitation.

That a supplementary sum not exceeding Rs.1382030 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1981 in respect of Demand No.14-Food and Supplies.

That a supplementary sum not exceeding Rs.16052921 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1981 in respect of Demand No.15-Irrigation.

That a supplementary sum not exceeding Rs.21436380 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1981in respect of Demand No.16-Indusries.

That a supplementary sum not exceeding Rs.12692030 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1981 in respect of Demand No.17-Agriculture.

That a supplementary sum not exceeding Rs.571300 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1981 in respect of Demand No.18-Animal Husbandary.

That a supplementary sum not exceeding Rs.231480 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1981 in respect of Demand No.19-Fisheries.

That a supplementary sum not exceeding Rs.14755970 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of

payment for the year ending 31st March, 1981 in respect of Demand No.20-Forest.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 4398300 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1981 in respect of Demand No.22-Cooperation.

That a supplementary sum not exceeding Rs.50879050 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1981 in respect of Demand No.23-Transport.

That a supplementary sum not exceeding Rs.905590 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1981 in respect of Demand No.24-Tourism.

That a supplementary sum not exceeding Rs.181389300 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1981 in respect of Demand No.25-Loans and Advances by State Government.

डा0 बृज मोहन गुप्ता (जगाधरी): स्पीकर साहब, जो सप्लीमैंटरी एस्टीमेटस की तीसरी इन्स्टालमेंट के माध्यम से 139ण07 करोड़ रूपये की मांग रखी हे जो बजट से बाहर है। इन्होंने इस कमाउंट को 25 डिमांड के मातहत बांट दिया है। मैं समझता हूं कि आधी से जयादा डिमांडज पे स्केलज रिवाईज होने

की वजह से बढ़ी है। अब मैं डिमांड नं. 1 से भुरू करता हूं। डिमांड नं. 1 के अंदर 1362500 रूपये विधान सभा के लिये रखे गये है। इसमे होस्टल के बारे मे जिक्र है कि वहां पर एक टेलीविजन का सैट लगाये जाने का प्रोविजन है। यह बहुत अच्छी बात है कि होस्टल के अंदर टैलीविजन लग रहा है। होस्टल के बारे मे मैं कुछेक बातें और भी सदन के सामने कहना चाहता हूं। होस्टल के अंदर किसी को गर्म पानी नही मिलता। वहां के गीजर ठीक नही है। दरवाजे ठीक नही है, ताले ठीक नही है और वहां फल ा भी ठीक नही है। होस्टल के अंदर आजकल सर्दियों मे भी काफी कौकरोच और मच्छर है। वहां पर गर्म पानी नही मिल रहा इसलिये इस बात का वि ोश ध्यान रखा जाना चाहिए। (इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए) उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं डिमांड नं. 2 पर बोलना चाहता हूं । इसमे 1955975 रूपये कौंसिल आफ मिनिस्टरी के लिये रखे गये है। अब हरियाणा के अंदर मंत्रियों की कारें भी बढ़ गई है, उनके बंगले भी बढ़ गये है और एक प्रकार से थ्री टायर मिनिस्टरी हरियाणा मे बन ई है। मैं अब चाहूंग कि थ्री टायर की बजाय फोर टायर मिनिस्टरी बन दी जाये तो ठीक रहेगा क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी के 51 एम.एल.एज. है इन 51 एम. एल.एज. मे से 32 मिनिस्टर है। यानी किसी को कही न कही एडजस्ट कर रखा है। उन सभी के पास कारें है बंगलें है, कोठियां है, मैं पूछना चाहता हूं कि जो 18–19 एम.एल.एज. बचते है इन बेचारों ने क्या कसूर कर रखा है ? इनको भी कहीं न कहीं एडजस्ट कर दिया जाये और फोर टायर मिनिस्टरी बना दी जाये।

फिर इनकी कुर्सी कायम रहेगी। (इस समय सभापतियों की सूचि मे से एक सदस्य चौधरी हर स्वरूप बूरा पदासीन हुए।) मिनिस्टरी भी कायम रहेगी। जब इलैक ान हुए तो उस समय कांग्रेस पाटी के केवल 3 एम.एल.एज. थे, अब 51 हो गये है। इन 51 मैंबरो मे से सिर्फ 3 एम.एल.एज. ही पुराने कांग्रेसी है और बाकी 48 एम.एल. एज. दूसरे है। ये जो 3 एम.एल.एज. है उनमे से सिर्फ एक को मिनिस्टरी मिली है। 51 कांग्रेसी मैंबर्ज मे से 32 एडजस्ट हो गये है। ये 32 आदमी जिनको एडजस्ट कर रखा है इनमे से एक को निकाल दिया जाये तो 31 बचते है। इसके अलावा जो 18–19 मैंबर्ज बचते है इनकी एडजस्टमैंट नही हुई है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या 20 लाख रूपये का जो प्रबंध किया जा रहा है यह हरियाणा की जनता के साथ मजाक नही तो और क्या हैं सभापति महोदय 90 एम.एल.एज. मे 32 आदमियों को बड़े बड़ें ओहदों पर एडजस्ट कर रखा है। 10 प्रति ात मिनिस्टर बनाने की बजाये 33 प्रति ात मिनिस्टर बना रखे है।

सभापति महोदय, इन डिमांडज मे एक डिमांड पुलिस के बारे मे भी है। यह डिमांड 40717655 रूपये की है। ये कह रे है कि पुलिस की कार्यकु ालता बढ़ गई है और डिपार्टमैंट को अच्छा किया गया है। जैया अच्छा किया गया है उसी के बारे मे मैं कुछेक बातें आपके सामने रखना चाहूंगा। इन्ही दिनों मे जी.टी. रोड़ पर दिन के वक्त ही कार लूट ली गई। मेरे साथी कह रहे थे कि थाने के बाहर ही डाका डाला गया। हिसार के अंदर दिन

दिहाड़े बाजार में डाका डाला गया। आप को मैं एक किस्सा सुनाना चाहता हूं। यह 13 तारीख को हिन्दुस्तान अखबार मे छपा है। रोहतक डिस्ट्रिक्ट मे एक गांव खोरढ़ा है। वहां पर एक बेवा औरत रहती थीं उसका एक इकलौता बेटा था। उसको जनवरी के महीने मे उठा लिया गया। वह बच्चा सात साल का था। बच्चा उठाने वालों ने मांग की कि इतने पैसे फलां जगह पर रख दे, आपका बेटा वापस कर दिया जायेगा। वे बेचारी गरीब बेवा कहां से पैसा लाये ? उसने किसी तरह से पैसे का इंतजाम किया और वह पत्र पुलिस को भी दिया गया लेकिन पुलिस से कुछ नही हुआ। एक महीने तक उसके बेटे का कुछ पता नही चला। वहां के पुलिस कर्मचारी, पुलिस डिपार्टमैंट यह आ वासन देता रहा कि वे पता लगायेंगे। एक महीने के बाद वह बच्चा मार कर कुएं मे डाल दिया गया लेकिन पुलिस कुछ भी पता नही लगा सकी। उस बेवा औरत के पास फिर उन्होंने पत्र डाला और उसमे सारा हाल लिख दिया कि फलां कुढ मे तुम्हारे बेटे को मार कर डाला गया है। उन्होंने उसके अंदर अपने नाम भी लिखे। वह पत्र भी पुलिस को दिया गया लेनिक पुलिस आज तक कुछ भी पता नही गला सकी। इस बात को एक महीना हो चुका है। लेकिन उनके खिलाफ कोई एक ान नही लिया गया। चौधरी सहाब भी कह रहे है कि पुलिस बड़ा अच्छा कार्य कर रही है इसलिये उनके लिये यह खर्चा बढ़ाया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इस प्रकार जनता के साथ मखौल नही किया जा रहा है ? ये कैसे कह रहे है कि पुलिस बड़ी अच्छा काम कर रही है ?

सभापति महोदय, अब मै डिमांड नं. 5 की बात करना चाहता हूं। डिमांड नं. 5 एक्साइज एण्ड टैक्से ान के बारे मे है। इसमे इसलिये मांग की गई है कि तनख्वाहे बढ़ गई है। लोगों को सहूलियत बिल्कुल नही मिल रही। जब लोग एक्साइज एण्ड टैक्से ान डिपार्टमैंट मे अपना फैसला करवने की तारीख लेने के लिये जाते है तो उनसे कहते है कि अगर फैसला करवाना है तो लाओ, 5 नोट, लाओ 10 नोट अगर फैसला नही करवाना तारीख लेनी है तो ले लो। इन दफतरों मे तो यह हाल है। मिनिस्टर साहब बैठे नही है चले गये है। मैं उनके नोटिस मे यह लाना चाहता हूं कि सारे जिले के अफसरान मिल जुलकर यह हेरा फेरी करवा रहे है जिसका आपको नोटिस नही है। आगे चलिये, डिमांड नं. 6 फाइनैंस महकमे से संबंधित है। इस पर भी मैं अपनी बात कहना चाहूंगां मिसाल के तौर पर कैबिनेट ने कुछ फैसला ले लिया। जनवरी के अंदर एक फैसला हो गया और उसकी घोशणा भी कर दी थी। मुलाजिमों की पें ान के बारे मे ओर एक नान जुडि ियल स्टैम्प पेपर्ज के बारे मे दो घोशणाएं की गई थी। स्टाम्प फरी ा कोर्ट से बाहर साढ़े सात सौ रूपये तक का बेचा करेंगे लेकिन इस फसले की अभी तक नोटिफिके ान नही हुई है। जहां तक मुझे पता है, इसकी नोटिफिके ान अभी तक नही हुई है। एक बार जो फैसला हो गया, उसकी कम से कम नोटिफिके ान तो जल्द से जल्द हो जानी चाहिए थी। डिमांड नं. 7 के बारे मे अब मैं कहना चाहूंगा। यह डिमांड प्रिन्टिग प्रैस के बारे मे है। इसमे cost of printing from other sources के लिये 19

लाख 90 हजार रूपयों की मांग रखी है। इसके बारे मे मैं यह कहना चाहूंगा जैसा कि हमें पता हे कि हमारी सरकार प्रैस पंचकूला मे लगाई गई थी। यह स्कूलों की किताबों को छापने के लिये लगाई गई थी। उसमे इस प्रकार की म ाीनरी लगाई गई थी जिससे वहां पर किताबें छापी जा सके और खुद ब खुद बाइंड हो जाये। यह काम पिछले साल तक तो होता रहा लेकिन इस साल से मुझे पता लगा है कि उस प्रैस मे किताबें छापने का काम बंद कर दिया गया है और किताबों की बजाये फार्म छापने भाुरू कर दिये गये है। आप ही देखिये जहां प्रैस मे पहले किताबें छपती थी, आज वहां फार्म छप रहे है। यानी जो प्रैस किताबें छापने के लिये फिट की थी, वहां फार्म छापें जा रहे हैं किताबें छापने की प्रैस मे तो फार्म छापने भाुरू कर दिये और किताबें प्राइवेट आदमियों से या ओपन मार्किट से छपवानी भाुरू कर दी है। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह मजाक हरियाणा की जनता के साथ क्या किया जा रहा है ? कितनी अजीब बात है कि किताबें छापने की प्रैस मे फार्म छापे जाये और किताबें बाहर प्राइवेट लोगो से छपवाई जाये। एक बात अब मैं लाटरी महकमे के बारे मे कहना चाहूंगा जिसे आप सभी लोग जानते है। इसमे सब का हलवा मांडा चलता है। मैं इस बारे मे यही कहना चाहूंगा, ज्यादा कहने का कोई लाभ नही हैं अब मैं डिमांड नं. 8 पर आता हूं। इस डिमांड मे 26 लाख 230 रूपये मांगे गये है यह रूपया इसलिये मांगा जा रहा है क्योंकि आदमपुर मे एक कालेज भाुरू हो रहा है। बड़ा अच्छी बात है, कालेज खोलिये। उसके लिये चाहिये तो इनको 1

करोड़ 34 लाख 8800 रूपये लेकिन इस साल भुरू करने के लिये सिर्फ 26 लाख रूपये मांग रहे है। मैं यह कहता हूं कि आप आदमपुर मे चाहे कालेज खालिये या रैस्ट हाउस खोलिये, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कम से कम दूसरे भाहरों का ध्यान तो रखिये। हमारे जगाधरी की बात ही ले लीजिये। यहां पर एक पुराना गवर्नमैंट हायर सकैंण्डरी स्कूल है। 60–70 साल पहले से बना हुआ होगा। उसी के अंदर गवर्नमैंट गर्ल्ज हाई स्कूल भी लगता है। सुबह बच्चों की ि ाफट लगती है और भााम को लड़कियों की ि ाफट लगती है । कितने भार्म की बात है कि वहां पर लड़कियों के लिये अलग हाई स्कूल भी नही बन सकता जहां पर कि सबसे ज्यादा जरूरत है। यह जो आप कालेज बना रहे है, इसे बनाइये, हमें इसमे कोई एतराज नही, लेकिन हमारी तरु भी देखिये। एक ही स्कूल मे दो ि ाफट चलती है और वह स्कूल भी आज से 60–70 साल पहले का बना हुआ है। इसलिये मेरा कहना यह है कि जगाधरी मे भी लड़कियों का एक हाई स्कूल बनाया जाये और इसके लिये भी बजट मे प्रावधान किया जायें इसके बाद अगली डिमांड कन्स्ट्रक ान आफ टूरिस्ट कम्पलैक्सिज पर आता हूं। उसके लिये 10 लाख 50 हजार रूपया मांग रहे है और यह कहते है कि हम कैथल और उबवाली मे टूरिस्ट कम्पलैक्सिज बना रहे है। हम यह चाहते है कि हैड क्वार्टर जगाधरी है जहां पर कोई भी रैस्ट हाउस पी.डब्ल्यू.डी. का नही है। यह जगाधरी वालों की बदकिस्मती है कि वहां पर अब तक भी कोई रैस्ट हाउस नही है। इस बारे मे मैंने बार बार यहां पर मांग की है लेकिन अभी तक भी

कोई रेस्ट हाउस नही बनाया गया। मुझे उम्मीद है कि सरकार जहां इन लगहों पर टूरिस्ट कम्पलैक्स बनाण्गी वहां जगाधरी मे भी बनाया जायें यह सब डिविजनल हैडक्वार्टर है, वहां पर चाहे दो कमरो का ही सही, छोटा सा रैस्ट हाउस जरूर बनाया जायें इसके बाद मैं अब एजुके ान के बारे मे कुछ कहना चाहता हूं। (घंटी)

श्री सभापतिः अब आप वाईन्ड अप कीजिये।

डा0 बृज मोहन गुप्ताः इस मांग मे 6 लाख 70 हजार रूपया दोपहर के भोजन, बच्चों को ब्लाक्स मे देने के लिये मांगा गया है। लेकिन यह कहते है कि पंजीरी देंगे। कैसे पंजीरी बनायेंगे ? कितनी मिकदार मे पंजीरी बनेगी और उस पंजीरी मे क्या क्या चीज होगी ?

वित्त मंत्री (चौधरी खुर ीद अहमद): खाने की चीज होगी।

डा0 बृज मोहन गुप्ताः वह पंजीरी कौन बनायेगा, केसे बनायेगा कहां बनायेगा, एक दफा बना कर दे दी जायेगी या रोज रोज बनाई जायेगी इन बातों का स्पश्टीकरण दे। पंजीरी देना तो बहुत अच्छी बात है लेकिन कम से कम ऐसी पंजीरी न दे देना जिससे बच्चे बीमार हो जाये। पंजीरी मे कुछ ऐसा भी न मिला देना कि वह बेचारे झूमते ही रहे। कुछ पंजीरी मे हरे हरे पत्ते बगैरा मिलादेने से ऐसा भी हो सकता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि पंजीरी अच्छी दी जाये। इसके बाद मैं डिमांड नं. 22 जो

कोआप्रे ान के बारे मे है, कहना चाहूंगा। (घंटी) चेयरमैन साहब थोड़ा या तो बोल लेने दीजिये, मैं कोआप्रे ान की बात वह रहा हूं। ज्यादातर पैसा तो इस डिमांड मे इसलिये मांगा जा रहा है क्योंकि एम्पलाईज के पे स्केल रिवाईज हुए है। लेकिन परसो हाउस मे यहां पर एक सवाल आया था जिसमे कोआप्रे ान के बारे मे 2 करोड़ 73 लाख के घपलों के बारे मे बताया गया था। यह घपले बढ़ते ही जा रहे है, कम नही हो रहे है। मैं मिनिस्टर साहब से यह कहना चाहूंगा कि इस महकमे को जरा ध्यान से देखें, यह महकमा कोआप्रे ान का नही बल्कि कुरप् ान का महकमा बन गया है । एक दफा अखबार मे भी आया था कि societies in India are corruptive. कोआप्रे ान के महकमे को कुरप् ान का अडउा नही बनने देना चाहिये। इस सिलसिले मे मैंने सवाल भी दिया था लेकिन वह सवाल तो बदकिस्मती से उस दिन रह गया, क्योंकि वह लास्ट मे था, लेकिन इस डिपार्टमैंट को इन घपलों से बचाये। इसके बार मे डिमांड नं. 20 पर जो फौरैस्ट के बारे मे है, कुछ कहना चाहूंगा। आजकल फौरैस्ट की बड़ी भारी मांग हो रही है।

श्री सभापतिः आप कृपया वाइंड अप करे।

डा0 बृज मोहन गुप्ताः हमारे इलाके अम्बाला जिले मे फौरैस्ट का यह हाल हो रहा है कि वहां पर बृक्ष लगाने की बजाये जिस तरीके से काटे गये है, वह नाकाबिले ब्यान हैं उनकी जड़े तक काट दी गई है। इस ढंग से नही काटने चाहिए। इसके बाद

मैं ट्रांसपोर्ट की बात कहना चाहूंगां यह डिमांड नं. 23 है। मिनिस्टर साहब तो उठकर चले गये है। ये कहते है कि कीमतें बढ़ गयी है, यह बात तो इनकी ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ ही यह भी कहते है कि और बसे खरीदनी है। लेकिन जो पहले आपके पास बसें है, उनकी हालत तो ठीक तरह से सुधार लो उसके बाद अगर जरूरत हो तो बे ाक खरीद लो। सुबह सुबह दिल्ली के लिये आप बस पर चलिये। मेरा ख्याल है कि उस बस मे एक मन पक्का कूड़ा पड़ा हुआ मिलेगा। अगर ध्यान से न चढ़ों को मेरा ख्याल है आपका कोई न कोई कपड़ा फट जायेगा। मेरा कहना यह है कि 50 प्रति ात बसिज जिन पर रिजवर्ड फार एम. एल.एज./एम.पीज. लिखा होना चाहिये, वह भी नही लिखा हुआ। (व्यवधान व भाोर) अभी तक भी यह लिखा हुआ नही है। अब मैं डिमांड नं. 24 के बारे मे बात करना चाहता हूं। इस डिमांड मे 873220 रूपया टूरिस्ट कम्पलैक्सिज का प्रचार के लिये मांगा है। इन्होंने लिखा है कि बड़खल मे कुछ नया फर्नीचर बढ़ाया है और सूरजकूंड की कुछ ऐक्सटें ान की है। बड़ी अच्छी बात है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यह फिजूल खर्ची है। सभापति महोदय, आखिर मे मैं यह कहना चाहता हूं कि डिमांडज का जो यह पोथा रखा गया है, यह पास तो हो ही जायेगा लेकिन यह सरकार जनता के ऊपर जो 139 करोड़ रूपये का बोझा डाल रही है, यह जनता के साथ धोखा है। जनता को इस बारे मे सावधान रहना चाहिए। कहने को तो यह सराकर कह रही है कि हमने कोई टैक्स नही लगाया है लेकिन सप्लीमेंटरी के रूप मे यह सरकार 139

करोड़ रूपये का बोझ जनता पर डाल रही है। सभापति महोदय, इन भाब्दों के साथ मैं इन सप्लीमंटरी डिमांडज का विरोध करता हूं।

श्री जय नारायण वर्मा (बरवाला): सभापति महोदय, सदन के सामने 1 अरब, 39 करोड़ 6 लाख , 93 हजारी 790 रूपये की अनुपूरक मांगे रखी गई है। सभापति महोदय, हर विभाग का हर एक मांग के साने पे रिजिजन से संबंधित जितना पेसा इंवाल्व है, वह दिया हुआ है। सरकार ने हर मांग मे बताया है कि पे रिविजन से उसके ऊपर इतना बोझा पड़ा हैं इसलिये मैं पहले पे रिविजन के बारे मे ही दो चार बाते कहना चाहता हूं। सभापति महोदय, सरकार ने बड़े जोर से यह बात कही कि सरकारी कर्मचारियों का पे रिविजन किया गया और उनको इतना लाभ सरकार ने दिया लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस पे रिविजन मे बेचारे गरीब तथा बेसहारा कर्मचारियों को अनदेखा कर दिया गया है। मिसाल के तौर पर जब चौधरी देवी लाल की सरकार थी तो पब्लिक हैल्थ, बी. एण्ड आर. तथा इरीगे ान डिपार्टमैंट मे जो वर्कचार्ज कर्मचारी थे उनको रैगुलर कर दिया गया था लेकिन आज वे हरियाणा के बचे हुए वर्कचार्ज एम्पलाइज दर दर की ठोकरें खा रहे है। इनके बारे मे पे कमि ान की रिपोर्ट मे जिक्र तक नही किया गया है। सरकार ने घोशणा की थी कि जिन वर्कचार्ज एम्पलाइज की सर्विस पांच साल की हो जायेगी उनको रैगुलर कर दिया जायेगा लेकिन भारारत के

साथ उनकी सर्विस मे एक एक दो दो दिन की ब्रेक की गई और इस एक एक दो दो दिन की ब्रेक के कारण उनको रैगुलर करने का जो प्रावधान था, उसे वे वंचित रह गये। सभापति महोदय, आप जानते होंगे कि ये वर्कचार्ज एम्पलाइज वे है जिनके कोई साधन नही है, जिनकी बहुत बड़ी सिफारि ें नही है। इसलिये मैं सदन का ध्यान उनकी समस्या की ओर आकर्शित करना चाहता हूं कि सरकार उनकी तरफ ध्यान दे, जिनकी सर्विस मे एक या दो दिन का ब्रेक दिखालकर भारारत की गई है। उनकी समस्या पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए ताकि एक दो दिन की ब्रेक करके जो भारारत की गई है वह उन्हें प्रभावित न करें और उनको रेगुलर किया जाना चाहिए। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि वर्कचार्ज के लिये जो पांच साल का पीरियड रखा है उस अवधि को घटाकर दो साल किया जाना चाहिए और दो साल की अवधि मे सरकार इस बात का ध्यान रखे कि ब्रेक की भारारत न होने पाए और वर्कचार्ज एम्पलाइज के बारे मे एक पे कमि ान बिठाया जाये जो उनकी पे के बारे मे कोई निर्णय करे। आज तक इन वर्कचार्ज एम्पलाइज के बारे मे कोई कमि ान नही बिठाया गया है इसलिये मैं एक बार फिर सरकार से दरखास्त करना चाहता हूं कि इन कर्मचारियों के लिये पे कमि ान अवध्य बिठाए। इसके बाद डिमान्ड नम्बर 2 आ जाती है। यह डिमांड जनरल एडमिनिस्ट्रे ान के बारे मे है। सभापति महोदय, आपको पता है कि हर स्टेट मे और हरियाणा मे भी बड़े बड़े आई.ए.एस. औफिसर्ज है जिनका कार्य केवल स्टेट का प्र ाासन चलाना है। इनमे फाइनैंि ायल

कमि ानर्ज और कमि ानर्ज आते है । सभापति महोदय, केंन्द्रीय सरकार के नियम के मुताबिक कमि ानर्ज होने चाहिये उनसे कहीं ज्यादा है। मेरा कहने का मतलब यह है कि हरियाणा मे जितने कमि ानर्ज होने चाहिये उनसे कहीं ज्यादा है। इससे हमारी स्टेट पर खर्चा ज्यादा बढ़ता है। सरकार को इस बात का ख्याल रखना चाहिए। इसी तरह से सभापति महोदय, आपको हरियाणा मे व्याप्त असंतोश के बारे मे भी पता होगा। पिछले दिनों मे यह असंतोश काफी बढ़ा है। सभापति4 महोदय, आई.ए.एस. आफिसर्ज उच्च ि ाक्षा प्राप्त है, उनको प्र ाासन चलाना आता है। इसमे कोई भाक वाली बात नही है लेकिन कोई आदमी आज एक दुकान चलाता है और कल को उस आदमी को कपड़े की दुकान चलाने के लिये कह दिया जाये तो वह आदमी कपड़े की दुकान चला लेगा लेकिन अगर उस आदमी को डाक्टर की दुकान खोल दी जाये और वह इन्जैक ान लगाने लग जाये तो क्या सफल हो सकेगा ? मेरा विचार हे कि वह कभी सफल नही हो सकेगा। लेकिन आज हरियाणा मे यह हो रहा है कि जो इन्जीनियर्ज है, जो डाक्टर्ज है, जो टैक्नोक्रेटस है, उनके ऊपर आई.ए.एस. औफिसर्ज को बिठाया जा रहा है और इसी कारण विभिनना महकमों मे काफी असंतोश व्यापत है। मैंने कमेटीज मे यह बात पूछी की ि ाक्षा विभाग मे क्या कोई ि ाक्षा भाास्त्री नही होना चाहिए? क्या केवल आई.ए.एस. औफिसर्ज ही ि ाखा विभाग को चला सकता है ? इसमे कोई दो राय नही है कि प्र ाासन का काम ये आई.ए.एस. औफिसर्ज अच्छी तरह चला सकते है लेकिन

इनको अगर आप टैक्नोक्रेटस, इंजीनियर्ज, डाक्टर्ज और ि ाक्षा विभाग मे ि ाक्षा भाास्त्रियों के ऊपर लगा देंगे तो उनके साथ बेइन्साफी होगी और इस बात की झलक सब जगह हरियाणा मे मिलती है। इस मामले पर पूरा गौर किया जाना चाहिए। साहित्य अकादमी का मुखिया कोई साहित्यकार और ि ाक्षा विभाग का कोई भाास्त्री होना चाहिए। इंजीनियर्ज और डाक्टर्ज के जो महकमे है उनका मुखिया उनके विभाग का कोई आदमी होना चाहिए। इसी तरह से....

श्री सभापतिः आप कौन सी डिमांड पर बोल रहे है?

श्री जय नारायण वर्माः सभापति महोदय, मैं जनरल एडमिनिस्ट्र ान पर ही बोल रहा हूं। सभापति महोदय, मैं कह रहा था कि ि ाखा विभाग का मुखिया कोई ि ाक्षा विभाग का मुखिया, साहित्य अकादमी का मुखिया ि ाक्षाविद और साहितयकार हो। हरियाणा मे अब तक तीन राज्य कवि बनाए है। पहले राज्य कवि खु ाीराम वि ाश्ठ थे, दूसरे श्री उदस मानू हंस बनाये गये हौर तीसरे पंडित परमानन्द बनाए गये। लेकिन किसी भी राज्य कवि को साहित्य आकादमी का मुखिया नही बनाया गया। सभापति महोदय, अगर राज्य कवि इनका मुखिया नही हो सकता तो इसका मतलब यह है कि चाटुकारों को ही इनका मुखिया बनाया जा सकता है। इसलिये मेरी सरकार से दखास्त है कि हर विभाग का मुखिया केवल आई.ए.एस. औफिसर को ही नही लगाना चाहिए बल्कि उस लाइन के जो ऐक्स टेस है उनमे से लगाना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं दो तीन बाते और कहना चाहता हूं। क्लास टू और क्लास थ्री के मुलाजिमों को पांच छ साल की सर्विस के बाद जम्प का प्रावधान है लेकिन बेचारे चौथी श्रेणी के मुलाजिम है, चपरासी है, या दूसरे कोई चौथी श्रेणी के कर्मचारी है उन्हें जम्प का प्रोवीजन नही है जो होना चाहिए।

श्री सभापतिः आप डिमांड का नम्बर बता दे जिससे कि मिनिस्टर महोदय वह नम्बर नोट कर ले।

श्री जय नारायण वर्माः नम्बर दो डिमांड जनरल एडमिनिस्ट्रे ान की है। मैं एम्पलाइज की पे रिविजन के बोर मे बोल रहा हूं । पीछे पता लगा था कि कोई पे ऐनोमली कमेटी बनाई गई थी लेकिन फिर भी एम्पलाइज मे काफी असंतोश है। सभापति महोदय, जे.बी.टी. टीचर्ज का स्केल 420—700 था, लेकिन अब पे रिविजन मे 480—760 किया गया लेकिन इससे कुछ लाभ नही हुआ जबकि पे रिविजन से उनको लाभ मिलना चाहिए था। हमें इस बाम की जानकारी मिली है कि जो मुलाजिम पहले स्केल के मुताबिक जितनी तनखाह ले रहे थे अब नए स्केल के मुताबिक उनको कम दिया जा रहा है और उनसे पैसा वापिस लिया जा रहा है। इसकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए और कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि उनको कोई नुक्सान न हो।

सभापति महोदय, अब मैं डिमांड नम्बर तीन के बारे मे कहना चाहता हूं। यह डिमांड गृह विभाग से संबंधित है और बड़ी

सुन्दर डिमांड है। सभापति महोदय, पहले तो चौधरी भजन लाल को इस बात का खतरा था कि कहीं सरकार गिर न जाये लेकिन अब तो वह खतरा टल गया हैं सभापति महोदय, मंत्री परिशद मे ऐसे ऐसे मंत्री भी है जिनको , यह पता तक नही है कि उनका महकमा कौन सा है? अगर मंत्री परिशद मे मंत्रियों की संख्या कम कर दी जाये तो खर्चा कम किया जा सकता है। सभापति महोदय, गृह विभाग बहुत काबिल आदमी के पास हैं वे बहुत अच्छे आदमी है। इससे पुलिस की छवि निखरेगी। इस डिमांड मे तीन बातों के लिये पैसा मांगा गया है। एक तो पे रिविजन से कुछ खर्चा बढ़ा है। दूसरे पुलिस के कुछ और पद सृजित किये गये है। बड़ी अच्छी बात है। इससे पुलिस महकमे के बारे मे जो लोगो के विचार है, लोगा के दिल मे जो पुलिस की छवि है, वह और बढ़ जायेगी। सभापति महोदय, इस सदन मे कितनी ही बार और सदन से बाहर भी हरियाणा की पुलिस और सरकार की छवि के बारे मे जिक्र हुआ है और उस छवि से एक एक आदमी परिचित है । सभापति महोदय, अगर हरियाणा की पुलिस की छवि देखनी है तो हमें डिमान्ड नम्बर साल मे जाना होगा। उस डिमांड मे डबवाली कांड का जिक्र है। भीला देवी के साथ जो कुछ हुआ उससे पुलिस की छवि कैसे सुधरेगी ? जांच आयोग की रिपोर्ट से यह स्पश्ट है कि हरियाणा की पुलिस की छवि क्या है। सभापति महोदय, घरौंडा मे क्या हुआ यह सब को पता है। एक माननीय व्यक्ति जिसके बारे मे सब जानते है उसके बारे मे केवल यह कह देना कि डाक्टर की रिपोर्ट आ गई है इसलिये उस के से मे

पुलिस इंवाल्व नही है यह काफी नही है। पुलिस के द्वारा उस आदमी को बिस्तर दिया गया यह कितने गल्त बात है। आज कौन भारीफ आदमी रात को थाने मे रहना पसन्द करेगा ? क्या यह भारीफ आदमी किसी के मकान या किसी और जगह नही ठहर सकता था? लोहारू मे पुलिस ने फायरिंग की, क्या उससे पुलिस की छवि सुधरी है? इस तरह के बहुत सरे मामले है। पिछले सालों मे कितनी नाबालिग और बैकवर्ड क्लासिज की लड़कियों से रेप हुए है? अभी पीछे एक सात साल की बैकवर्ड क्लास की लड़की का रेप करने की कोि ा ा की गई। जो रेप करने वाला आदमी था वह गिरफतार नही किया गया और इसका कारण यह था कि उस आदमी के साथ पुलिस अफसर की मिली भगत थी। सभापति महोदय, इस सरकार की छवि हमारी हरियाणा पुलिस की है। हम सोचते है कि हमारी सरकार की छवि जैसी भी हो ठीक है लेकिन पुलिस के महकमे की छवि बढ़नी चाहिए। आज इस बात की आव यकता है कि पुलिस दबाव मे आकर अपने बौसिज को खु ा करने के लिये कोई ऐसी बात न करें जिससे कि हरियाणा की पुलिस की बदनामी हो। हर तरह से पुलिस की छवि बढ़ाने की कोि ा ा करनी चाहिए।

(इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं डिमांड नम्बर 22, जोकि सहकारिता विभाग से संबंधित है पर दो मिनट बोलना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, यह विभाग बड़ा सुन्दर है और सरकार ने इसके

लिये बहुत सारी घोशणाएं भी की है कि हर दो दो हजार आबादी वाले गांव के अंदर सस्ते दामों पर रोजमर्रा की जरूरियात की वस्तुओं के लिये, जिससे लोगो को सहूलियतें हो, कोआपरेटिव स्टोर्ज खोले जायेंगे ताकि लोगों को जगह जगह पर ठोकर न खानी पड़े और डीजल के लिये, मिट्टी के तेल के लिये, साबुन के लिये, दालों के लिये लाइनों मे न लगना पड़े, इस तरह की सरकार ने कई घोशणाएं की है।

डिप्टी स्पीकर साहब, हम गांव गांव मे जाने के आदी है और आपको भी कभी गांवों मे जाने का मौका मिले तो आप जरूर जाईएगा और देखियेगा कि जो कोआपरेटिव स्टोर्ज सरकार ने गांव गांव मे खोल रखे है, वहां पर लोगो को उनकी ज5रूरत की चीजें बिल्कुल मिलती नही है। मिट्टी का तेल मिलता है। दूसरी जो एक साधारण व्यक्ति के इस्तेमाल की चीजे है नी मिलती और इससे बड़ी बात एक और है जो मैं यहां हाउस मे नही कहना चाहूंगा क्योंकि हमारी किसी प्राइवेट आदमी के साथ डिस्क ान हुई है। एक और बड़ी गम्भीर बात है जो मैं इस कंफेड सहकारिता विभाग के बारे मे कहना चाहता हूं। इस कंफेड के एक उच्च अधिकारी एम.डी. साहब है, मैं उनका नाम नही लूंगा। उन से जब जवाब मांगा गया कि आप इस महकमे मे रिक्रूटमेंट कैसे करते है, किस तरह से लोगा की भर्ती की जाती है, आया इम्पलायमेंट एक्सचेंज के द्वारा की जाती है या डायरेक्ट की जाती है? निकाले कितने है और नये भर्ती कितने किये है ? वे कहते है कि 'ए फयू'

। कितना गोलमोल सा जवाब देते है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि चुनाव के दिनों मे वह आफिसर अपनी जेब मे ब्लैन्क पेपर पर अप्वायंटमेंट लेटर लैटर घूमते थे, ठाकुर बीर सिंह जी भी इस बात को भली भांति जानते है। जहां चाहे वह अप्वायंटमैंट लैटर इ यू कर देते थे, उनको कोई पूछने वाला नही था। एक बार वे हमारी कमेटी के सामने आये उनसे हमने पूछा कि इम्पलायमेंट एक्सचेंज की मार्फत भर्ती की गई तो कहने लगे नही जी कुछ अखबारों के द्वारा, कुछ ओपन मार्किट मे से लिये गये। हमने पूछा कि ओपन मार्किट का क्या मतलब है तो उसका कोई जवाब उनके पास नही था। इस तरह की धांधलियां हो रही हैं मेरे कहने का तात्पर्य, अपाध्यक्ष महोदय, यह है कि जो भर्ती के लिये नियम निर्धारित होते है, जो नार्मज होते है, उन सब को ताक पर रख कर, जिसको चाहो भर्ती किया जिसको चाहा निकाल दिया गया। कोई दलील नही दी जाती कि क्यों निकाला गया है क्योंकि ऐसा करने मे विभाग की छवि मरती थी। सो मेरा कहना है कि इस तरह की दुकाने अगर गांव गांव मे खोली जाये तो अच्छा है ब ार्ते कि उन दुकानों से आम आदमी को उसकी जरूरत की चीजे सही दामों पर मुहैया की जायें वरना इन दुकानों का सही उपयोग नही है। वैसे इन दुकानों का लाभ आदमी को नही मिलता, क्योंकि लोगों को उन की रोजमर्रा की चीज सस्ते दामों पर इन दुकानो से उपलब्ध नही करायी जाती है और और लोग दर दर की ठोकरें खाते है। इस तरह से सरकार की सारी योजनायें वैसी की वैसी ही धरी रह जायेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, कुल मिलाकर 139 करोड़ रूपये की मांगे रखी गयी है। कुछ बातें आम जनता की जरूरतों को पूरा करने के लिये, हरियाणा के उदे यों की पूर्ति के लिये की गई है और कुछ काम सरकार की छवि को बढ़ाने के लिये किये गये है। अगर इस प्रकार का बोझ जनता पर पड़ता है तो बर्दास्त किया जा सकता है लेकिन फजूल खर्ची जैसाकि मैंने पहले बताया है, अगर अनाव यक खर्चे बढ़ायें जायेंगे तो ये हरियाणा की गरीब जनता के ऊपर बोझ होंगे और ऐसे बोझों को हरियाणा की गरीब जनता बिल्कुल बर्दा त नही करेगी। इस तरह से यह बड़ी चिंता का विशय है। सरकार पहली किस्त लाई, दूसरी किस्त लाई और फिर उसके बाद तीसरी किस्त भी लाई। इनके पास समय नही था नही तो हो सकता था कि भाायद चौथी किस्त भी ले आते । उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो 50 करोड़ रूपये का घाटा दिखलाया गया है और दुसरी तरफ सरकार अपने मनमाने ढंग से काम कर रही है और सप्लीमैंटरी द्वारा सरकार से निवेदन है कि इस तरह की मनमानी करके हरियाणा के गरीब लोगों को धोखा न दिया जाये और जो स्टेट का पैसा है उसको लोगो की भलाई के लिये लगाया जाये। इन भाब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हुआ और सप्लीमेंटरी डिमांडज का विरोध करते हुए अपना स्थान लेता हूं।

श्री फतेह चंद विज (पानीपत): उपाध्यक्ष महोदय, सब से पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का

समय दिया । मैं पहले तो डिमांड नम्बर 10 जोकि पब्लिक हैल्थ से संबंधित है पर बोलना चाहता हूं जिसके द्वारा स्टेट वाटर पोल्यू ान बोर्ड के लिये पैसा मांगा गया है। डिप्टी स्पीकर साहब, आप स्टेट के अंदर किसी इंडस्ट्रीयल एरिया के किसी कारखाने के बाहर चले जायें, आप देखेंगे कि उस कारखाने के बाहर जोहड़ बने हुए है जहां पर गन्दा पानी इकट्ठा होता है। डिप्टी स्पीकर साहब, हमें कहीं पर वाटर पोल्यू ान कंट्रोल बोर्ड दिखाई नही देता जिसके लिये यहां पर पैसा मांगा जा रहा है। आपको पता है कि पानीपत एक बड़ा इंडस्ट्रीय टाउन है, उसको इंडस्ट्रीयल टाउन बने हुए 25 साल के लगभग हो गये है। आज भी आप देखेंगे कि वहां पर कारखानो के बाहर सड़को पर गंदा पानी बिखरा पड़ा है और फिर यह सरकार इसी बोर्ड के लिये पैसे की मांग करें तो यह उचित नही है। ऐसे इस्तेमाल के लिये जो नाजायज मांग की जा रही हो, मैं उसका विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्षः पानीपत के बारे मे तो विज साहब आप इनसे आ वासन ले लो।

श्री फतेह चंद विजः उपाध्यक्ष महोदय, आपको पता है कि यह पानीपत एक ऐतिहासिक नगर है और स्टेट का एक ऐसा इंडस्ट्रीयल एरिया है जहां की पापुले ान कोई लगभग 1 लाख 30 हजार के करीब है। लगभग 50 करोड़ रूपये का माल सालाना यहां पर बनता है जिसमे से 30 करोड़ रूपये का माल एक्सपोर्ट होता है और बाकी 20 करोड़ रूपये का माल भारतवर्श मे बरता

जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, अफसोस की बात है कि इतना फारन एक्सचेंज कमाने वाले भाहर की ऐसी हालत हो तो भाोभा नही देता। मैं आपको बताता हूं कि जब वहां पर फारनर्ज आते है तो वे अपना नाक ढक लेते है और कहते है कि यह भाहर बहुत गंदा है और दूसरी तरफ यह सरकार इस काम के लिये पैसा मांगे। मैंने इस बारे मे मिनिस्टर साहब से भी बात की थी। सरकार को इस ओर पूरा ध्यान देना चाहिए और इस भाहर की हालत सुधारनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकों बताना चाहता हूं कि एक बार भााह ईरान भारत मे अम्बाला हवाई अड्डे पर आये। उस वक्त पंजाब मे महा ाय बनारसी दास जी जेल व फूड विभाग के डिप्टी मिनिस्टर थे और वे उन्हे रिसीव करने के लिये वहां गये थे। जब भााह ईरान जी ने कहा 'Food for himself and jail for others' (हंसी) इसी तरह से मेरा कहने का मतलब यह है कि जो सरकार के फण्डज है, ये केवल कालका के लिये ही नही हैं स्टेट के और भी ऐसे हिस्से है जहां पर कि डिवेल्पमेंट की बड़ी आव यकता हैं सरकार को सभी तरफ ध्यान देना चाहिए और स्पे ाल तौर पर पानीपत की तरफ जहां कि सब से बड़ा बिजिनस है और 30 करोड़ रूपये का माल एक्सपोर्ट होता है ध्यान देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके बाद मैं मैडीकल की ग्रांट पर आता हूं। यह पानीपत का भाहर जी.टी. रोड़ पर बसा हुआ है। पानीपत, संभालखा और घरौंडा मे अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता

है उन सभी लोगो को पानीपत मे हस्पताल मे लाया जाता है क्योंकि वहीं पर ही कुछ मैडीकल ऐड है, लेकिन हैरानगी की बात यह है कि वहां पर कोई सरजन नही है ओर दूसरी तरफ सरकार मैंडीकल के लिये और पैसे की मांग कर रही है ? जब वहां पर किसी आदमी को लाया जाता है तो सिवाये पट्टी के और कुछ ऐड नही मिलती पट्टी करके कह देते है कि इन्हें रोहतक ले जाओ या दिल्ली ले जाआ। इसलिये जब तक पानीपत मे पर्याप्त मैडीकल ऐड नही होगी तब तक उन गरीब आदमियों का, जिनका एक्सीडेंट हो जाता है, भला नही हो सकता। इसलिये मेरील सरकार से रिकवैस्ट है कि इस तरु पूरा ध्यान दिया जाये और जल्दी से जल्दी एक सरजन की नियुक्ति वहां पर की जाये। अतः मैं डट कर इस डिमांड का विरोध करता हूं। उपाध्यक्ष हमतोदय, किस किस चीज को रोया जाये, किस को कहा जाये। मैं इस सरकार के कारनामों के बारे मे बताता हूं। डिमांड नम्बर 9 के मुताबिक एि ायन गेम्ज के लिये 3678600 रूपया खर्च करके वेस्ट कर दिया गया है क्योंकि अगर खेलों का फैसला ही नही हुआ था तो इस पैसे को बर्बाद करने की क्या जरूरत थी ? इन्होंने बगैर किसी अ योरेंस के पैसा खर्च कर दिया इसलिये इसकी इन्क्वायरी होनी चाहिए । खाली एक स्लीगन पर वि वास करके यह पैसा बर्बाद कर दिया गया। डिप्टी स्पीकर साहब, फुड एंड सिविज सप्लाइज डिपार्टमैंट के बारे मे तो बहुत से मैंबरों ने पहले ही बहुत कुछ कहा है मैं रैपीटी ान नही करना चाहता। इतना ही कहूंगा कि इस विभाग की तरफ ध्यान दिया जाये। आपको मालूम

है कि इस वक्त बाजार के आटे का भाव दो सवा दो रूपये किलो है। इसलिये इस महकमे के लिये जो पैसा मांगा जा रहा है वह भी गलत है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि गंदे पानी की वजह से पानीपत के अंदर कारखानों की दीवारें गिरती जा रही है इसलिये उस पानी को रोकने का प्रबंध भीघ्र किया जाये वरना यह जो पैसा मांगा जा रहा है इसको मंजूर न किया जाये। इन भाब्दों के साथ मैं इस सप्लीमैंटरी डिमांडज का विरोध करता हूं।

स्वामी आदित्यवे ा: आदणीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सामने अनुपूरक अनुमान चर्चा करने के लिये रखे गये हैं इसके लिये मैं वित्त मंखी चौधरी खुर ाीद अहमद जी का हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूं । इन्होंने बड़े अच्छे ढंग से हरियाणा का विकास करने के लिये बड़ी उदारता के साथ रूपये का वितरण किया है। उपाध्यक्ष महोदय, सारी मांगे 139 करोड़ रूपये की है और इसमें लगभग 64 करोड़ रूपया ऐसा है जो कर्जे को लौटाने के लिये मांगा जा रहा है। कर्जा लेकर वापिस दे देना यह राज्य कवकास का परिचायक है और यह इस बात का सबूत है कि हमारा दीवाला नही निकला हुआ। इसी तरह से उपाध्यक्ष महोदय, बाकी जो 75 करोड़ रूपया बचता है उसमे से 12 करोड़ रूपया ि ाक्षा विभाग पर खर्च किया गया है। इस रा ि ा मे से कुछ पैसा जो हमारे 70–80 हजार अध्यापक है, जो हमारे गुरू है, उनके वेतन पर खर्च किया । छोटू राम कालेज, वै ा कालेज, तथा उनके अलावा और जो हमारी प्राइवेट संस्थाएं है, उनको

ग्रांट देने पर खर्च किया गया। क्योंकि हमारी कुछ प्राइवेट संस्थाएं ऐसी थी जो धन के अभाव के कारण चल नही प रही थी, उसके लिये सरकार नक कहीं पर एक लाख रूपया दिया, कहीं पर दो लाख और कहीं पर तीन लाख रूपया ग्रांट के तौर पर दिया। इसके लिये हमारी सरकार बधाई की पात्र है। इसी प्रकार से उपाध्यक्ष महोदय, 9 करोड़ रूपया जो मांग नम्बर 4 मे मांगा गया है वह इस वजह से मांगा गया है कि कहीं पर ओले पड़ गये और कहीं पर बाढ़ आ गई जिसकी वजह से किसानो का नुकसान हुआ। किसानो को नुक्सान का मुआवजा देने के लिये सरकार ने यह पैसा खर्च किया था। जब से हरियाणा बना है, हरियाणा के इतिहास मे यह पहली मिसाल है कि 9 करोड़ रूपया उदारता के साथ नही दिया गया था। उपाध्यक्ष महोदय, जिस किसान का नुक्सान 75 प्रति ात तक हुआ, उसको सरकार ने 400 रूपये प्रति एकड़ के हिसार से देने का फैसला किया, जिसका नुक्सान 50 प्रति ात तक हुआ उसको 300 रूपये प्रति एकड़ के हिसाब से और जिसका नुकसान 50 प्रति ात तक हुआ उसको 200 रूपये प्रति एकड़ के हिसाब से देने कार फैसला किया। ऐसा करके सरकार ने किसानो को एक तरह से गारंटी दे दी कि हम आपको बर्बाद नही होने देंगे। उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा करके हमारी सरकार ने एक नई तरह की मिसाल कायम की है इसलिये सरकार बधाई की पात्र है। उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से 18 करोड़ रूपया इसमे विभिन्न विभागों को कर्जा देने के लिये मांगा जा रहा है। इसमे हमारे सरकारी कमचारी भी है, उद्योग निगम भी है, बिजली

बोर्ड है, कंफैड भी है और इसके आलावा औरी भी पब्लिक अंडरटेकिंग्ज है जिनका कर्जा दिया गया । यह कर्जा इसलिये दिया गया ताकि वे विकास की गति को ओर तेज कर सके। मैं समझता हूं कि जब से हरियाणा बना है, तब से इतने सस्ते ब्याज की दर पर पब्लिक इंडरटेकिंग्ज को कभी भी कर्जा नही दिया गयां इसी प्रकार से मैं मांग संख्या 9 पर कुछ कहना चाहूंगा। बहुत सी प्राइवेट ि ाखा संस्थाएं है जिनकी पैसे के अभाव मे अच्छी हालत नही थी, सरकार ने उदारता के साथ इस संस्थाओं की सहायता की। पिछले दिनों मेरे बहुत से भाइयों ने कहा कि हिसार मे जाटों की कोई धर्म ाला नही बनी हुई। हमारे मुख्य मंत्री जी बड़ी उदारता के साथ वहां पर धर्म ाला बनाने के लिये, जमीन, 25 लाख रूपये और सवा लाख रूपया सालानाउसकी मुरम्मत के लिये दे रहे है। यह कितनासराहनीय कदम है, इससे पहले कभी ऐसा नही हुआ था। इसी प्रकार से उपाध्यक्ष महोदय, बहुत से हमारे कालेज ऐसे थे जो पैसे के अभाव के कारण चल नही पाते थे। हमारी सरकार ने ऐसे 13 कोलेजों को टेक ओवर किया। (विघ्न)

एक आवाजः यह फैसला तो चौधरी देवी लाल ने किया था।

स्वामी आदित्यवे ाः उनका कालेजों से क्या ताल्लुक है? (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि हमारी सरकार ने 13 कालेजों को टेक ओवर किया और 36 लाख रूपया अनुदान के रूप मे दिया। पहले बहुत से हामरे प्राध्यापक दर दर की ठोकरें

खाया करते थे ओर उनको 15–15 और 20–20 महीनों तक वेतन नही मिलता था। (विघ्न) * * * * * * * *

* * * * *

श्री उपाध्यक्षः देवी लाल जी के बारे मे जो कुछ कहा गया है वह एक्सपंज कर दिया जाये। स्वामी जी, आदमी हाउस मे अपने आप को डिफैंड न कर सके, उसका नाम नही आना चाहिए।

स्वामी आदित्यवे ाः उपाध्यक्ष महोदय, उनको डिग्री कालेज का कोई पता नही। कौन प्रोफैसर है या कौन प्रिंसिपल है कुछ पता नही था । लेकिन उन लोगों ने जैसे ही इस सरकार को ज्ञापन दिया कि उन्हे 15–20 महीनो से मेतन नही मिल रहा है तो इस सरकार ने 13 कालेजों को टेक ओवर करके 36 लाख रूपया अनुदान के रूप मे दिया। इसके अलावा और भी बहुत अच्छे काम इस सरकार ने किये है। पहले जहां कालेजो को 75 प्रति ात ग्रांट मिलती थी अब उसको बढ़ा कर 95 प्रति ात कर दिया है। यह सारे दे ा मे एक नये प्रकार की मिसाल है। ऐसा करने से किसी कालेज को पैसे की कमी के कारण मजबूर नही होना पड़ेगा। इसी प्रकार से उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 11 भाहरी विकास के बारे मे है। पहलै हुडडा को पैसे की कमी पड़ती थी अब हमारी सरकार ने एक करोड़ रूपया हुडडा को दिया है और कहा है कि आत तुरंत जमीन एक्वायर करके विकास के काम को आगे बढ़ाये। इसी प्रकार कुरूक्षेत्र जो महाभारत की रणभूमि है, सारी दूनियां मे वह एक ऐतिहासिक स्थान के विकास के लिये

सरकार ने 50 लाख रूपये का प्रावधान रखा है। मैं समझता हूं कि यह जहां एक ओर ऐतिहासिक स्थान है वहां दूसरी ओर धार्मिक स्थान भी है। ऐसा करने से हमारी सरकार की मनोवृति की भी मिसाल कायम होती है। ऐसे कामो के लिये भी हमारी सरकार दिल खोल कर अनुदान देती है। इसके लिये भी सरकार बधाई की पात्र है। उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से मांग संख्या 12 है जो रोजगार से संबंधित है। हमारी सरकारने सूखाग्रस्त इलाकों मे रोजगार देने के लिये इन अनुपूरक अनुमानों मे एक करोड़ रूपया रखा है ताकि वहां के लोग मजदूरी कर सकें और तुरंत भुगतान कर सके। उपाध्यक्ष महोदय, 1865 मे दे ा मे सूखा पड़ा था और अकाल के कारण हरियाणा की भूमि मे लगभग 6 लाख लोग दम तोड़ गये थे लेकिन आज सूखा पड़ने से ऐसी कोइ मिसाल नही मिलती जिसमे सूखा से इतनी बड़ी तादाद मे लोगों की मृत्यु हुई हो। सरकार इस के लिये बधाई की पात्र है और सरकार ने एलान किया है कि सरकार किसी को भी सूखा के कारण मरने नही देगी, लेकिन परमात्मा से लड़ा नही जा सकता फिर भी सरकार ने बड़ी उदारता के साथ सूखा ग्रस्त इलाकों के गरीब भाइयों को मदद के लिये काफी रकम रखी है।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं मांग संख्या 13 के बारे मे कहना चाहता हूं जिसमे समाज कल्याण के बारे मे रूपया खच्र किया गया है। (घंटी) डिप्टी स्पीकर साहब, पिछड़ी जातियों के भाइयों को मकान बनाने के लिये सरकार ने कर्जा दिया है। जिस

भाई को 5000 रूपया कर्जा दिया जायेगा उस मे से 2000 रूपया सरकार उसको दान के रूप मे दे रही है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो पांच हजार रूपया सरकार देगी उस मे से दो हजार रूपया माफ कर देगी और जो बाकी रा ि ा उसके पास कर्ज के रूप मे रह जायेगी। उसकी अदायगी बहुत थोड़े ब्याज के साथ लम्बे अर्से मे वसूल की जायेगी।

श्री उपाध्यक्षः स्वामी जी, अब आप समाप्त करें।

स्वामी आदित्यवे ाः उपाध्यक्ष महोदय, आप देख रहे है कि सरकार अनुसूचित जातियों के भाइयों के लिये कितनी उदारता से काम लेक रही हैं आपको मालूम होगा कि त्रिपुरा के मुख्य मंत्री ने हमारी सरकार से अपील की थी कि वहां पर आकस्मिक घटनायें हो जाने के कारण लोगो के घर बरबाद हो गये है, इसलिये उन असहाय लोगो की मदद की जाये। गरीबों का ध्यान रखते हुए सरकार ने 1 करोड़ रूपया उन लोगो के घर बसाने के लिये दिया। आप देखें, हरियाणा से ही नही बल्कि दे ा के किसी कोने से गरीबों की मदद करने के लिये आवाज आती है तो सरकार हमे ाा तैयार रहती है। त्रिपुरा के भारणार्थियों को मदद देकर सरकार ने बड़ी उदारता का सबूत दिया है।

श्री उपाध्यक्षः स्वामी जी, आप एक मिनट के अंदर वाईंड अप करे।

स्वामी आदित्यवे I: डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं मांग संख्या 16 पर, जो इंडस्ट्रीज के बारे मे है थोड़ा सा कहना चाहता हूं। हमारे से भाइयों ने अपने अपने गांवों मे उद्योग धंधे लगाये है और इन उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार ने बिजली की छूट और 21436380 रूपये से नये उद्योग स्थापित करने के लिये सरकार ने व्यवस्था की है और मैं समझता हूं कि सरकार इसके लिये बधाई की पात्र है। डिप्टी स्पीकर साहब इन मांगों मे सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है कि सीमांत और छोटे किसान जिन के ऊपर तकरीबन 6 करोड़ रूपये का कर्जा था और जिसका ब्याज 46 लाख रूपया सालाना बनता था सरकार ने इस 46 लाख के ब्याज को माफ कर दिया जिस के कारण सरकारी खजाने पर 46 लाख रूपये का बोझा पड़ा। यह एक मिसाल कायम कर दी सारे हिन्दुस्तान मे कि किसी सरकार ने छोटे किसानो को इतनी बड़ी मदद दी हो। डिप्टी स्पीकर साहब, गरीब किसानों के अलावा जो बाकी लोग रह गये है सरकार ने उनको 63 करोड़ रूपये का कर्जा दिया है। इस कर्जे मे तकरीबन छ सात करोड़ रूपया गरीबों को दिया जायेगा (घंटी) डिप्टी स्पीकर साहब, इन भाब्दों के साथ मैं अनुपूरक मांगो का समर्थन करता हूं और ये सब मांगे बड़ी जायज है इनको पास कर दिया जाये।

चौधरी संत कंवर (हसनगढ़): डिप्टी स्पीकर साहब, आपने मुझे बोलने के लिये टाईम दिया है आपका धन्यवाद करते हुए अफसोस जाहिर करना चाहता हूं कि इस प्रदे ा की जनता

का पैसा बड़ी बेरहमी के साथ बड़ी निर्दयता के साथ, बड़े गलत ढंग से सरकार अपने ए ाो आराम पर खर्च कर रही है। डिप्टी स्पीकर साहब, आपने पढ़ा होगा स्वामी जी ने भाायद पढ़ा नही है पृश्ठ 3 पर डिमांड संख्या 2 है। इस मे लिखा है कि जनरल एडमिनिस्ट्रे ान पर कौंसिल आफ मिनिस्टर्ज पर 1955975 रूपया खर्च होगा, मंत्रियों के लिये कारें खरीदी जायेगी, मंत्रियों की कोठियों के लिये पर्दे तथा बढ़िया साजोसामान खरीदा जायेगा। डिप्टी स्पीकर साहब, इाके अलावा एक और काम किया है कि मिनिस्टर्ज की डिस्की ानी ग्रांट भी बढ़ा दी गई है जिसकी सारे हरियाणा मे बड़ी जबरदस्त चर्चा है। किसी गांव मे चौधरी मेहर सिंह राठी गये थे और साली के गांव मे एक लाख रूपये की ग्रांट देकर आ गये, सारे हरियाणा मे इस बात की चर्चा है। (व्यवधान)

आबकारी तथा कराधान मंत्री (चौधरी मेहर सिंह राठी): जब हम गांवों मे पैसा देते है तो भी इतराज करते है, यह ठीक नही है। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र सिंहः डिप्टी सपीकर साहब, इनकी पैसा बांटने की उम्र नही है। (व्यवधान)

चौधरी संत कंवरः बांटी लेकिन इस तरह से चेस्ट नही करना चाहिए। श्री खुर ाीद जी सालियों, के इलावा जहां किसी दूसरी जगह जाते है तो एक लाख ग्रांट की जगह डेढ़ ग्रांट की अनाऊंसमैंअ करके आ जाते है। (व्यवधान)

चौधरी मेहर सिंह राठीः यह ग्रांट सारी की सारी डिवैल्पमैंट पर खर्च हो रही है।

चौधरी संत कंवरः डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं एक इम्पोर्टैड इ ा पर जाता हूं। डिमांड नं. 9 एजुके ान के बारे मे है। इस मे ए ियन गेम्ज के लिये 3678600 रूपया खर्च किया है। डिप्टी स्पीकर साहब, जो सरकार अपने स्कूलों के टूटे छत ठीक नही करवा सकती, बच्चों के बैठने का इंतजाम नही कर सकती, बच्चों को ठीक तरह स ि ाक्षा नही दे सकती, बरसात मे टपकते हुए छतों की मुरम्मत नही करवा सकती, वह सरकार खेलों का तमा ाा करके, गलत तरीके से 3678600 रूपया खर्च करके वेस्ट कर रही है। डिप्टी स्पीकर साहब, साढ़े 300 करोड़ रूपया खर्च करने के बाद ए ियन गेम्ज का ढोंग रख कर, गरीब जनता के पैसे का खिलवाड़ करते हुए दिल्ली मे जो तमा ाा हो रहा है, हरियाणा का लोक दन इन खेलों को कतई नही होने देगा, डटकर विरोध करेगा। ए ियन गेम्ज का नारा लगाकर दे ा की 75 परसैंट जनता का पैसा खर्च करके बरबाद किया जा रहा है और जनता के पैसे का मजाज उड़ाया जा रहा है। एक झूठा नाम कमाने के लिये ये गेम्ज दिल्ली मे करवाई जा रही है। डिप्टी स्पीकर साहब, सारी दुनिया के 125 दे ा है। इस लिस्ट के मुताबिक हमारे दे ा से ज्यादा गरीब के वल 11 दे ा रह जाते है, बाकी सब दे ा अमीर है। हिन्दुस्तान गरीब दे ाों मे गिना जाता है। इसलिये हरियाणा स्टेट का बजट इतना भाक्ति ााली बजट

नही है कि इसका पैसा खेलों पर जाया करते रहे, इससे ज्यादा इस सरकार के लिये भार्म की बात कोई और नही हो सकती। डिप्टी स्पीकर साहब, अगर इस पैसे को गांवो मे खर्च करते, गांवो के उन स्कूलों मे खर्च करते जहां बालीबाल, फुटबाल या क्रिकेट खेलने का इंतजाम नह ीतो कम से कम हमारे बच्चों को खेलने की सुविधा तो होती । डिप्टी स्पीकर साहब, एि ायन गेम्ज के सिलसिले मे ये मास्को तक गये और लाखों रूपया खर्च किया गया। क्या सरकार बता सकती है कि जो व्यक्ति मास्कों मे गया था, खेलों के संबंध मे वह आदमी वहां से क्या क्या चीज सीख कर आया है ? जहां तक मेरी जानकारी है, सरकार की तरफ से जो लोग मास्को मे गये है, उनको वहां व्यभिचार करते हुए पकड़ा गया, क्या इससे ज्यादा भार्म की बात और कोई हो सकती है ? झूठी छवि बनाने से जो आदमी वहां भेजे गये है, मुझे नही मालूम कितने और कौन कौन मंत्री या अधिकारी गये है, लेकिन इतना मालूम है कि हरियाणा प्रदे ा का एक बड़ा आदमी मास्कों गया जो गलत तरीके से, गलत जगह पर लालबत्ती क्रोस करके चला गया था और वहां के लोगों ने उसको पकड़ कर बाहर निकाला। इससे ज्यादा * * * * * * * * *

* * * * * *

श्री जगन नाथः आप ** * * * (व्यवधान)

चौधरी संत कंवरः * * * * * *

* * * * (व्यवधान)

Chaudhri Khurshid Ahmed: Deputy Speaker Sahib, all these unparliamentary remarks of both the members should be expunged.

श्री उपाध्यक्षः चौधरी संत कंवर जी आप खत्म करें। (व्यवधान)

That unparlimantary remarks of both the members should not be recorded.

चौधरी संत कंवरः डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं डिमांड नं. 3 पर बोलना चाहता हूं । आज सारे प्रदे ा के अंदर ला एंड आर्डर की बहुत खराब हालत है। कत्ल होते है और डकैतियां होती है। (विघ्न) होते तो ये पहले भी थे लेकिन जिस तरीके की अव्यवस्था आज फैली हुए है। उतनी पहले कभी नही थी। एक दिन मे 6 डकैतियां एक घंटे के अंदर वही आदमी हिसार मे डालने लग रहे है। उसी दिन डकैती सांपला के अंदर पड़ी। एक दिन मे दो कारें सोनीपत से चोरी हो गई है, एक कार रोहतक से चोरी हो गई और वे आज तक नही मिली तथा डकैतियां डालने वाले पकड़े नही गये। अकेली मेरी कांस्टीचुएंसी मे तीन चार कत्ल एक जगह हुए है। कलावड़ गांव के अंदर से गुंडे आए और खेतों मे एक लड़की से बलात्कार किया। जो आदमी छुड़ाने के लिये गया उसको गोली मार दी गई लेकिन आज तक कोई मुजरिम पकड़ा नही गया। एक मिल्ट्री वाला आदमी एक गांव के अंदर आया कत्ल किया और चला गया। वह भी पुलिस से पकड़ा नही गया। थानों के अंदर आया, कत्ल किया और चला गया। वह भी पुलिस से

पकड़ा नही गया। थानौं के अंदर जानबूझ कर पुलिस लोगों को मरवा रही है। डिप्टी स्पीकर साहब, पहले जो काम ऐमरजेंसी के दौरान हुआ था वह आज बगैर एमरजैंसी के किया जा रहा है। पाड़ा गांव का सरपंच जो एक माना हुआ व्यक्ति था, को थाने के अंदर मारा गया। (विघ्न) अदालत मे यह बात साबित होगी कि पुलिस ने उसे मारा है। पडेला गां के अंदर लोग स्कूल बिल्डिंग के लिये या किसी विकास के कार्य के लिये फंड इकटठा करने के लिये कोई तमा ाा कर रहे थे। पुलिस वाले वहां गये और गांव की लड़कियां के साथ बदतमीजी करने लगे। वहां के सरपंच ने जब उन्हे रोका तो पुलिस ने उसका काला मुंह करके, जूते गले मे डाल कर उसी गांव मे उसका, जलूस निकाला। इससे बुरी बात कोई हो नही सकती। इसी तरह से, डिप्टी स्पीकर साहब लोहारू मे जब किसानो ने इस सरकार से बिजली मांगी और यह कहा कि उनके मीटर जलने लग रहे है, गेहूं सूखने लग रहे है, नकी दूसरी फसल सूखने लग रही है, तो इन्होंने बिजली के बदले उन्हें गोली दी, गोलियों से लोगों को मारा गया। एक लड़का मैडिकल कोलेज मे मर गया। एक एम.एल.ए. अभी तक जेल के अंदर है। (विघ्न) डिप्टी स्पीकर साहब, घरोंडा मे लोक दल के जलसे मे लाठी जार्च हुआ। पुलिस कप्तान और डिप्टी स्पीकर साहब, घरोंडा मे लोक दल के जलसे मे लाठी चार्ज हुआ। पुलिस कपतान और डिप्ओ कमिशन से इजातत लेकर के जलसा किया गयाथा लेकिन उसे बावजूद जलसे मे अकंद लाठी जार्च किया गया और लोक दल के कार्यकर्ताओं को थाने के अंदर ले गये तथा उनके उपर रोलर

फेरा गया। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि आगे से अगर लोक दल के किसी कार्यकर्ता को, गरीब हरिजन को या गरीब जनता कोइ इस तरह से परे ाान किया गया या उके उपर अत्याचार किया गया तो हम इस हाउस को चलने नही देंगे और न ही इस सरकार को चलने देंगे। हम इस बात को अब कतई बरदा ात नही करेंगे। इन भाब्दों के साथ मैं धन्यवाद करता हूं।

श्री उपाध्यक्षः श्रीमती सुशमा स्वराज। आप कृपा पांच मिनट बोलेंगी।

श्रीमती सुशमा स्वराज (अम्बाला छावनी): उपाध्यक्ष महोदय, 94 पृश्ठों की यह किताब है और 139 करोड़ 7 लाख रूपये का खर्चा हाउस से सरकार मंजूर करवाने जा रही है लेकिन समय आप केवल पांच पांच मिनेट का दे रहे है। आप स्वयं अंदाजा लगा लीजिये कि यह कहां तक न्यायसंगत है। (विघ्न) मैं आपके आदे ा की पालना जर कंरूगी लेकिन आपके सामने मैंने बात रख दी है और आप स्वंय देख लें कि यह कहा तक न्यायसंगत है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरी समझ मे यह नही आता कि यह बजट है या अनुपूरक अनुमानों की तीसरी कि त है। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्षः सुशमा जी, मैं आपको ढुंढता रहा लेकिन आप कहीं नजर नही आई। मैं चाहता था कि आपको काफी समय बोलने के लिये दूं।

श्रीमती सुशमा स्वराजः वह तो आपकी जरानबाजी है। आप जितना समय देंगे उतने समय मे मैं अपनी बात रखने का प्रयत्न करूंगी।

उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकार 139 करोड़ 7 लाख रूपये के अनुपूरक अनुमान (तीसरी कि त) के माध्यम से हमारे से मनवाने जा रही है। जब मैं सदन मे आई तो स्वामी आदित्यवे ा बोल रहे थे और बढ़ चढ़ कर इन अनुपूरक अनुमानों की प्र ांसा कर रहे थे कि गरीबों की भलाई के लिये पैसा लगाया जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय मै अभी इस बहस मे नही पड़ना चहती कि यह पैसा गरीबो की भलाई के लिये रखा जा रहा है या नही रखा जा रहा है लकिन स्वामी आदित्यवे ा जी को याद दिलाना चाहती हूं कि जनता सरकार के समय मे जब ये इन सीटों पर बैठा करते थे तो जब कभी अनूपूरक बजट सदन मे आता था तो ये एक बुनियादी बात उठाया करते थे। आप भले ही सदन की प्रोसीडिंग्स का रिकार्ड देख लीजिए। ये कहा करते थे कि सप्लीमैंटरी ऐस्टिमैंटस के जरिये पैसा मांगा जाना या उस पर वोट कराना अपने आप मे इस बात का प्रमाण है कि बजट बनाते समय दूरदि िता से काम नही लिया गया। ये कहते थे कि यह गलत परम्परा है, बड़ी बंदी रिवायत है कि इतना पैसा सप्लीमैंटरी ऐस्टिमेटस के जरिये सरकार हम लोगो से वोट करवाती है लेकिन आज इनके मुह से इस तरह की बातें सुन कर मुझे हैरानी हुई। ठीक है सीटें बदल जाती है, दल बदल जाते है लकिन लोगों की

निगाह, लोगों के सिद्धांत और लोगों की अपने मुहं से कही हुई बात किस तरह बदल जाती है, इस बात का सबूत स्वामी आदित्यवे ा ने यह बात कह कर दिया है। उपाध्यक्ष महोदय, अपने चूंकि बहुत ही कम समय दिया है, इसलिये सबसे पहले मैं आपसे एक गुजारि ा करना चाहती हूं। आपको मालूम है कि दो दिन पहले जब मैं गवर्नर ऐड्रैस पर यहां बोल रही थी तो बहुत से आंकड़ों के साथ अपनी बात मैंने हाउस के सामने रखी थी। उपाध्यक्ष महोदय, 94–95 या इससे ज्यादा पृश्ठों की किताबों को रात को बैठ कर हम पढ़ते है और आंकडों के साथ अपनी बात सदन मे रखते है लेकिन बहुत ही ज्यादा बुरा हम लोगो को लगता है जब चीफ मिनिस्टर साहब या कोई अन्य मंत्री जवाब देते सयम हमारी एक बात का भी जवाब नही देते। सदन मे यह देखा गया है कि अगर कोई अ लील बात कह दी जाये तो उसका जवाब मुख्य मंत्री अपने भाशण मे देना जरूरी समझते है लेकिन तथ्यें के आधार पर जो बात रखी जाये उसका जवाब ये दे नही देते। तो सबसे पहले मैं यह गुजारि ा करना चहूंगी कि जे बात मैं यहां रख रही हूं या अन्य सदस्य रख रहे है, उस का जवाब वित्त मंत्री जी या मुख्य मंत्री जी अव य दे। उस दिन मैंने 25 मिनट तक आंकड़े दिये थे लेकिन उत्तर देते समय मुख्य मंत्री जी ने उनका जवाब तो नही दिया मगर यह कहा कि एक भोयर तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैंने ठीक पढ़ा कहलवा दो। मैं दावा करती हूं कि अगर मुख्य मंत्री जी स्वयं यहां बैठ कर किसी भोयर का जवाब दे दे तो मैं मान जाउंगी। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, अगर कोई सदस्य भोयर

गलत भी पढ़ दे तो उससे हरियाणा की समस्या बढ़ नही जायेगी और अगर मुख्य मंत्री जी भायर ठीक करदें तो समस्या हल नही हो जायेगी। ये तो साईड की बातें होती है लेकिन आंकड़े देकर जो मैंने बताया कि देहात के विकास के कार्यक्रम मे जिनी कटौती की गई है वह 29 करोड़ रूपये की है। उसका कोई जवाब नही दिया गया। इसलिये आज भी मैं कहना चाहती हूं कि यह तो 139 करोड़ 7 लाख रूपये की डिमांड हाउस के सामने आई है इसमे 18 करोड़ 45 लाख रूपया राजस्व का खर्चा है, 9 करोड़ 14 लाख रूपया कैपिटल ऐक्सपैंडिचर है, 18 करोड़ 14 लाख रूपया लोन का है और 63 करोड़ 34 लाख रूपया पब्लिक डेट का है। उपाध्यक्ष महोदय, जब मैंने ये 94 पृश्ठ पढ़े तो हर आईटम मे लिखा मिला कि यह पैसा रिविजन औफ पे स्केल्ज और डियरनैस अलाउंस की कि त देने के कारण दिया जा रहा है। मैं चाहती तो यह थी कि हाउस को यह बताऊं कि 139 करोड़ 7 लाख रूपये मे से कितना ऐसा पैसा है जो इस वजह से दिया जा रहा है लेकिन यह बात साफ है कि यह सारा पैसा केवल रिविजन औफ स्केल्ज की वजह से खर्च नही करना पड़ रहा है। इसमे करीब आधा पैसा ऐसा है जो नए वेतनमान स्वीकृत होने की वजह से ऐम्पलाइज को देना पड़ा है लकिन इतना ज्यादा पैसा ऐम्पलाइज को देने के बाद भी, हमारे कर्मचारियों और अधिकारियां की कई श्रेणियां ऐसी है जो आज भी फसट्रेटिड है, जिनके साथ आज भी अन्याय हो रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहां ऐम्पलाइज की ऐसी दो तीन कैटेगरीज का जिक्र करना चाहूंगी ताकि वित्त मंत्री जी हाउस को

बताएं कि उनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है ? यह इनकी अपनी जायदाद का पैसा तो है नही, यह तो लोगों का पैसा है, टैक्स देने वालों का पैसा है और उनको यह जानने का अधिकार है कि सरकार अगर कुछ श्रेणी के कर्मचारियों को ज्यादा वेतन देती है तो क्यों देती है और कम वेतन देती है तो क्यों देती है? अगर किसी दूसरी कैटेगरी को नही देते तो क्यों नही देते ? यह सदन के लोगों को जानने का अधिकार है। मैं इन तीनों बातों को जानना चाहती हूं। पहली बात तो यह है कि हमारे यहां दों तरह के इंजीनिर होते है यानी इंजीनियर्ज को दो कैटेगरीज होती है– एक डिग्री होल्डर्ज होते है और दूसरे डिप्लोमा होल्डर्ज होते है। उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा के इंजिनियर्ज की ओर से एक मांग आई कि हमारा वेतनमान पंजाब के इंजीनिसर्ज के बराबर होना चाहिए। सरकार ने निर्णय लिया कि डिग्री होल्डर्ज इंजीनियर्ज पंजाब के डिग्री होल्डर्ज इंजीनियर्ज के बराबर कर दिया जाये। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने इन लोगों का वेतनमान पंजाब के समान ही नही किया बल्कि उनसे पचास रूपये ज्यादा कर दिया। लेकिन बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि डिप्लोमा होल्डर्ज को आज तक इस सरकार ने पंजाब के बराबर ग्रेडज नही दिये बल्कि हरियाणा के डिप्लोमा होल्डर्ज को सौ रूपये कम दिये जा रहे है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहती हूं कि यह असंगति क्यो है ? उपाध्यक्ष महोदय पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के इंजीनियर्ज कई जगहों पर इकट्ठे काम करते है। अभी पिछले दिनों मे मैं पब्लिक अकाउंटस कमेटी की तरफ से

पांग बांध परियोजना देखने के लिये आई थी वहां पर उन लोगों मे बहुत बड़ी फ्रसट्रे ान है कि हमारी पंजाब का इंजिनियर ले रहा है और हमें नही दी जा रही है। हरियाणा डिग्री होल्डर्ज तो पंजाब के बराबर या ज्यादा ले रहे है लेकिन हरियाणा के डिप्लोमा होल्डर्ज कम ले रहे है और हरियाणा डिग्री होल्डर्ज का जब ग्रेड बढ़ाया है तो पंजाब से पचास रूपये ज्यदा बढ़ाया है। मैं सरकार से पूछना चाहती हूं कि डिप्लोमा होल्डर्ज की मांग को क्यों नही माना गया है? यह असंगती क्यों रखी गई है? डिप्लोमा होल्डर्ज भी निर्माण के काम मे उतना ही सहयोग दे रहे है जितना दूसरे दे रहे है लकिन उनको पंजाब के बराबर वेतनमान क्यों नही दिया गया।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहती हूं वह यह है कि इस के पृश्ट सात पर सैक्रेटेरियट के खर्चे के बारे मे जिक्र किया गया। सक्रेटेरियट एम्पलाइज को नये ग्रेडज और डीयरनैस पे वगैरह दी गई है। मैं अपने वित्त मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं कि जब कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी लेने के लिये आता है तो उसका इंट्रव्यू लिया जाता ह। इन्ट्रव्यू लेने के प चात सरकार अगर ठीक समझती है तो उसको अलग अलग विभागों मे भेज दिया जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर ए श्रेणी के डायरैक्टोरेट है और दूसरी ओर हमारा सैक्रेटरियट है। मैं आप के नोटिस मे लाना चाहती हूं कि इन दोंनेा दफतरों मे कितनी अंसगति चल रही है। दोनों दफतरों के लिये किसी भी आदमी की एजुके ानल

क्वालिफिके ान एक है, दोनों ही दफतरों मे एक जैसा काम करते है लेकिन केवल मात्र एक व्यक्ति को यह कह दिया जाता है कि आप दस मंजिली इमारत मे काम करो और दूसरे को कह दिया जाता है कि आप एक या दो मंजिली इमारत मे जा कर काम करो। एक मंजिली और दो मंजिली इमारत मे काम करने वालों के साथ दस मंजिली इमारत मे काम करने वालों ने असंगति रखी हुई है। दस मंजिली इमारत मे काम करने वालों को सिलैक ान ग्रेड दिया गया है परंतु डायरैक्टोरेटस के लिये मैं मान सकती हूं कि उनकी एजूके ान क्वालिफिके ान मे फर्क होता है अगर सचिवालय और ए क्लास डायरैक्टोरेटस मे क्यों अंतर रखा गया है ? दोनों की क्वालिफिके ान मैट्रिक फर्स्ट क्लास या ग्रैजूए ान है। उनको सिलैक ान ग्रेड इसलिये दिया गया है कि वे बहुत ज्यादा नजदीक रहते है इन मंत्रियों के रोज सुबह उनको द र्ान हो जाते है इसलिये उनको ही ज्यादा पैसा मिलेगा। मैं चाहूंगी कि वित्त मंत्री महोदय इसका जवाब दे कि जिनकी एक जैसी क्वालिफिके ान है, एक जैसा काम है और दोनों ही ए क्लास आफिस मे काम करते है फिर इनके वेतनमान मे अंतर क्यों रखा गया है। इनको सिलैक ान ग्रेड क्यों नही दिया गया ?

उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा मे 18 हजार जे0बी0टी0 अध्यापक है। ि ाक्षा मंत्री श्री देस राज जी यहां पर बैठे हुए है, उनके सामने यह समस्या आई होगी कि सरकार ने जो पिछले दिनों वेतन आयोग बैठाया था उसकी सिफारि ाात के आधार पर

कर्चचारियों और अधिकारियों को लाभ हुआ होगा लेकिन मैं सरकार के नोटिस मे एक बात प्राध्यापकों के बारे मे लाना चाहती हूं। जे0बी0टी0 टीचर्ज को वेतन आयोग ने पहले 420 का ग्रेड दिया। चीफ सैक्रेटरी साहब के सभापतित्व मे एक नई कमेटी गठित की गई जिसने वेतन आयोग की सिफार ाों को देख कर एक नई रिपोर्ट सबमिट की जिसमे उन जे0बी0टी0 टीचर्ज का ग्रेड 420 की बजाये 480 कर दिया। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय आप जाते है कि उसका मूल परिणाम क्या हुआ कि 480 के ग्रेड मे टोटल पे पहले स्केल की टोटल पे के मुकाबले मे 35 रूपये कम बनी। किसी को 35 रूपये कम मिले और किसी को 15 रूपये कम मिले और महंगाई भत्ते की कि त भी कम हो गई। अब आप बताएं कि जो लोग एजीटे ान कर रहे थे कि उनको ज्यादा वेतन मिले, उसका परिणाम यह निकला कि पहले से मिलने वाले वेतन से किसी को 35 रूपये, किसी को 30 रूपये और किसी को 15 रूपये कम मिले। इससे क्या उन लोगों मे विद्रोह की भावना नही जागेगी ? 18 हजार जे0बी0टी0 प्राध्यापक जिनके ग्रेडज के अंदर फर्क है और पहले से कम वेतन ले रहे है क्या इस असंगति को दूर करने के बारे मे सरकार विचार करेगी ? अगर सरकार असंगति दूरकरना चाहती है तो यह दूर हो सकती है। उन लोगों को 480 का ग्रेड की बजाए चार सौ बीस का ग्रेड दे दिया जाये और 60 रूपये स्पै ाल पे के रूप मे दे दिये जायें।

अब उपाध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा बहुत ऐजुके ान के विशय मे भी अर्ज करना चाहती हूं। हमारे यहां टैम्पोरेरी टीचर्ज का प्रावधान था। पहले एडहाक, स्टाईपेंडरी और छः महीने के आधार पर टीचर्ज लगाये जाते थे। लेकिन अब एडहाक और स्टाइपेंडिरी टीचर्ज की समस्या जब से बहन भाांति जी आई है, हल कर दी है। वे स्वयं भी ि ाक्षक के तौर पर काम करती रही है और उनकी समस्याओं को जानती है। मैंने उनको इस समस्या के हल करने पर बधाई दी थी और अब भी देती हूं कि काफी हद तक उन्होंने इनकी समस्याओं को समाप्त कर दिया है। उन्होंने 31.12.1979 तक लग हुए तदर्थ कर्मचारियों को, जिन की सर्विस दो वर्श हो गई थी, स्थाई कर दिया है लेकिन इसके साथ साथ पांच हजार अध्यापक कर्मचारी स्थाई नही हो सके है। वे टैम्परेरी बेसिज पर ही चल रहे है। जब किसी को टैम्परेरी बेसिज पर लगा दिया जाता है और हर छः महीने के प चात एक दिन का ब्रेक डाल देते है ताकि उनको परमानेंट न करना पड़े तो इस तरह चार चार पांच पांच साल तक टेम्परेरी ही चलते रहते है। अगर उनकी जगह कोई परमानेंट आदमी आ जाता है। तो उसको घर बैठा दिया जाता है। फिर एम्पलाएमैंट ऐक्सचेंज मे जाता है और एक्सचेंज वाले कहते है कि आपको तो नौकरी मिल गई थी इसलिये आपका नाम यहां से कट गया था आपकी वरिश्ठता खत्म हो गई है। इतने सालों तक नौकरी करने के प चात यह ओवर एज हो जाता है और तीस साल का हो जाने पर उसको घर बैठने के लिये मजबूर होना पड़ता है। यह बड़ी भारी समस्या ि ाक्षा

विभाग मे फैली हुई है। जिसका हल सरकार को तला ा करना चाहिये। सरकार चाहे तो अस्थाई कर्मचारी को स्थाई करने का एक बहुत अच्छा माध्यम अपनाया जा सकता है। अगर यह कह दिया जाये कि हर व्यक्ति, जिसके एक वर्श काम करते हुए हो जायेगा, स्थाई कर दिया जायेगा या 31.12.79 तक जो इन्होंने डेट रखी थी, उसको समाप्त करके रैकरिंग रख दे क्योंकि यह समस्या रैकरिंग है। इसका हल नान रैकरिंग नही हो सकता। जिस व्यक्ति को दो वर्श काम करते हो चुके है उनको स्थाई कर दिया जाये। ऐसा करने से यह समस्या हल हो जायेगी। यह बड़ी भारी समस्या राज्य के अंदर विद्यमान है।

श्री उपाध्यक्षः आप अब वाइंड उप करें।

श्रीमती सुशमा स्वराजः उपाध्यक्ष महोदय जो ये 19 लाख 55 हजार रूपया कौंसिल आफ मिनिस्टर्ज के लिये मांग रहे है, यह गलत है। कल खुर ाीद साहब ने बजट पे ा किया और यह कहा कि हम अन उत्पादक खर्चे मे कमी करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, पहले मैं इनसे यह पूछना चाहती हूं कि जो 24–24 मंत्री और बस बीस चेयरमैन बना रखे है ये किस लिये बनाये है ? यह जमात की जमात क्या बैठा रखी है? आज तक किसी की गवर्नमैंट मे इतने मिनिस्टर नही हुए। यह अन प्रिसिडेन्टिड लौंग मिनिस्टरी है। पचास मैंबर्ज ट्रेजरी बैंचिज के है। इन मे से दस आदमी ऐसे है जो चेयरमैंन और मंत्री नही है बाकी तमाम के बैंचिज के है। इन मे से दस आदमी ऐसे है जो चेयरमैन और मंत्री नही है। बाकी

तमाम के तमाम मैंबर्ज को कोठियां और कारें दे रखी है । पहले तो यही बतायें कि क्या यह प्रोडैक्टिव एक्सपैंडीचर है? मैं इनसे जानना चाहती हूं कि कौन से अन उत्पादक खर्चे कम करना चाहते है जिसकी वे बजट मे घोशणा कर रहे थे? उपाध्यक्ष महोदय, हमारे टैक्स पे करने वालों के साथ कितना बड़ा अन्याय है। 19–19 मंत्रियों की मिनिस्टरी बनाई जा रही है। यह सब इसलिये बनाई गई ताकि एम.एल.ए. खु ा रहें और इनकी सरकार रूकी रहे। उपाध्यक्ष महोदय, एि ायन गेम्ज, ये सरकार राई मे कराना चाहती थी। उसके लिये इस सरकार ने जो खर्च किया है उस पर सरकार हमारे से वोट कराना चाहती है। मैं तफसील मे तो नही कहना चाहती क्योंकि आपने कह दिया है कि टाईम थोड़ा है इसलिये मैं इन से जानना चाहती हूं कि 78 हजार 600 रूपये जो मांगा है इसका आप हाउस के सामने व्याख्यात्मक विवरण तो ताकि सारी बात स्पश्ट हो। आपने केवल यह लिखा है कि राई मे खेल नही होंगे। इतना लिख देने से सदन को तसल्ली नही होती। वित्त मंत्री जी हाउस मे बतायें कि पहले घोशणा किये जाने के मुताबिक राई मे खेल ये क्यो नही कराये गये। इस सरकार को एक बहुत बड़ा सर्टिफिकेट दिया है कि हरियाणा सरकार इस काबिल नही है कि वह राई मे खेल करा सके। (विघ्न) मैंने जो बातें हाउस के सामने रखी है उन्ही का ये जवाब दे दें तो काफी है। इन भाब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करती हूं कि आपने मुझे समय दिया।

श्री उपाध्यक्षः अब श्री जतन नाथ जी बोलेंगे।

श्री बलदेव तायलः डिप्टी स्पीकर साहब, केवल वित्त मंत्री जवाब दे सकते है।

श्री उपाध्यक्ष (श्री जगन नाथ): डिप्टी स्पीकर साहब, संत कंवर जी कह रहे थे कि एि ायाई गेम्ज जो होने जा रहे थे उसके बारे मे हम मास्कों गये थे औरवहां पर हमने डिस्टरबैंस किया। डिप्टी स्पीकर साहब, वहां पर मैं और 4 सीनियर आफिसर गये थे। चीफ मिनिस्टर साहब, ने भी वहां पर थे। हम वहां पर एक बिल्डिंग का फोटो ले रहे थे। जब फोटो लेते समय हम पीछे हटे तो अचानक हार्न बज गया। सारे खिलाड़ी वहां पर थे। ऐसी कोई बात नही है कि हमने किसी प्रकार का कोई डिस्टरबैंस बगैरा की हो। मैं संत कंवर जी को बताना चाहूंगा कि खेलों के बारे मे मैं अच्छी तरह से जानता हूं। मैं इंटरस्टेट लैवल पर और युनिवर्सिटी लैवल पर खेला हूं। मैं हाकी, फुटवाब तथा हाई जम्प अच्छी प्रकार से खेलना जानता हूं। जब चौधरी चरण सिंह जी प्रधान मंत्री थे तो उन्होंने यहां तक कहा था कि खेलें समाप्त होनी चाहिए। (ाोर एवं विध्न)

Mr. Deputy Speaker: Order Please.

डा. मंगल सैनः आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। यह अपनी डिमांउ से संबंधित जवाब दे रहे है या पर्सनल एक्सप्लेने ान दे रहे है। (विध्न)

श्री जय नारायण वर्मा: डिप्टी स्पीकर साहब, ये अपनी पर्सनल एक्सप्लेने ान दे रहे है। Sir, he must reply about the Asian Games, He cannot reply about the supplementary demands. Finance Minister can only give the reply.

चौधरी संत कंवर: आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। क्या स्टेट का मिनिस्टर किसी प्राइम मिनिस्ट के बारे मे कुछ कह सकता है ? (ाोर)

श्री जय नारायण वर्मा: डिप्टी स्पीकर साहब, क्या ये सप्लीमेंटरी एस्टिमेटस का जवाब दे रहे है ? (ाोर)

चौधरी खुर ीद अहमद: ये अपने स्पोर्टस डिपार्टमेंट से संबंधित बातों का जवाब दे रहे है।

श्री जगन नाथ: डिप्टी स्पीकर साहब, मैं खेलीं के बारे मे बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। हम गांवों के अंदर भी खेल कूल की पूरी सुविधा देने का प्रबंध कर रहे है। जब से चौधरी भजन लाल जी मुख्य मंत्री बने है तब से हमने खेलों मे काफी सुधार किया है। राई के अंदर हम आधुनिक ढंग से खेल खिलाने का प्रबंध करने जा रह है वहां पर हमने अब से पहले ही आधुनिक ढंग से काफी कुछ किया है। भिवानी के अंदर हम स्टेडियम बना रहे है। हर जिले मे स्टेडियम बनाने का इंतजाम किया जा रहा है।

चौधरी उदय सिंह दलाल: आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। डिप्टी स्पीकर सहब यह बड़ी खु ी की बात है कि श्री जगन

नाथ जी खेलों के बारे मे बड़ी दिलचस्पी रखते है। परंतु मैं इनके नोटिस मे लाना चाहता हूं कि हमारे गांव माढोठी के 7 लड़के सारी दुनियां की कु ती मे जीत कर आये थे। उनके साथ कोच दत्ता साहब थे, उन बेचारों के डालरो की भाराब पी गये। उनके लिये खाने पीने का अच्छी तरह से इंतजाम नही किया। इस संबंध मे मैंने आपको भी पत्र लिखा था, चीफ मिनिस्टर साहब को भी और गवर्नर को भी लिखा था कि दत्ता साहब को खेलों मे न भेजा जाये। यह हरियाणा को काफी नुकसान पहुंचा रहे है। (ाोर)

श्री उपाध्यक्षः यह कोई प्वायंट आफ आर्डर नही है।

श्री जगन नाथः डिप्टी स्पीकर साहब, पिछले दिनों अपनी स्टेट के जितने भी खिलाड़ी थे, चाहे वे किसी भी डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखते थे, सभी को औनर किया है और प्राइज दिये है। इसी प्रकार से हम गुड़गांवा के अंदर एक स्पोर्टस होस्टल बनाने जा रहे है। उसमे खिलाड़ियों के लिये फ्री खाना होगा और फ्री पढ़ाई की सुविधा दी जायेगी। गुड़गांवा के अंदर भी हमारी एक स्टेडियम बनाने की प्लान है।

चौधरी संत कंवरः आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। क्या दल बदल करने वाले खिलाड़ियों को भी कोई प्राईज वगैरह देंगे ?

श्री उपाध्यक्षः यह कोई प्वायंट आफ आर्डर नही है।

वित्त मंत्री (चौधरी खुर ीद अहमद): उपाध्यक्ष महोदय, 139 करोड़ रूपये की जो सप्लीमेंटरी एस्टीमेटस डिमांडज रखी गई है इनके बारे मे सदन को बताना चाहता हूं। जो 139 करोड़ रूपये की डिमांडज है इनकी मैं ब्रेक अप बता देता हूं। इन 139 करोड़ रूपयें मे से 75 करोड़ रूपये से कुछ ज्यादा पैसा काउंटर एडजैस्टमेंट और फाइनेन्ि ायल असिस्टैंस का है जो भारत सरकार से लेना है। भारत सरकार से ज्यों ही रिलीज होगा, उसका भुगतान हमें कर दिया जायेगा और एडजस्टमैंट हो जायेगी। इस मे वह पैसा भी भाामिल है जो पे स्केल की रिवीजन की वजह से खर्च हुआ है। इसके अतिरिक्त साढ़े नौ करोड़ रूपये के करीब नैचुरल क्लैमैटीज के कारण किसानों पर खर्च करना पड़ा। यह इसलिये खर्च करना पड़ा कि हम अपने किसनों को कुछ मदद और राहत दे सके। पूरी तरह से तो हम उनके घाटे को पूरा नही कर सकते थे। लेकिन जितनी मदद हम दे सकते थे, वह दी है और इस वजह से साढ़े नौ करोड़ रूपये उनके हित के लिये खर्च करने पड़े।

उपाध्यक्ष महोदय, जो कुछ मेरे साथियों ने इस डिमांडज के बारे मे कहा है, अगर उन सब का अलग जवाब दूं तो काफी समय लग जायेगा। सैद्धांतिक रू से जो बातें कही गई है उन सब को इकटठा करते हुए मैं कुछेक बातें कहूंगा। पुलिस के बारे मे कहा गया है कि हमारी पुलिस हिन्दुस्तान की सब स्टेटों की पुलिस से कहीं ज्यादा अच्छी है। आजकल जो जुर्म हो रहे है

यह हमारी ही स्टेटों मे नही हो रहे बल्कि हिन्दुस्तान भर मे हो रही है। आज हमें अपनी पुलिस की काबलियत पर इस बात के लिये फख्र महसूस होता है कि हमारे यहां जब कोई जुर्म होता है तो उसको पुलिस ठीक तरह से इंवैस्टिगेट करती है। इस काम के लिये चाहे उसका कितना भी समय लग जाये। इस बात के लिये मैं अपनी पुलिस को मुबारिकबाद देता हूं। यह जो पैसा बढ़ा है यह एम्पलाइज के पे स्केल की वजह से बढ़ा है। इसके अलावा हम अपनी पुलिस को मोडेर्नाईज भी करना चाहते है जिसकी वजह से यह पैसा और बढ़ गया है। इसके अलावा दूसरी बातें भी मेरे साथियों ने कही है। जहां तक बिल्डिंग और रोड़ज की डिमांड नं. 8 काताल्लुक है इसमे सड़के बनाने पर काफी रूपया खर्च हुआ है। सड़कें तो हमने पूरी करनी ही थी ताकि हर गांव सड़क से कुनैक्ट हो जाये और लोग अपने लिये कुछ न कुछ रोजगार के साधन जुटा सके। जब तक उनके लिये आने जाने का प्रबंध नही होगा तब तक तरक्की नही हो सकती। इसके अलावा बहुत छोटी छोटी चीजे, हमारे कई साथियों ने हाउस के सामने रखी एक बात राई का पहाड़ बनाने के बारे मे भी थी। लेकिन यह मसला इतना छोटा है कि इसको यहां पर लाने की जरूरत ही नही थी। एि ायन गेम्ज की बात यहां पर कही गई। कई सदस्यों ने कहा कि यह गेम्ज यहां से इसलिये हटाई गई क्योंकि सरकार इंतजाम नही कर सकती थी। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार जिस काम की जिम्मेवारी लेती है उसका बेहतरीन तरीकें से इंतजाम करती है। इतना अच्छा इंतजाम कोई दूसरी स्टेट नही

कर सकती। लेकिन गवर्नमैंट आफ इंडियां ने यह कहा कि खिलाड़ियों को बाहर भेजने और वापिस लाने मे हरियाणा स्टेट का बहुत पैसा खर्च होगा। इसलिये यही अच्छा होगा कि दिल्ली मे ही खिलाडियों के लिये सारी सहूलियतें मुहैया कर दी जाये। इसलिये गवर्नमैंट आफ इंडिया ने सिर्फ इकोनोमी के बेसिज पर कहा कि राई की बजाए दिल्ली मे ही इन खेलों का इंतजाम कर लेना चाहिए। यही वजह है कि गवर्नमैंट आफ इंडिया ने राई की बजाये दिल्ली मे खेल करने का फैसला किया है। दूसरी बात यह है कि हमने राई मे करीब 26 लाख से कुछ फालतू पैसा खर्च किया है। यह तमाम पैसा हमें गवर्नमैंट असैट बन गया है जहां पर स्पोर्टस का प्रंबध किया जा सकता है। हमारे साथियों ने राई का पहाड़ बना दिया था, उसका तो मैंने यह जवाब दे दिया है। इसके अलावा और भी कई छोटी छोटी बातें कहीं गई। यहां पर बोलते हुए डाक्टर साहब ने यह कहा कि कहां पंजीरी बनेगी, कितनी बनेगी भाायद ऐसा न हो कि उसे खाकर बच्चे झूम जाये। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि पंजीरी का हमारा प्लांट घरोंडा मे लगा हुआ है और वहां पर यह काम हो भी रहा है। बड़े बड़े काबिल डाक्टरों की देख रेख मे वह काम चल रहा है। हर चीज का हिसाब किताब वे लोग जानते है। आज तक किसी बच्चे को किसी किस्म की कोई तकलीफ हमारी पंजीरी खाने से नही हुई है। इसके अलावा और खर्च भी है जो केयर के प्रोग्राम के तहत किया जा रहा है । हमरने अपनी तरफ से बहुत थोड़ा सा पैसा डालना पड़ता है। यहां पर यह बात भी कहीं गई थी जिसका

मैंने जवाब दे दिया है। 2–3 बातें बहिन सुशमा जी ने भी कही है। एक बात तो यह कही कि 139 करोड़ रूपये का जो खर्चा सप्लीमेंटरी डिमांडज के जरिये किया गया है, यह इतना ज्यादा क्यों कर दिया। दूसरी बात वह यह भी कहती है कि फलां फलां मदों पर खर्चा नही बढ़ाया। चलिये खर्चा बढ़इये लेकिन जिन जिन मदों के बारे मे उन्होंने कहा, वह खर्चा भी होना चाहिए था यानी यह खर्चा बढ़ना चाहिये था तो उसका मतलब तो यह हो गया कि खर्चा 139 करोड़ रूपये से हम 150 करोड़ रूपये कर देते है। (व्यवधान व भाोर) अब आप ऐसे कहें तो इससे आगें मैं क्या कहूं। मुझे तो इनकी बात सुनकर एक भोयर याद आता हैः

''खिरद को जनूं कहे और जनूं को खिरद,

जो भी चाहे तेरा हुसन करि मा साज करे।''

श्रीमती सुशमा स्वराजः

''हकीकत से नफरत हिमाकत पे नाजां,

हमें ऐसे लोगों से पाला पड़ा है।''

चौधरी खुर ीद अहमदः दो तीन बातें जो इन्होंने कहीं है, उनमे से एक तो यह कहीं है.....

चौधरी उदय सिंह दलालः अब दो बहिन जी को जवाब?

चौधरी खुर ीद अहमदः जो कुछ बहन जी ने कहा है, वह तो आपको कहा है, हमारी तरफ के सदस्यों के लिये नही कहा है। वह तो यह कहती है कि आप जैसे लोगों से पाला पड़ा है, हमसे नही। अब यह आप लोगो की एप्रीसिए ान होगी अगर आप उनका जवाब दे दे..... (व्यवधान व भाोर) डिप्टी स्पीकर साहब उन्होंने एक बात यह कही कि डिप्लोमा होल्डर्ज और डिग्री होल्डर्ज इंजीनियर्ज को बराबर ग्रेड दे दिया जाये। कोई भी पढ़ा लिखा आदमी डिप्लोमा और डिग्री को एक बराबर नही मानता। इसलिये एक जैसा ग्रेड नही दिया जा सकता।

श्रीमती सुशमा स्वराजः आन ए प्वायंट आफ आर्डर, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे उम्मीद थी कि यह मुगालता वित्त मंत्री जी को होगा क्योंकि मुझे पता है इनकी समझदानी छोटी है। मैंने यह कभी नही कहा कि डिग्री होल्डर्ज डिप्लोमा होल्डर्ज को एक ग्रेड मिलना चाहिए। मैंने यह कहा था कि जब पंजाब के बराबर आपने डिग्री होल्डर्ज को पे स्केल हरियाणा मे दे दिये है तो डिप्लोमा होल्डर्ज को पंजाब के बराबर का पे स्केल क्यों नही देते ? मैंने यह कभी नही कहा कि इनको बराबर कर दिया जाये। वह तो गधों और घोड़ों को एक बराबर कर देने वाली बात होगी।

चौधरी खुर ीद अमहमदः पंजाब वालों के बराबर तो हमने कर दिया। हमें जो बात ठीक लगी, वह कर दी और जो बात ठीक नही लगी, वह नही की। अगर आप यह कहें कि गधों और घोड़ों को एक लाईन मे खडक्ष कर दो तो हम यह देख लेंगे कि

घोड़े कौन से है और गधे कौन से है? We are not to follow Punjab blindly.

Shrimati Sushma Sawraj: This is no answer. He should be very spectific is the House.

चौधरी खुर ीद अहमदः 'ए' क्लास, डायरैक्टोरेट और सैक्रेटेरिएट की भी बात की गई। इनके सब की क्वालिफिके ान भी एक सी नही होती। (व्यवधान व भाोर)

श्री जगन नाथः उपाध्यक्ष महोदय, सुशमा जी मेरे ऊपर कई बार तो इतनी डांट मारती है कि मेरी धर वाली भी उतनी डांट नही मारती होगी? (हंसी एवं व्यवधान)

श्रीमती सुशमा स्वराजः बहिन का स्तर ऊपर है। यह केवल बृज वाले जानते है।

चौधरी खुर ीद अहमदः बहिन तो डांट मारती ही होगी लेकिन कभी कभी प्यार से भी कुछ कह दिया करो। डायरैक्टोरेट और सैक्रेटेरियट की क्वालिफिके ान और रिक्रूटमैंट मे पहले ही बड़ा अंतर होता है इसलिये उनको इकटठा नही किया जा सकता। इसके अलावा मेरे भाई संत कंवर जी ने एक बात यह कही थी कि खेलों का प्रोग्राम यहां पर नही होने देंगे, दूसरा इन्होने अपना प्रोग्राम यह बताया कि वे हाउस का काम चलने नही देंगे। न तो आप काम चला सकते हो और न खेले खेज सकते हो, भई तुम करोंगे क्या ? भई तुम्हारा प्रोग्राम क्या है ? खेल

नही खेलने देंगे और लट्ठे बजा देंगे, ऐसा इनका प्रोग्राम है। इन्होंने तो बस लटठ बजा देना है। (व्यवधान व भाोर) फाइनै ायल अरेंजमैंट का मेरे भाई संत कंवर को तो कुछ पता ही नही है। इस बारे मे वे बड़े जोर भाोर से बोल रहे थे लेकिन मैं इनके बारे म एक तजुर्बा बताना चाहता हूं। मैं इनको याद दिलाना चाहूगा कि जब ये एग्री इंडस्ट्रीज के चेयरमैन थे, उस वक्त न तो इन्होंने कर्जा ही दिलवाया और न ही किसी पैसे को ठीक तरह से अकाउंट फार किया। अब बड़ी मु ाकल से स्वामी जी ने इतने टाईम के बाद को ा ा करके उसे ठीक हालत मे ला पाये है अब इन्होंने उस कार्पोरे ान को अपने पैरो पर खड़ा कर दिया है।

चौधरी संत कंवरः 25 हजार रूपये का रेस्ट हाउस तो आपने खोल दिया लेकिन क्या उसका खर्चा एड कर दिया है या नही ? (व्यवधान व ाोर)

चौधरी खुर ीद अहमदः आपने जो कुछ भी उस वक्त किया, उसका नेट रिजल्ट भी उस वक्त किया, उसका नेट रिजल्ट यह हुआ है कि कारपोरे ान घाटे मे रही । ह तो रही इनके फाइनैं ायल अकाउंटस की बात। उसके बाद अब कार्पोरे ान मे काम भी हो रहा है, कर्जा भी वापिस कर रहे है और प्रौफिट मे भी चल रही हैं यह इस बात का सबूत है। इसलिये फाइनैंसिज के बरे मे अगर वे कम बोला करे तो अच्छा रहेगा दूसरी प्रोग्रामों के बारे मे आप बे ाक बोल ले। इसके अलावा चंद एक बातें हमारे

दूसरे साथियों ने कही है। जो बातें मेरे साथियो ने कही है, मैं उनका एक एक करके जवाब नही देना चाहूंगा। (व्यवधान व भाोर)

चौधरी संत कंवरः इनके तो रात को और और दिन को पता नही क्या क्या प्रोग्राम होते है ?

चौधरी खुर ाीद अहमदः खैर, नाम तो आपका संत है, काम आपके उलट है। मैं इससे ज्यादा कुछ नही कहता। अब मैं हाउस से यह दरखास्त करूंगा कि कर्जे देने वाली रकम को छोड़ कर बाकी जो रकम रह जाती है, वह छोटी सी रह जाती है। इसमे कोई गड़बड़ वाली बात नही है। इसलिये अब इन डिमांडज को पास किया जाये।

स्वामी आदित्यवे ाः उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। चौधरी संत कंवर बहुत बढ़चढ़ कर तोल रहे है (ाोर व व्यवधान)

Mr. Deputy Speaker: This is no point of order. Please sit down. (Interruptions).

स्वामी आदित्यवे ाः उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जब ये ऐग्रो इंडस्ट्रीज कार्पोरे ान के चेयरमैन थे * * * *

Mr. Deputy Sepaker: This is no point of order. It should not be recorded.

I will now put the various demands to the vote of the House.

Mr. Deputy Sepaker: Question is—

That a supplementary sum not exceeding Rs. 1362500 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1981 in respect of Demand No.1-Vidhan Sabha.

That a supplementary sum not exceeding Rs.10078655 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1981 in respect of Demand No.2-Genral Administration.

That a supplementary sum not exceeding Rs.45777605 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1981 in respect of Demand No.3-Home.

That a supplementary sum not exceeding Rs.94828695 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1981 in respect of Demand No.4-Revenue.

That a supplementary sum not exceeding Rs.351400 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year

ending 31st March, 1981 in respect of Demand No.5-Excise and Taxation.

That a supplementary sum not exceeding Rs.5079730 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1981 in respect of Demand No.6-Finance.

That a supplementary sum not exceeding Rs.11962660 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1981 in respect of Demand No.7-Other Administrative Service.

That a supplementary sum not exceeding Rs.32371775 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1981 in respect of Demand No.8-Buildings and Roads.

That a supplementary sum not exceeding Rs.123781110 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1981in respect of Demand No.9-Education.

That a supplementary sum not exceeding Rs.33145140 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1981 in respect of Demand No.10-Medical and Pubic Health.

That a supplementary sum not exceeding Rs.22176530 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1981 in respect of Demand No.11-Urban Development.

That a supplementary sum not exceeding Rs.10534245 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1981in respect of Demand No.12-Labour and Employment.

That a supplementary sum not exceeding Rs.3762824 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1981 in respect of Demand No.13-Social Welfare and Rehabilitation.

That a supplementary sum not exceeding Rs.1382030 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1981 in respect of Demand No.14-Food and Supplies.

That a supplementary sum not exceeding Rs.16052921 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1981 in respect of Demand No.15-Irrigation.

That a supplementary sum not exceeding Rs.21436380 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of

payment for the year ending 31st March, 1981in respect of Demand No.16-Indusries.

That a supplementary sum not exceeding Rs.12692030 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1981 in respect of Demand No.17-Agriculture.

That a supplementary sum not exceeding Rs.571300 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1981 in respect of Demand No.18-Animal Husbandary.

That a supplementary sum not exceeding Rs.231480 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1981 in respect of Demand No.19-Fisheries.

That a supplementary sum not exceeding Rs.14755970 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1981 in respect of Demand No.20-Forest.

The motion was carried

Mr. Deputy Speaker: Question is—

That a supplementary sum not exceeding Rs. 4398300 for revenue expenditure and Rs. 7447000 for caital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1981 in respect of Demand No.22-Cooperation.

That a supplementary sum not exceeding Rs.50879050 for revenue expenditure and Rs. 24000000 for caital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1981 in respect of Demand No.23-Transport.

That a supplementary sum not exceeding Rs.905590 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1981 in respect of Demand No.24-Tourism.

That a supplementary sum not exceeding Rs.181389300 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1981 in respect of Demand No.25-Loans and Advances by State Government.

The motion was carried

वर्श 1975–76 के ऐक्सैस डिमांडज ओवर ग्रांट्स एण्ड एप्रोप्रिए ांज पर चर्चा तथा मतदान

Mr. Deputy Speaker: All the demands on the order paper will be deemed to have read and moved together. The

members may, however, indicate the demand nunber on which they wish to raise discussion while speaking.

That a grant of a sum not exceeding Rs.181698 be made to regularise the charges already incurred inexcess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1975-76 in respect of 2-Genral Administration.

That a grant of a sum not exceeding Rs.1920278 be made to regularise the charges already incurred inexcess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1975-76 in respect of 4-Revenue.

That a grant of a sum not exceeding Rs.18830863 be made to regularise the charges already incurred inexcess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1975-76 in respect 8-Buildings and Roads.

That a grant of a sum not exceeding Rs.16506150 be made to regularise the charges already incurred inexcess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1975-76 respect of 9-Education.

That a grant of a sum not exceeding Rs.166098 be made to regularise the charges already incurred inexcess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1975-76 in respect of 14-Food and Supplies.

That a grant of a sum not exceeding Rs.25612011 be made to regularise the charges already incurred inexcess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1975-76 in respect of 15-Irrigation.

That a grant of a sum not exceeding Rs.904838 be made to regularise the charges already incurred inexcess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1975-76 in respect of 18-Animal Husbandary.

That a grant of a sum not exceeding Rs.306895 be made to regularise the charges already incurred inexcess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1975-76 in respect of 20-Forest.

That a grant of a sum not exceeding Rs.3302202 be made to regularise the charges already incurred inexcess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1975-76 in respect of 25-Loans and Advances by State Government.

(No member rose to speak)

Mr. Deputy Speaker: Now I will put the various demands to the vote of the House.

Question is—

That a grant of a sum not exceeding Rs.181698 be made to regularise the charges already incurred inexcess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1975-76 in respect of 2-Genral Administration.

The motion was carried

Mr. Deputy Speaker: Question is—

That a grant of a sum not exceeding Rs.1920278 be made to regularise the charges already incurred inexcess of

the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1975-76 in respect of 4-Revenue.

The motion was carried

Mr. Deputy Speaker: Question is—

That a grant of a sum not exceeding Rs.18830863 be made to regularise the charges already incurred inexcess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1975-76 in respect of 8-Buildings and Roads.

That a grant of a sum not exceeding Rs.16506150 be made to regularise the charges already incurred inexcess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1975-76 respect of 9-Education.

The motion was carried

Mr. Deputy Speaker: Question is—

That a grant of a sum not exceeding Rs.166098 be made to regularise the charges already incurred inexcess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1975-76 in respect of 14-Food and Supplies.

That a grant of a sum not exceeding Rs.25612011 be made to regularise the charges already incurred inexcess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1975-76 in respect of 15-Irrigation.

The motion was carried

Mr. Deputy Speaker: Question is—

That a grant of a sum not exceeding Rs.904838 be made to regularise the charges already incurred inexcess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1975-76 in respect of 18-Animal Husbandary.

The motion was carried

Mr. Deputy Speaker: Question is—

That a grant of a sum not exceeding Rs.306895 be made to regularise the charges already incurred inexcess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1975-76 in respect of 20-Forest.

The motion was carried

Mr. Deputy Speaker: Question is—

That a grant of a sum not exceeding Rs.3302202 be made to regularise the charges already incurred inexcess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1975-76 in respect of 25-Loans and Advances by State Government.

The motion was carried

वर्श 1976–77 के ऐक्सैस डिमांडज ओवर ग्रांट्स एण्ड एप्रोप्रिए ांज पर चर्चा तथा मतदान

Mr. Deputy Speaker: All the demands on the order paper will be deemed to have read and moved. The members may, however, indicate the demand nunber on which they wish to raise discussion while speaking.

That a grant of a sum not exceeding Rs.15924998 be made to regularise the charges already incurred inexcess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1976-77 in respect of 8-Buildings and Roads.

That a grant of a sum not exceeding Rs.147364 be made to regularise the charges already incurred inexcess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1976-77 in respect of 13-Social Welfare and Rehabillitation.

(No member rose to speak)

Mr. Deputy Speaker: Now I will put the demands to the vote of the House.

Question is—

That a grant of a sum not exceeding Rs.5924998 be made to regularise the charges already incurred inexcess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 19756-77 in respect of 8-Buildings and Roads.

The motion was carried

Mr. Deputy Speaker: Question is—

That a grant of a sum not exceeding Rs.147364 be made to regularise the charges already incurred inexcess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1976-77 in respect of 13-Social Welfare and Rehabillitation.

The motion was carried

बिल्ज (इन्ट्रोडयूस्ड–सदन की अनुमति से)–

(i) दि पंजाब अर्बन इम्मूवेबल प्रौपर्टी टैक्स (हरियाणा वैलिडे ान) बिल, 1981

वित्त मंत्री (चौधरी खुर ीद अहमद): मैं प्रस्ताव करता हूं कि–

दि पंजाब अर्बन इम्मूवेबल प्रौपर्टी टैक्स (हरियाणा वैलिडे ान) बिल प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये।

श्री उपाध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि–

दि पंजाब अर्बन इम्मूवेबल प्रौपर्टी टैक्स (हरियाणा वैलिडे ान) बिल प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये।

श्री उपाध्यक्ष: प्र न है कि–

दि पंजाब अर्बन इम्मूवेबल प्रौपर्टी टैक्स (हरियाणा वैलिडे ान) बिल प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

वित्त मंत्री (चौधरी खुर ीद अहमद): उपाध्यक्ष महोदय, मैं बिल इंट्रोड्यूस करता हूं।

(ii) दि हरियाणा जनरल सेल्ज टैक्स (अमैंडमैंट तथा वैलिडे ान) बिल, 1881

वित्त मंत्री (चौधरी खुर ाीद अहमद): मैं प्रस्ताव करता हूं कि–

दि हरियाणा जनरल सेल्ज टैक्स (अमैंडमैंट तथा वैलिडे ान) बिल प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये।

श्री उपाध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि–

दि हरियाणा जनरल सेल्ज टैक्स (अमैंडमैंट तथा वैलिडे ान) बिल प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये।

श्री उपाध्यक्ष: प्र न है कि–

दि हरियाणा जनरल सेल्ज टैक्स (अमैंडमैंट तथा वैलिडे ान) बिल प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

वित्त मंत्री (चौधरी खुर ाीद अहमद): डिप्टी स्पीकर साहब, मैं बिल इंट्रोड्यूस करता हूं।

(इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए)

(iii) दि पंजाब समितिज (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1881

विकास मंत्री (राव दलीप सिंह): मैं प्रस्ताव करता हूं कि–

दि पंजाब समितिज (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये।

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि–

दि पंजाब समितिज (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये।

श्री अध्यक्ष: प्र न है कि–

दि पंजाब समितिज (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विकास मंत्री (राव दलीप सिंह): स्पीकर साहब, मैं बिल इंट्रोड्यूस करता हूं।

(iv) दि पंजाब प्रोहिबि न आफ काउ स्लौटर (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1881

जेल तथा डेरी विकास मंत्री (चौधरी ि ाव राम वर्मा): मैं प्रस्ताव करता हूं कि–

दि पंजाब प्रोहिबि ान आफ काउ स्लौटर (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये।

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि–

दि पंजाब प्रोहिबि ान आफ काउ स्लौटर (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये।

स्वामी अग्निवे ा (पुंडरी): अध्यक्ष महोदय, चौधरी ि ाव राम वर्मा ने हमारे प ाुधल के विकास के लिये जो बिल प्रस्तुत किया है उसके लिये मैं उनका धन्यवाद करता हूं। उनकी नायत है कि हरियाणा का प ाुधन वि ोशकर अच्छी गाएं और बैल हरियाणा मे ले जाकर कसाई घरो मे न पहूंचाए जाये। यह भावन बहुत अच्छी है लेकिन इस अच्छी नीयत के बावजूद भी इसमे कुछ कमी है। अध्यक्ष महोदय, इसमे सं ाोधन किया जा रहा है कि जहां गो वध पर कानून द्वारा कोई प्रतिबंध नही है यानी जहां बूचड़खाने है और गाय की हत्या पर कोई पाबन्दी नही है, वहां गायों के निर्यात के लिये अनुज्ञा पत्र जारी नही किया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, इसमे यही सब से बड़ा लकूना है। अध्यक्ष महोदय, कोई व्यक्ति यह कहकर गाय नही ले जाता कि इसको कलकत्ता के बूचड़खाने मे ले जाया जा रहा है। यहां से गाय बिहार ले जाई जा सकती है, उत्तर प्रदे ा ले जाई जा सकती है और माध्य

प्रदे ा ले जाई जा सकती है और उसके बाद वह कलकता पहुंच सकती है।

श्री अध्यक्षः स्वामी जी मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह डिस्क ान की कोई स्टेज नही है। जब डिस्क ान के लिये आएगा तो आप अमैंडमैंट मूव कर सकते है। इस वक्त तो सिर्फ बिल को इंट्रोड्यूस करने की इजाजत दी जा रही है। आप यह समझते है कि वह अधूरी है तो.....

स्वामी अग्निवे ाः अध्यक्ष महोदय, जो बिल लाया जा रहा है उसका मैं स्वागत करता हूं लेकिन यह जो धारा है उसको सं ाोधित रूप मे लाया जाये।

श्री अध्यक्षः अगर बिल की किसी क्लाज के बारे मे आप यह समझते है कि वह अधूरी है तो.....

स्वामी अग्निवे ाः मैं तो पूरे बिल के बारे मे कह रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, जो लाइन ये बिल मे बढ़ा रहे है वह अधूरी है। इसलिये जो परपज है वह इस लाइन के भाामिल करने से पूरा नही होता। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि सरकार इसको फिर से एग्जामिन करे और ठीक करके फिर से इस बिल को लाए।

जेल तथा डेरी विकास मंत्री (चौधरी ि ाव राम वर्मा): अध्यक्ष महोदय, इस संबंध से पहले इस विधान सभा मे एक सं ाोधन आया था और उस समय आनरेबल मैंबर्ज की तरफ से एक एतराज आया था कि यह सं ाोधन होना चाहिए कि जिन

राज्यों मे गो वध की कानूनी पाबंदी नही है, वहां के लिये परमिट न दिये जाये। इस बारे मे यहां पर आ वासन भी दिया गया था और इसी लिये उस आ वासन को पूरा करने के लिये यह सं ाोधन लाया जा रहा है। इस को लाने मे देरी इसलिये हो गई क्योंकि हमें इसकी राश्ट्रपति महेदय से स्वीकृति लेनी थी। अब वह स्वीकृति आ गई है। मैं यहां बताना चाहता हूं कि इस पर पहले ही काफी विस्तार से डिस्क ान हो गई थी, अब इस बारे मे कोई भ्ाुबह की गुंजाई ा नही है। हमारी कोि ा ा यही होगी कि गौओं का उसी काम के लिये प्रयोग हो, जिस काम के लिये वे ले जायी जायें, यानी दूध के लिये और अच्छी नस्ल के बछड़े और बछड़ियां पैदा करने के लिये दूसरी स्टेटों मे ले जायी जाये तो ऐसे काम के लिये कोई पाबंदी नही लगाई जा सकती है। फिर भी यह कोि ा ा की जायेगी कि इस प्रकार की गायें बाहर न जायें जिनकी बूचड़खाने मे जाने की सम्भावना हो। इसी लिये यह बिल यहां पर लाया जा रहा है और इस के सदस्यों को एतराज वाली बात नही होनी चाहिए।

श्री अध्यक्षः प्र न है कि–

दि पंजाब प्रोहिबि ान आफ काउ स्लौटर (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

जेल तथा डेरी विकास मंत्री (चौधरी ि ाव राम वर्मा): अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक को प्रस्तुत करता हूं–

बिल्ज (कंसिडर्ड एण्ड पास्ड)–

(i) दि हरियाणा लेजिस्लेटिव असैम्बली (फैसिलिटीज टू मैम्बर्ज) अमैंडमैंट बिल, 1881

Finance Minister (Chaudhri Khurshid Ahmed): Sir, I bet to move—

That the Haryana Legislative Assembly (Facillities to Members) Amendment Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved—

That the Haryana Legislative Assembly (Facillities to Members) Amendment Bill be taken into consideration at once.

चौधरी उदय सिंह दलाल: स्पीकर साहब, सभी मैंबर्ज इस बिल के हक मे है।

श्री बलदेव तायल (हंसी): अध्यक्ष महोदय, चौधरी उदय सिंह दलाल उठ उठ कर अपनी दलील दे रहे है कि यहां पर सभी मैंबर्ज इस बिल के पक्ष मे है पर मैं तो इस बिल के विरोध मे बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। इस बिल के बारे मे मुझे दो तीन बातें ही कहनी है। पहली बात तो यह है कि जो फैसिलिटीज हम आम जनता को नही दे सकते, वह फैसिलिटीज आदरणीय सदस्यों

को अपने लिये लेने का क्या अधिकार है? आपको यह ज्ञात है कि प्लाटस आम जनता को भी दिये जाते है और आम जनता उन पर मकान बनाती है। जनता मकान बनाने के लिये कर्जा भी लेती है और फिर सरकार ब्याज सहित पैसा वापिस भी लेती है। आम जनता कानून के मुताबिक वह पहले किस्तों का रूपया, जो उस प्लाट का बनता है, अदा करती है। उसके बाद वह प्लाट को रहन रखे और फिर उस पर मकान बनाये, ऐसा होता है और ऐसा ही नियम है। ऐसा ही नियम इस बिल के पिछले एक्ट के अंदर था लेकिन अब आ यर्च की बात यह है कि एक चीज, जो हमारी है ही नही और जिसका कि हमने पैसा भी अदा नही किया, उसको दोबारा रहन रखना और दोबाना कर्जा लेना कहां तक उचित हे, जबकि पहले ही हमारे अगेन्स्ट कर्जा बकाया है। पहली किस्तें दिये बगैर मुझे क्या अधिकार है कि मैं दोबारा कर्जा लूं और मोगेंज करूं। ऐसा करना पब्लिक एक्सचेक्र के साथ, पब्लिक मनी के साथ खिलवाड़ होगा। मैं तो यहां तक हूंगा कि इस बिल की आड़ मे हम आम जनता के साथ धोखा और सकरारी पैसे का दुरूपयोग कर रहे है। अगर यह बिल एक्ट बन गया औरएक्ट के तहत किसी ने लोन ले लिया तो सरकार क`पास उससे रिकवर करने का कोई चारा नही रहेगा कि किस तरीके से इस पैसे की करकवरी की जाये। (ट्रेजरी बैन्चिस की तरफ से भाोर व विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मुझे पूर्ण वि वास है कि इधर का कोई मैंबर ऐसा नही करेगा जो लिए गये कर्जे की वापिस न करे लेकिन उधर तो सत्ता मे मदमस्त मंत्री महोदय बैठे है, उनमे से बे ाक कोई ऐसा हो सकता है.....

परिवहन मंत्री (श्री जगन नाथ): स्पीकर साहब, हम तायल साहब पैसे से ले लेंगे।

श्री बलदेव तायलः स्पीकर साहब, मैं तो पेमैंट करने के लिये हाजिर हूं। मेरे कर्जे की चिंता न करे, आप इधर आने का अपना माइंड बना लो, हम चौधरी भजन लाल जी से ज्यादा पैसा दे देंगे। (हंसी व भाोर) अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ज्यादा समय न लेता हुआ आपके द्वारा सारे सदन से यही प्रार्थना करूंगा कि जनता के पैसे से खिलवाड़ न किया जाये। इस पैसे का दुरूपयोंग न करे, आप लोगो को भगवान ने एम.एल.एज. बनाया है, मंत्री बनाया है, और आप हरियाणा के एम.एल.एज. की गरीमा को स्थापित रखे। धन्यवाद।

श्री जय नारायण वर्मा (बरवाला): अध्यक्ष महोदय, अभी मेरे साथी श्री बलदेव तायल साहब ने इस बिल मे सं ाोधन करने का जो विरोध किया है, मैं उनके साथ सहमत हूं और उनकी बात का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं इसमे जो बाते कही गई है। मैं उनको दोहरा कर सदन का समय नश्ट नही करना चाहता। स्पीकर साहब, एक बात सही है कि जिस सुविधा का हम आम जनता के लिये प्रावधान करने की स्थिति मे नही है, उस सुविधा के लिये हम अपने लिये बार बार यहां पर सं ाोधन लाए तो वह केवल पब्लिक एक्सचेकर के साथ अन्याय करते है, अपितु विधान सभा के सदस्यों की छवी को बिगाड़ने का काम भी करते है इस लिये मैं सं ाोधित बिल का डट कर विरोध करता हूं।

वित्त मंत्री (चौधरी खुर ीद अहमद): जनाब, स्पीकर साहब, मैं आपकी खिदमत मे यही अर्ज करूंगा कि जो अलफाज इस हाउस के लिये आनरेबल मैंबर श्री बलदेव तायल जी ने जाहिर किये है। कि सरकारी पैसे को भाायद कोई खतरा हो जायेगा। रह बिल्कुल बेबुनियाद है क्योंकि यह जायदाद का मामला है। जो प्लाटस अलाट होते है, वे हुडडा अलाट करता है और हुडडा को एक चौथाई पैसा पहले दे दिया जाता है। (ाोर व व्यवधान)

आवाजें: स्पीकर साहब, अगर कोई आदमी भारतवर्श का न हो और उसका पता भी न हो तो फिर आप कैसे उससे रिकवरी करेगें? (ाोर व व्यवधान)

चौधरी खुर ीद अहमद: स्पीकर साहब, ऐसा कोई आदमी जो भारतवर्श का न हो, इस हाउस मे नही आ सकता ओर न ही हाउस का मैंबर हो सकेगा। जो भारतवर्श का होगा और चुनकर आयेगा वही मैंबर बन कर आ सकेगा। (ाोर व व्यवधान)

आवाजें: स्वामी जी का ऐड्रैस पूछिये। (व्यवधान)

चौधरी खुर ीद अहमद: स्वामी जी को समझदार लोगों ने आपसे बहुत फालतू वोटें देकर चुना और यहां पर भेजा है। यह बिल जो यहां पर आया है, यह हरियाणा के चुन हुए लोगो के लिये है, किसी ऐसे वैसे आदमी के लिये नही है। कर्जा लेने के लिये पाबंदी तो होती ही है। अगर कोई कारखानेदार लोन लेता है तो उसकी जायदाद गिरवी रखी जा सकती है, कोई दूरा आदमी

कर्जा ले तो उसकी जायदाद गिरवी रखी जा सकती है। हुडडा से जब प्लाटस अलाट हो जाते है तो उस प्लाट के मालिक को बाकी की किस्तें देनी पड़ती है, फिर हुडडा मौर्गेज करने की इजाजत देता हैं उसके बाद आप मकान बनाना चाहो तो बना सकते हो और किसी दूसरे इंस्टीच्यू ान से लोन ले सकते हो। लोन के अगेन्स्ट उसी इंस्टीच्यू ान को प्लाट मौर्गेज कर सकते हो ओर वह मौर्गेज कामयाब भी रहेगी। अगर कोई सदस्य मकान के लिये कर्जा लेगा तो उसकी पहले कि त तब रिलीज की जायेगी जब वह अनी तरफ से पलिथ लैवल तक कुछ न कुछ रा ि ा अपनी और से इंवैस्ट करेगा। आज कल के तजुर्बे के अनुसार जो सहूलियतें हम मैंबर साहेबान को देने जा रहे है, इसी तरह की सहूलियत हमने तमाम सरकारी कर्मचारियों को पहले ही दी हुई है। आज ही मैंने दरयाफत किया है कि आज तक एक भी सिंगल केस ऐसा नही हुआ है जिसमे री पमैंट करने मे किसी तरह की गड़बड़ हुई हो, सरकार पैसे का दुरूपयोग हुआ हो या सरकार पैसे को किसी किस्त मे कोइ खतरा पैदा हुआ हो। मैं यह समझता हूं कि जब जमीन गिरवी रखी गई है यानी प्लाट सरकार के कब्जे मे हो और मैंबर ने भी उस पर इन्वेस्टमैंट कर दी हो तो कोई खतरा वाली बात नही है। सरकार के पास यह हमे ाा के लिये एक गारंटी हो गई है। जहां तक पैसा न देने की बात है असल मे कोई मैंबर ऐसा नही है जो कर्जा लेकर वापिस करने की नियत न रखता हो। हर आदमी यह नीयत रखता है कि जो कर्जा लिया हे उसे वापिस लिया है उसे वापिस करना है (विघ्न) वर्मा साहब ने कार के लिये

लोन लिया है और उनको पता है कि हर पहली तारीख को उनके पांय सौ रूपये कट जाते है। यही विचार इनका हाउस लोन के लिये भी होना चाहिए। स्पीकर साहब, यह कर्जा लेना कम्पलसरी नही है। जो नही लेना चाहता वह न एप्लाई करे। यह प्रोविजन तो मैंबरों की सहूलियत के लिये किया गया हे। इस लिये मैं आपसे रिक्वैस्ट करूंगा कि इस बिल को पास किया जाये।

श्री अध्यक्षः प्र न है कि–

दि हरियाणा लेजिस्लेटिव असैम्बली (फैसिलिटीज टू मैम्बर्ज) अमैंडमैंट बिल पर तुरंत विचार किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकुत हुआ।

श्री अध्यक्षः अब सदन बिल पर क्लाज बाई क्लाज विचार करेगा।

क्लोज 2

श्री अध्यक्षः प्र न है–

कि क्लाज 2 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकुत हुआ।

क्लोज 3

श्री अध्यक्षः प्र न है–

कि क्लाज 3 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकुत हुआ।

क्लोज 1

श्री अध्यक्षः प्र न है–

कि क्लाज 1 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकुत हुआ।

अनैक्टिंग फारमूला

श्री अध्यक्षः प्र न है–

कि अनैक्टिंग फारमूला बिल का अनैक्टिंग फारमूला हो।

प्रस्ताव स्वीकुत हुआ।

टाइटल

श्री अध्यक्षः प्र न है–

कि टाइटल बिल का टाइटल हो।

प्रस्ताव स्वीकुत हुआ।

वित्त मंत्री (चौधरी खर ीद अहमद): स्पीकर साहब, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिल पास किया जाये।

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि बिल पास किया जाये।

चौधरी रिजक राम (राई): स्पीकर साहब, बिल की कंसिड्रे ान की स्टेज पर हमारे माननीय सदस्य तायल साहब ने कुछ बातें कही। मैं ऐसा समझता हूं कि उन्होंने ऐसा अंदे ाा जाहिर किया है कि मैंबर साहेबान जो प्लाटस के लिये कर्जा लेंगे, उसको वापिस करने के बरे मे इनको कुछ भांका है। यहां पर सारे सदस्य बैठे है। कम से कम जो ट्रेजरी बैचिज पर बैठे है, उनके बारे मे तो इनको कोई भ्ाुबह नही होना चाहिए और अपनी पार्टी के मैंबरों के बारे मे इनको ज्यादा पता होगा। आपको पता है कि कितने मैंबरज ऐसे है जिनके पास चुने जाने से पहले कोई मकान नही था। कोई किराये पर रहता था, कोई झोंपड़ी मे रहता था और कोई झूग्गी मे रहता था अब उनके स्टेटस के मुताबिक उनको मकान की जरूरत है। इसलिये अब उनको जो भी ज्यादा से ज्यादा सहूलियत दी जाये, कम है और इसके लिये मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जब से यह सरकार बनी है, आये इजलास मे मैंबरों के बारे मे कोई न कोई बिल लाया जाता है। कभी पैं ान के बारे में और कभी अलाउसिज के बारे मे बिल लाया जाता है। मेरी मंत्री जी से, मुख्य मंत्री जी से और आपसे भी यह प्रार्थना है कि मैंबरोको जो भी सहूलियतें देनी है उनके लिये एक ही बाद बिल ले आओ ताकि हरदफा पब्लिक मे जो नुक्ताचीनी होती है और प्रैस मे बात आती

है, उससे बचा जा सके। सब इलैक ान भी सिर पर खड़े है, इसलिये रोज, की नुक्ताचीनी से बचने के लिये एक कंसोलिडेटिड बिल ला दें।

श्री भले राम (बड़ौदा अनुसूचित जाति): स्पीकर साहब, मैं इस बिल मे एक सं ाोधन चाहूंगा। यह तो ठीक है कि जिसके वाल बच्चे है उसको मकान की आव यकता होती है। इसलिये अगर वह प्लाट लेना चाहता है तो ठीक है सरकार उसे कर्जा दे दे। लेकिन स्पीकर साहब, जिसके कोई बाल बच्चा नही है और वह नंग मंलग है उसको यह कर्जा नही मिलना चाहिए। जिसको पैसे की जरूरत है उसी को यह कर्जा मिलना चाहिए। अब अबर यह बिल पास हो जायेगा तो उसको जरूरत नही है वह भी ले लेगा।

* * * * * * * * * * * (ाोर)

श्री अध्यक्ष: आप किसी मैंबर के खिलाफ यह नही कह सकते कि वह पैसा लेकर मिस यूज करेगा। स्वामी जी के बारे मे जो कहा गया है वह एक्सपंज कर दिया जाये।

श्रीमती सुशमा स्वराज (अम्बाला छावनी): अध्यक्ष महोदय, यह बल पास होने की स्टेज पर है। कंसीड्रे ान स्टेज पर मेरे दल के नेता ने इस बारे मे कुछ बातें कही। जो चौधरी रिजक राम जी ने कहा मैं उसके बारे मे कुछ कहने के लिये खड़ी हुई हूं। अध्यक्ष महोदय, चौधरी रिजक राम जी ने कहा कि उनकी तरफ बैठे हुए लोगों पर किसी को भाक नही है लेकिन इधर वालो पर हो सकता

है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आव यकता नही होती। हाथ कंगन को आरसी क्या ? ये तमाम लोग जो दूसरी पार्टी के लोगों को हथिया कर अपनी सरकार बना सकते है तो ये दूसरों के प्लाट हथिया कर उन पर अपने मकान भी बना सकते है। (ाोर) अध्यक्ष महोदय, प्लाट ओर कर्जा तो बहुत छोटी सी चीज है लेकिन इन लोगों को तो आप जानते है कि इन्होंने न तो कांग्रेस की टिकट ली और न ही कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा फिर भी कांग्रेस की सरकार को अपनी सरकार बना लिया। (ाोर)

श्री अध्यक्षः आप बिल पर ही बोले।

श्रीमती सुशमा स्वराजः अध्यक्ष महोदय, जब भाक की बात उठाइ गई हे तो कोई आदमी कर्जा हथियाएगा या नही यह अलग बात है। लेकिन यह मुझे बताना ही पड़ेगा कि जो आदमी अपने मतदाताओं को हथिया सकते है क्या वे कर्जे को या प्लाट को नही हथिया सकते ?

गृह मंत्री (श्री कन्हैया लाल पोसवाल): अध्यक्ष महोदय, ये क्यों खड़े हो गये है, मै इनकी तो बात नही कर रही। ये तो ओरिजनल कांग्रेस मे से है, इसलिये उनकी तरफ से उनको बोलने की जरूरत नही है । (ाोर)

श्री अध्यक्षः जो बिल अंडर डिस्क ान है आप उस पर बोलने की बजाये कांग्रेस पार्टी और जनता पार्टी की बात कर रही है आप बिल पर ही बोले। (विघ्न)

श्रीमती सुशमा स्वराजः अध्यक्ष महोदय, मैं भाई सुरेन्द्र सिंह, पोसवाल साहब और चौधरी भाम ोर हि की बात नही कर रही क्योंकि वे तो ओरिजिनल कांग्रेस मे से है।

स्पीकर साहब श्री पोसवाल साहब को मुखतिब करके एक बात कहना चाहती हूं–

इन्तहाये गर्दि ो तुफां भी देखली

मंजिल उन्हे मिली जो भारीके सफर न थे।

(ाोर)

श्री कन्हैया लाल पोसवालः स्पीकर साहब, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं कि मै। सुशमा जी की इज्जत करता हूं, इनके बारे मे कुछ कहा ही नही जा सकता। सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं–

आप हुस्न पर चाहे नाज करे,

मगररूर बनो खुददार बनो,

जब वाकिफे आइना भी न थे,

हमने वह जमाना देखा है

श्रीमती सुशमा स्वराजः अध्यक्ष महोदय, इसी बात पर मेरा कहना है कि–

इस हसीनों पे इतना फक्रन करो, इनकी दूर की चाहता ही अच्छी, न इनकी दोस्ती अच्छी, न इनकी दु मनी अच्छी। (व्यवधान)

श्री मूल चंद जैन (सम्भालखा): स्पीकर साहब, सवाल यह है कि इस बिल को लाने की जरूरत क्यों पड़ी ? पहले पोजी ान यह थी कि अगर किसी एम.एल.ए. ने प्लाट अलाट करवा लिया है तो उसकी कंस्ट्रक ान करने के लिये कर्जे की सहूलियत नही मिल सकती थी। अब सरकार ने इस बिल के द्वारा यह प्रोविजन कर दिया है कि किसी एम.एल.ए. को चाहे फरीदाबाद मे, चाहे किसी और जगह प्लाट अलाट हो गया है, उसने चाहे एक कि त दी है चाहे नही दी हे, उसे कर्जा मिल सकता है। फर्ज करो एक प्लाट की 40 हजार रूपये कीमत है, और उसने केवल 5 हजार रूपये बतौर पहली कि त के लिये है। इसका मतलब यह हुआ कि अभी उसने 35 हजार रूपया बकाया देना है। इस बिल के द्वारा सरकार चाहती है कि वह उस प्लाट को गिरवी रख कर सरकार से 60 हजार रूपये का कर्जा ले ले और प्लाट की कंस्ट्रक ान कर ले। अब रहा सवाल श्री बलदेव तायल को बात का। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि श्री बलदेव तायल की बात का क्या जवाब है ? चौधरी रिजक राम ने यह कह दिया कि असम्बली दो चार महीने मे डिजौल्व हो जायेगी। (व्यवधान) चला, आठ महीने मे हो जयेगी, इस महीने के बाद हाउस डिजाल्व होगा तो एम.एल.एज. को 60–60 हजार रूपये के कर्जे किस लिये देना

चाहते है ? अगर दे दे दिए तो सरकार कैसे वसूल करेगी ? जब इस मामले मे प्राइवटली डिस्क ान होती है तो कह दिया जाता है कि जो पें ान मिलेगी उस मे से मुजरे कर लेंगे। मैं कहना चाहता हूं पैं ान मे से तो इस रकम का न्याज भी वसूल नही होगा। लिहाजा यह बहुत गलत चीज है और मैं इसकी सख्त से सख्त मुखालफत करता हूं अगर हो सक तो इस स्टेज पर भी इस बिल को वापिस ले लिय जाये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः बाबू जी, आप इतना पैसिमिस्टिक क्यों हो रहे है कि इन मे से दोबारा इलैक्ट हो कर नही आयेंगे। भाायद आ जाए और वापिस आकर कर्जा वापिस करते रहेंगे। (व्यवधान)

श्री मूल चंद जैनः स्पीकर साहब, सवाल यह है कि हम जनता के नुमायेंदे है और जो सहूलियत एम.एल.एज. ले रहे है, क्या वही सहूलियत जनता को नही दी जा सकती ? आपको मालूम है, श्री गुगन राम, गोबर गैस प्लांट के कर्जे की वसूली पर खुदक ाी करता है और वह भी 3000 रूपये के लिये और दूसरी तरफ एक एम.एल.ए. 60 हजार रूपया कर्ज ले जाता है जिसकी कोई सिक्योरिटी नही है। एम.एल.ए. ाहे कितना ही रूपया ले जाये, उसके अगेन्स्ट कोई अपनी चीज गिरवी भी नही रखी..... (व्यवधान)

श्री बलदेव तायलः स्पीकर साहब, मैंबर वापिस जरूर आयेंगे लेकिन वे आयेंगे जिन्होंने कर्जा नही लिया होगा । (व्यवधान)

वैयक्तिक स्पश्टीकरण

चौधरी रिजक राम द्वारा

चौधरी रिजक रामः स्पीकर साहब, आन ए प्वायंट आफ पर्सनल एक्सप्लेने ान। श्री मूल चंद जैन ने अभी फरमाया कि मैंने भविश्यवाणी की है कि हाउस दो महीने मे या छः महीने मे डिजौल्व हो जायेगा। मैंने ऐसा नही कहा, मैंने कहा है कि मुख्य मंत्री जी का ऐसा विचार है। अगर बाबू जी बार बार ऐसा करते रहे तो टाईम पर ही इलैक ान होंगे। (व्यवधान)

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, इलैक ान तो टाईम पर ही होंगे, बीच मे कोई इलैक ान नही होगा। (व्यवधान)

चौधरी गंगा रामः आप हमें कैसे वि वास दिलाते है, आप खुद इंदिरा गांधी की दया दृश्टि पर बैठे हो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः आर्डर प्लीज। (व्यवधान)

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, मुझे इन पर रहम आता है, इसलिये मैं कह रहा हूं कि इलैक ान टाईम पर ही होंगे। अगर बीच मे इलैक ान करवा दूं तो इन मे से एक आध आदमी दुबारा इलैक्ट होकर तो बे ाक आ जाये, लेकिन ये सारे नही आ सकते। (व्यवधान)

एक सदस्यः वह किसको मालूम हम आयेंगे या आप आयेंगे। (व्यवधान)

चौधरी भजन लालः यह तो वक्त बतायेगा। (व्यवधान)

डा0 मंगल सैनः स्पीकर साहब, आपने बजा फरमाया और हाउस का टैम्पर नौर्मल कर दिया, इसके लिये मैं आपका भाुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन मुख्य मंत्री महोदय ने हमारे बारे मे कहा कि उन्हे हम पर तरस आता है भाायद ही हम इलैक ान मे जीत कर आये। (व्यवधान) स्पीकर साहब, हमें तो इन पर तरस भी आता है, गुस्सा भी आता है और आंसू भी आते है। (व्यवधान) बड़े वे आबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। (व्यवधान)

चौधरी रिजक रामः स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि इलैक ान जल्दी से जल्दी करवाये ताकि बहुत सा गंद साफ हो जाये। (व्यवधान)

दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली (फसिलिटीज टू मैंबर्ज) अमैंडमैंट बिल, 1981 (पुनरराम्भ)

Mr. Speaker: I close this discussion and the Finance Minister wil now reply to the debate.

वित्त मंत्री (चौधरी खुर ाीद अहमद): स्पीकर साहब, जो खतरा मेरे साथियों को और मेरे बहुत ही काबलेइज्जत साथी श्री मूल चंद जैन को नजर आता है, वह नही है, भाायद उन्होंने पूरे तौर से बिल को देखा नही। बाबू जी ने खतरा जाहिर किया

कि जो अमाउंट एम.एल.ए. को दिया जायेगा उसकी पूरी सिक्योंरिटी नही ली जायेगी और गोबर गैस प्लांट के लिये कर्जा गोगन राम जी लिया था उसकी रिकवरी न होने की वजह से श्री गोगन राम अगर खुदक ाी कर लेता है तो उसका एम.एल.ए. के कर्जे के साथ कैसे कम्पैरिजन हो सकता है? एम.एल.एज. को कर्जा दिया जायेगा उसके अगेन्स्ट पहले तो उनके प्लांट को मौर्गेज किया जायेगा और बाद मे उस प्लाट पर जो वह मकान बनायेगा, वह भी गवर्नमैंट को मौर्गेज होगा। दोनों मौर्गेज हो जायेगी। इसलिये इसमे कोई खतरा नही है। इसके इलावा जैसा कि चौधरी रिजक राम ने कहा कि सरकार मैंबर्ज के बारे मे बार बार इस प्रकार के मसले को क्यों लाती है, इस बारे मे मैं यही कहना चाहूंगा कि जब जब भी मैंम्बर्ज को कोई दिक्कत आयेगी, हम उन दिक्कतों दूर करने मे कतई संकोच नही करेंगे क्यांकि सरकार को मैम्बर्ज की दिक्कत को देखना पड़ता है। अगर उनके रास्ते मे कोई दिक्कत आती है तो उसको दूर करने की कोि ा ा करेंगे।

श्री अध्यक्षः प्र न है–

कि बिन पास किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(ii) दि हरियाणा स्टेट लैजिस्लेचर (प्रिवैं ान आफ डिसक्वालीफिके ान) अमैंडमैंट बिल, 1981

श्री अध्यक्ष: आनरेबल मैंबर्ज चौधरी राम लाल वधवा, एम.एल.ए. की ओर से हरियाणा स्टेट लैजिस्लेचर (प्रिवैन्‍ ान आफ डिसक्वालीफिके ान) अमैंडमैंट आडिनैंस की ओर से डिसऐप्रूवल का नोटिस आया था, but he is absent the House. I will now request the Finance Minister to move from the consideration of the Bill.

Finance Minister (Chaudhri Khurshid Ahmed): Sir, I beg to move—

That the Haryana State Legislature (Prevention of Disqualification) Amendment Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved—

That the Haryana State Lagislature (Prevention of Disqualification) Amendment Bill be taken into consideration at once.

डा. मंगल सैन (रोहतक): स्पीकर साहब, यह जो सं ोधन विधेयक सदन मे प्रस्तुत हुआ है इसमे जो बात कही गई है, वह यह है कि–

"Chairman, Vice-chairman, president, vice-president, director or member[whether elected, nominated or appointed either by the Union Government or the State Government or any of its fficers of any statutory or non-statutory body, whether he is or is not in receipt of anyremuneration including compensatory, allowance during the performance of his duties."

स्पीकर साहब, इस अमैंडिंग बिल मे यह कहा गया है कि विधान सभा का सदस्य अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, निदे ाक हो, सदस्य निर्वाचित हो व मनोनीत हो या अधिकारी हो, उन्हे अगर कोई आर्थिक लाभ होता है, उनकी डिसक्वालिफिके ान को वेव करने के लिये यह अमैंडमैंट बिल लाया गया है। चौधरी रिजक राम जी हाउस के एक सीनियर मैंबर है और ये अपनी बुजुर्गी का फायदा उठाते हुए कई बार मजाक मे अच्छी बातें कह जाते है। मुझे इस बात की बड़ी खु ाी है कि उन्होंने अगर यह स्पायल सिस्टम इस हद तक स्पायल होता चला जायेगा तो इस पर कहीं रोक नही लग पायेगी लेकिन इसके बावजूद भी कई विधायकों को सरकारी वकील बनाया गया और वे कमी ान के सामने पे ा हुए और उन्हें इस काम के लिये बहुत बड़ा भत्ता मिलता रहा। (विघ्न)

चौधरी रिजक रामः आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। स्पीकर साहब, अभी डा. मंगल सैन ने फरमाया कि गवर्नमैंट मे रहते हुए भी और बाहर भी मैं इस बात का एतराज करता रहा लेकिन एक बात स्पश्अ है कि न मेरी बात डा. साहब माने और न मुख्य मंत्री जी माने।

डा. मंगल सैनः स्पीकर साहब, मैं अपना जुर्म कबूल करने के लिय तैयार हूं, मैं इनकी तरह पांच मिनट के बाद बदलता नही। (विघ्न) मैं इस बात को कंफैस करता हूं कि हम उस गुनाह मे भाामिल है और हमने इनकी बात को नही मान क्योंकि हमारी बड़ी मजबूरियां थी।

चौधरी रिजक रामः स्पीकर साहब, अगर डा. साहब मेरी तरह पांच मिनट के बाद नही बदलते तो इसको अपेज क्यों कर रहे है। इन्होनें तो लोभ लेकर अपनी पार्टी के मैंबरों को चेयरमैन बनया था लेकिन अब कहते है कि मैं बदलता नही।

डा. मंगल सैनः स्पीकर साहब, मैंने कहा है कि मैं अपनी गलती कबूल करता हूं और गलती मानने वाले की इन्हें कुछ सराहना करनी चाहिए। (विघ्न) चौधरी साहब मैं तो कह रहा हूं कि आप बुजुर्ग है और बुजुर्गी का फायदा उठाते है लेकिन मैं आपकी तरह पांच मिनट के बाद बदलता नही। स्पीकर साहब मेरे जिन दो मित्रों की बात इन्होंने की, उसके बारे मे अर्ज यह है कि हमारे कहने पर उन्होंने फौरन इस्तीफा दे दिया था और चेयरमैन की पोस्ट को छोड़ कर चले आए थे । लेकिन स्पीकर साहब, अब तो कोई नौर्म्ज रहे ही नही। हमारे वक्त मे तो मजबूरी थी क्योंकि कई तरह के लोग इकटठे हुए थे और उनमे वे लोग भी थे जो आज कहते है कि अभुक नेता हमारा सर्वेसर्वा है, इसके लिये तो हम जान देने के लिये तैयार है लेकिन जब यह नेता मुसीबत मे फंसा था तो भाग कर चले आये थे और आज कहते है कि माता जी हम फिर आपके चरणों मे आ गए है, हमें स्वीकर करो, हम तो रूठ गये थे। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, इन्हें इस बात का बुरा नही मानना चाहिए क्योंकि जिस बच्चे के मां बाप का पता नही होता उसको इस तरह की बातें बरदा त करनी पड़ती है।

Mr. Speaker: Please confine yourself to the Bill only.

डा. मंगल सैनः स्पीकर साहब, ट्रेजरी बैंचिज पर मेरे कुछ ऐसे बुजुर्ग साथी बैठे है जिनके बारे मे मैं कुछ नही कहना चाहता क्योंकि मेरी आदत ऐसी है कि मैं जल्दी से किसी के बारे मे अपनी राय नही बदला करता। (विघ्न)

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्षः अगर हाउस की सहमति हो तो बैठक का समय दस या पंद्रह मिनट बढ़ा दिया जाये।

आवाजें: ठीक है जी।

श्री अध्यक्षः बैठक का समय पंद्रह मिनट बढ़ाया जाता है।

दि हरियाणा स्टेट लैजिस्लेचर (प्रिवैन्शन आफ डिसक्वालीफिकेशन) अमैंडमैंट बिल, 1981 (पुनरारम्भ)

डा. मंगल सैनः स्पीकर साहब, ये कहते है कि इनकी सरकार चटटान की तरह मजबूत है, रोड़े की तरह मजबूत है। अगर यह बात है तो इन्हें किस बात का भय है? ये क्यों मैंबर्ज को प्रलोभन देकर स्पायल करते है। विधायक के नातें भी तो वे काम कर सकते है ? स्पीकर साहब, यह संशोधन ठीक नही है।

डैमोक्रेसी मे कभी तो इन्हें कोई सही बात करनी चाहिए। चौधरी भजन लाल जी कह रहे थे कि अब उन्होंने नया अध्याय भ्रुरू कर दिया है। अगर यह बात ठीक है तो आज से ही अच्छी बात करना भ्रुरू कर दे। इन भाब्दों के साथ अध्यक्ष महोदय, जो सं ाोधन विधेयक सदन के सामने है मैं उसका विरोध करता हूं।

श्री मूल चंद जैन (संभालखा): स्पीकर साहब, यह बिल लाकर तो इस सरकार ने हद ही कर दी है। पिछले चीफ इलैक ान कमि नर, मिस्टर भाकधर ने खुद दिल्ली मे कहा है कि हरियाणा की सरकार और हिमाचल प्रदे ा की सरकार स्पायल सिस्टम पर चल रही है। अब अगर इनके बिल के औब्जैक्टस एंड रीजन्ज की स्टेटमैंट को पढ़े तो इसमे इन्होंने कोई रिजन नही बताया कि किस वजह से इस बिल को लाया जा रहा है। इसमे केवल एक बात कही गई है कि चूंकि गवर्नर साहब ने आर्डिनेंस जारी कर दिया था इसलिये उसको रिप्लेस करने के लिये यह बिल लाया जा रहा है। आर्डिनेंस अगर गवर्नर साहब ने जारी किया था तो वह भी गलत था और ये आज जो यह बिल ला रहे है यह भी गलत है। स्पीकर साहब, आप देखेंगे कि पहले ही बहुत सी रियायतें देकर हरियाणा मे एम.एल.एज को डिस्क्लालिफिके ान से बचाया हुआ है। लेकिन अब उन रियायतों को और ऐक्सटेंड कर रहे है। हर चीज की कोई लिमिट होती है। यह कोई बात है कि ये यह भी न बताएं कि इस बिल को लाने की इनको क्यों जरूरत पड़ गई ? कोई भी सैसिबल सरकार हाउस को और पब्लिक को

बताने मे गुरेज नही करेगी कि पहले कानून का क्या कमी थी और अब जो सं ाोधन लाया जा रहा है वह क्यों लाया जा रहा है, लेकिन इन्होंने इस तरह की कोई बात नही बताई स्टेटमैंट आफ आब्जैक्टस एंडरीजन्ज मे ये लिखते है कि यह बिल लाया जा रहा है with a view to removing the ambiguty regarding the words statutory or non-statutory body appointed or constituted by the State Government.

यह ऐमबिगियटी अब कैसे दूर हो गई? सैक ान 3 की मेन क्लाज तो यों की यों है। ये सिर्फ सब–क्लास (इ) को रिप्लेस कर रहे है। इसमे किन किन चीजों को इन्ट्रोड्यूस कर रहे है, क्योंकि पहले ये भाामिल नही थे। पहले किसी वाइस चेयरमैन की या इन्ट्रोड्यूस कर रहे है क्योंकि पहले ये भाामिल नही थे। पहले किसी वाइस चेयरमैन मे या किसी स्टेचुटरी बाडी की डिसक्वालिफिक ान दूर नही होती थी लेकिन अब यह सरकार इनकी डिसक्लवालीफिके ान भी दूर कर रही है। इसी प्रकार से पहले प्रैजीडेन्ट भी नही था लेकिन अब उसकी भी डिसक्वालिफिके ान दूर कर रहे है और इसी प्रकार वाइस चेयरमैन की भी कर रहे है। पहले यूनियन गवर्नमैंट की तरफ से जो आदमी अप्वायंट होता था वह भी उसे नही था लेकिन अब उसको भी इन्ट्रोटयूस कर रहे है। सब से ज्यादा निकम्मी बात यह यह कर रहे है जो ऐमबिगियुटी ये दूर करना चाहते थे वे भाब्द तो ज्यो के त्यों है। इनके लिये कोई बहाना तो किया होता कोई एक्सप्लेने ान तो दी होती। (ाोर) स्पीकर साहब, मै यह कह

रहा था कि वे भाब्द भी यों के यों रहे गये है, जिन भाब्दों की ऐमबिगियुटी दूर करने के लिये इन्होंने बहाना किया था। गवर्नर साहब से भी आर्डीनेंस करवाया था और अब भी स्टेटमैंट आफ आब्जैक्टस एंडरीजन्ज मे लिख दिया कि ये भाब्द यों के यों रहेंगे। ऐमबिगिंयुटी दूर नही हुई और न ही असली कारण बताये कि इस अमैंडमैंट बिल की क्यों जरूरत महसूस हुई। इनको इस किस्म की ज्यादती नही करनी चाहिए। आप मेजोरिटी के बलबूते पर पब्लिक के साथ और हाउस के साथ ज्यादती न करे। आपकी मैजोरिटी स्वीकार की जा सकती है लेकिन उसका दुरूपयोग न करे। मैं अपील करता हूं कि आप ऐसा न करे। हिन्दुस्तान के चीफ इलैक ान कमि ानर जो इलैक ान के मामले मे हाइयस्ट बाडी है, ने कहा है कि हरियाणा सरकार स्पायल सिस्टम पर चल रही है। इससे ज्यादा भार्म की बात और कोई नही हो सकती। अगर लेट स्टेज पर भी हरियाणा सरकार इस बिल को वापिस ले ले तो मैं उनको मुबारिकबाद दुंगा, वरना मैं इस बिल का तहेदिल से विरोध करता हूं।

चौधरी बीरेन्द्र सिंह (उचाना कलां): अध्यक्ष महोदय, मैं इस अमैंडिंग बिल का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। अपोजी ान के वयोवृद्ध नेता बाबू मूल चंद जैन और डाक्टर मंगल सैन जी ने इस पर टीका टिप्पणी करते हुए कहा है कि यह स्पायल सिस्टम है। मैं इनकी इज्जत करता हूं इनके राज मे यह सिस्टम तो था ही, दूसरी चीज डाक्टर मंगल सैन ने कही कि

उनके राज मे कई मुातलिफ पार्टी के लोग इकठे हो गये थे इसलिये भी कुछ बाते हो जाती थी। मैं उनको बताना चाहता हूं कि करनाल का पार्लियामैंट का बाई इलैक ान होना था और एक खास घटक के सदस वहां चुनाव लड़ रहे थे। डाक्टर मंगल सैन ने उस वक्त यह सौदेबाजी की थी कि कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर और हाई कोर्ट का जज हमारा बने। यह तो स्पायल सिस्ट की हद थी और इनकी ही राज मे यह हुआ है।

श्री मूल चंद जैनः ये तो एम.एल.एज. को स्पायल कर रहे है और वाइस चांसलर और हाई कोर्ट का जज बना रहे थे। (ाोर)

चौधरी बीरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, मुझे पिछले एक साल मे पब्लिक अंडर टेकिन्ज कमेटी का मैंबर रहने का अवसर मिला है। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जो भी कार्पोरे ान हरियाणा मे है, चाहे वह हरियाणा सरकार की है चाहे केन्द्रीय सरकार की है, उनके मैनेजिंग डायरेक्टर्ज को इतनी पावर्ज है जिसकी कोई हद नही है। वे इतनी अन लीमिटिड है जिती किसी भी विभाग मे नही है। वे दिन को रात कर सकते है। इस सिस्टम के अंदर मेमोरेन्डम एन्ड आर्टिकल आफ एसोसिय ान मे एक आदमी को कार्पोरे ान को चलाने के लिये बहुत पावर दी हुई है। उसमे कोई पब्लिक का नुमाइंदा नही है। अगर पब्लिक के नुमाइंदे की निगाह उसके कामकाज पर रहे तो मैं समण्ता हूं कि उससे कार्पोरे ान की बहुत बड़ी सेवा होगी। दूसरी बात इन्होंने यह

कही कि ये लोग इसलिये पावर दे रहे है कि इनकी सरकार कायम रहे और विधायकों को आहदा दिया जाये। यह बात गलत है। जब हमारे मुख्य मंत्री कांग्रेस मे भाामिल हुए, उस समय कहा जाता रहा कि बहुत से सदस्य साथ छोड़ कर चले गये लेकिन वे यों के यों कार्पोरे ान के चेयरमैन बने चहे । इस बात से यह साफ जाहिर ह किवे छोड़ना नही चाहते थे। दो महीने तक यही पता नही चला कि वे इस्तीफा देना चाहते है या नही। उनकी पार्टी के नेता यह कहते रहे कि हमारे विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है लेकिन दो महीने तक उनकी पार्टी के विधायकों ने इस्तीफा नही दिया।

अध्यक्ष महोदय, जो पावर्ज एक आदमी को दी हुई है और वह सरकारी मुलाजिम है और वह भी आई.ए.एस. काडर का आदमी है, वह अपनी मर्जी से निर्णय लेता है। उसके बारे मे मैं कह सकता हूं कि उसकी अपनी बहुत बड़ी डिस्क्रि ान है। अगर वहां पर पब्लिक का कोई नुमाइंदा चेयरमेन की हैसियत से बैठा दिया जाता है तो उसके हाथ मे कुछ भी नही है। मैं तो यह कहूंगा इस बिल के साथ साथ अगर हरियाणा सरकार यह बिल भी ले कर आये कि जो आर्टिकल आफ एसोसिए ान एंड मेमोरेन्डम है, उनमे बोर्ड और कार्पोरे ांज के चेयरमैन को स्पैसिफिक पावर्ज का प्रावधान हो तो काफी सुधार हो सकता है क्योंकि चेयरमैन को स्पैसिफिक पावर्ज का प्रावधान हो तो काफी सुधार हो सकता है क्योंकि चेयरमेन पावर्ज का सही इस्तेमाल कर सके ताकि हरियाणा की जनता के टैक्स पेयर्ज क जो पैसा बोर्ड और कार्पोरे ांज मे

जाता है उसका सही तरीक से इस्तेमाल हो सके, बोर्ड और कार्पोरे ांज पर कंट्रोल हो सके। इन भाब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री बलदेव तालय (हांसी) स्पीकर साहब, मैं इस अमैंडिंग बिल का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। बेसिक आब्जैक ान मेरा यह है कि जब हम इलैक ान लड़ते है तो कानून दूसरा होता है लेकिन जब रूलिंग पार्टी के मैंबर बन जाते है तो कानून दूसरा बना देते है जिसकी वजह से पब्लिक के अंदर रिजन्टमेंट होती है जब हह यहां आये थे तो पब्लिक से कुछ वायदें के लिये पिछली तारीख से अगर किसी कानून को बदलेंगे तो यह कोई भाोभा वाली बात नही। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। पहले पार्लियामेंट पांच सालों के लिये बनी और बाद मे पार्लियामैंट ने अपनी मर्जी से असैम्बली की अवधि बढ़ा कर छः साल कर दी। नतीजा यह हुआ कि कि जनता की आवाज उठी और सब तहसनहस हो गया और दूबाराउसी पार्लियामैंट को कानून पास करना पड़ा। अध्यक्ष महोदय, अगर यह कानून इलैक न लड़त वक्त होता तो कह सकते थे कि उचित है। उस वक्त तो यह कहते है कि मैं एम.एल.ए. बनूंगा तो जनता के पैसे का अनुचित उपयोग नही करूंगा और कोई जाजायज फयदा नही लूंगा। लेकिन अब जो हमारे सामने अमैंडमैंट होने जा रही है, वह सब अपने फायदे के लिये हो रही है। सदस्य बाकयदा तन्खाह लेते है, पूरा मुफाद लेते है। जब अदालत मे मुकदमे दायर होते है तो हम

कानून बना कर उससे बचने की कोि ा ा करते है। This is purely undemocratic. Democracy is cuttered by two menas one by tyranny and the other by offering small sums of money. Thank you.

चौधरी रिजक राम (राई): स्पीकर साहब, इस बिल का मैं विरोध तो नही करता लेकिन मैं समझता हूं कि अपोजी ान के मैंबरान को भी इसकी नुक्ताचीनी नही करनी चाहिए। जब इलैक ान हुए थे तो उस समय हमारी जनता पार्टी के 76 एम.एल. एज. चुन कर आये थे, उस समय चौधरी देवी लाल मुख्य मंत्री थे। उन्होंने कहा था कि हमने एम.एल.एज. को एडमिनिस्ट्रेटिव लैवल पर पार्टीसिपेट करने के लिये ट्रेनिंग देनी है। उन्होंने उस समय काफी कार्पोरे ान और बोर्डो के चेयरमैन बनाये।

Shri Baldev Tayal: Sir, we have paid for it.

श्री मूल चंद जैन: आप इसका दायरा क्यो बढ़ा रहे है?

चौधरी रिजक राम: आज बाबू मूल चंद जैन जी को इस बिल का विरोध नही करना चाहिए। वैसे मैं भी इस बिल का दिल से समर्थन नही करता। आज जब अखबारों मे चेयरमैन की पावर्ज का जिक्र आता है तो हमें भार्म आती है। स्पीकर साहब, आज हरियाणा के एम.एल.एज. को सारे हिन्दुस्तान के एम.एल.एज. से ज्यादा फैसिलिटीज मिल रही है। आप देखेंगे, पिछले दिनों 4 बिल कार्पोरे ान और बोर्डज से संबंधित आये थे। उन बिलों के जरिये आई.ए.एस. आफिसर्ज को चीफ एग्जैक्टिव आफिसर्ज लगाये गये है

काफी कार्पोरे ान के चेयरमैन एम.एल.एज. है लेकिन मुख्य पावर तो चीफ एग्जैक्टिव आफिसर को दी गई है। एक तरफ तो चेयरमैन की डिस्क्रि ानरी पावर्ज वापस ले ली जाये और दूसरी बात नही है । मैं आपका इस बात के लिये धन्यवाद करता हूं कि आपने दो मिनट के लिये मुझे बोलने का समय दिया है। स्पीकर साहब, मैं यह भी कहना चाहूगां कि किसी एम.एल.ए. को चेयरमैन बनाने या न बनाने से चौधरी भजन लाला की सरकार को कोई खतरा नही है और न ही उनकी सरकार मे कोई भंग पड़ेगा। आज कांग्रेस की सरकार है और इंदिरा गांधी जी हमारी नेता है। हम अनु ाासन के अंदररहे या हमारी नेता की नीति है। चौधरी भजन लाल जी को मैं बार बार कहता हूं कि आप नि ि चत रहे। जब तक इंदिरा जी बैठी है, आपकी सरकार को कोई खतरा नही है। अगर कार्य इसी तरह से होता रहा तो इन का असर आने वाले चुनावों पर भी पड़ सकता है। (ाोर) आपने मुझे अपने विचार रखने के लिये समय दिया, इसके लिये मैं आपका दोबारा धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेता हूं।

Mr. Speaker: The Finance Minister.

Shrimati Sudhma Swaraj: Speaker Sahib, please give me some time to speak because I have to make a very important observation.

Mr. Speaker: I am sorry, I cannot give time as sufficient discussion has already taken place. Now I hae called upon the Finance Minister to reply.

वित्त मंत्री (चौधरी खुर ीद अहमद): स्पीकर साहब, इस बिल का प्वायंट उठाया गया कि बिल लाने का कोई रिजन नही दिया गया। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि इसमे रिजन दिया गया है। पहले जो क्लाज इफैक्ट हुई है उसके बारे मे मैं यही कहता हूं कि उसमे कुछ एमिगुअस लैंगवेज थी जिसको दूर करने के लिये यह बिल दोबार रखा गया है।

बैठक का समय बढ़ाना

Mr. Speaker: If the House is agreeable, tihe sitting may be extended by five minutes.

Vices: Yes, sir,

Mr. Speaker: The sitting is extended by another five minutes.

दि हरियाणा स्टेट लैजिस्लेचर (प्रिवैं ान आफ डिसक्वालीफिके ान) अमैंडमैंट बिल, 1981 (पुनरारम्भ)

चौधरी खुर ीद अहमद: स्पीकर साहब, इसमे हम कोई नई तबदीली नही ला रहे। ये भाई कह रहे है कि एम.एल.एज. चेयरमैन नही होने चाहिए। बाबू मूल चंद जैन ने भी चेयरमैन का पद अच्छी तरह से इस्तेमाल किया है। जब मैं इनकी तरफ नजर उठा कर देखता हूं तो मुझे बहुत सारी साथी बैठे हुए दिखाई दे

रहे है जो चेयरमैन रहे है और होने बड़ी काबलियत के साथ अपने अपने इंस्टीच्यू ान को चलाया है। चौधरी उदयसिंह दलाल स्टेट कोआप्रेटिव बैंक के चेयरमैन रहे है इसी तरह मनी राम जी लैन्ड डिवेल्पलमैंट कार्पारे ान के चयरमैन, चौधरी संत कंवर जी एग्री इण्डस्ट्रीज के चेयरमेन, श्री नारायण वर्मा जी खादी बोर्ड के चेयरमैन, स्वामी आग्निवे ा जी एजुके ान बोर्ड के चेयरमैन, कर्मसिंह हिसार कोआप्रेटिव बैक के चेयरमैन , श्री गंगा राम जी कोआप्रेटिव बैक पानीपत के चयेरमैन और श्री भले राम जी हैण्डलूम एंड हैडीक्राफटस कार्पोरे ान पानीपत के चेयरमेन रहे है। बाद मे श्री भलेराम जी ने टेनरीज का काम सम्भाला। मैं यह सैद्धांन्तिक से मानता हूं कि एम.एल.एज. की टेलैंट को हमारे पुराने साथी इस्तेमाल करते है। हमारे सामने भी ऐसे सवालात आये कि हम उनकी टेलेन्ट को क्यो जायाहोने दे। इसलिये हमने सोचा कि क्यो न इनकी टेलैंट का फायदा उठाया जाये। स्वामी अग्निवे ा जितना काम एजुके ान बोर्ड मे किया है वह किसी की नजरों से ओझल नही है। मेरे कुछेक और भी चेयरमैन रहे है। मैं उनका नाम बताना नही चाहता। उनका भी रिकार्ड अच्छा है। सतबीर सिंह जी का तो जिक्र क्या करूं। इन द्वारा पालिसी चैंज करने से एक मे 24 करोड़ रूपये का घाटा हुआ था। (ाोर)

आवाजें: आपका 37 करोड़ रूपये का घाटा रहा। (ाोर)

चौधरी खुर ाद अहमदः चौधरी देवी लाल जी ने इनकी टैलेन्ट का इस्तेमाल करके कि अब अपनी जरूरत नही है। भाई संतकंवर जी भी चेयरमैन रहे है। इनका अकाउंट नही रहा। किसान आदमी है, इसलिये अकाउंट मे फर्क हो सकता है, कोई बड़ी बात नही है। अध्यक्ष महोदय, मैंबरान की टेलेन्ट एडमिनिस्ट्रे ान को अवेलेबल होती रहे और पलिफिके ान न हो पाये इसलिये यह बिल पे ा करना पडा है। कानून मे जो थोड़ी मियां है उनको दूर कर दिया गया है मैं अब सदन से प्रार्थना करता हूं कि इस मासूम पास कर दिया जाये।

Mr. Speaker: Question is—

That the Haryana State Legislature (Prevention of Disqualification) Amendment Bill be taken into consideration at one.

The motion was carried.

श्री अध्यक्षः अब सदन बिल पर क्लाज बाई क्लाज विचार रकेगा।

क्लाज 2

श्री अध्यक्षः प्र न है—

कि क्लाज 2 बिल का पार्ट बने

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 3

श्री अध्यक्षः प्र न है–

कि क्लाज 3 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 1

श्री अध्यक्षः प्र न है–

कि क्लाज 1 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनैक्टिंग फार्मूला

श्री अध्यक्षः प्र न है–

कि अनैंक्टिंग फार्मूला बिल का अनैंक्टिंग फार्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाइटल

श्री अध्यक्षः प्र न है–

कि टाइटल बिल का टाइटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

वित्त मंत्री (चोधरी खु ीद अहमद): स्पीकर साहब, मैं प्रस्ताव करता हूं –

कि बिल पास किया जाये।

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि बिल पास किया जाये।

श्री अध्यक्षः प्र न है–

कि बिल पास किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्षः अब हाउस कल प्रातः 9ण्30 बजे तक के लिये ऐडजर्न किया जाता है।

13.49 बजे

(The Sabha then *adjourned till 9.30 a.m. on Wednesday, the 18the March, 1981)